



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13122024-259387
CG-DL-E-13122024-259387

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 10, 2024/ अग्रहायण 19, 1946

No. 329]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 10, 2024/ AGRAHAYANA 19, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2024

मामला सं. एडी (ओआई) - 19/2023

विषय: चीन जन. गण. और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ट्राइक्लोरो आइसोसायन्यूरिक एसिड" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/20/2023-डीजीटीआर— समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में दिनांक 1 मई, 2024 में प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए। वर्तमान अंतिम जांच परिणाम प्रारंभिक जांच परिणामों के अनुक्रम में जारी किए जा रहे हैं।

क. प्रक्रिया

1. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के बाद संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

- क. जांच की शुरुआत के बाद और हितबद्ध पक्षकारों को संगत सूचना देने और अपने हितों की रक्षा का अवसर देने के बाद और रिकार्ड में सूचना और साक्ष्य के आधार पर, पाटनरोधी अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए दिनांक 1 मई 2024 को प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है और इस प्रकार संबद्ध वस्तु का पाटन हुआ है, ऐसे पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और घरेलू उद्योग को क्षति ऐसे पाटित आयातों के कारण हुई है। प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।
- ख. प्राधिकारी ने निम्नलिखित प्रक्रिया जिसे प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के बाद अपनाया जाना था, के बारे में हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया।
- सभी हितबद्ध पक्षकारों से प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर उनके संबंध में टिप्पणियां मांगी गई थीं।
 - यह अधिसूचित किया गया कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार एक मौखिक सुनवाई की जाएगी।
 - आवश्यक समझा गया आगे का सत्यापन भी किया जाएगा।
 - अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पहले अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया जाएगा।
- ग. प्रारंभिक जांच परिणामों की एक प्रति केंद्र सरकार को अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने पर उनके विचार के लिए भेजी गई थी।
- घ. अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने प्रारंभिक जांच परिणामों पर तर्क और टिप्पणियां प्रस्तुत की थीं, जिन पर अंतिम निर्धारण के प्रयोजनार्थ पर्याप्त रूप से विचार किया गया है।
- ड. तथापि, कतिपय पक्षकारों ने विहित समय सीमा के भीतर हितबद्ध पक्षकार के रूप में प्राधिकारी के पास पहले पंजीकरण कराए बिना प्रारंभिक जांच परिणामों संबंधी उत्तर / टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। विशिष्ट समय सीमा के भीतर हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण में विफलता को देखते हुए प्राधिकारी ने निम्नलिखित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों की अनदेखी की है:
- एक्यूरो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
 - क्लासिक केमिकल्स
 - मल्टीकेम स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड
 - नैसा केमको इंटरनेशनल
 - पद्मा पॉलिमर्स
 - पवार केमिकल
 - फीनिक्स ओवरसीज
 - श्री वैद्यनाथ केमिकल्स
 - नैसा केमिकल्स
- च. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 28 अगस्त 2024 को हुई एक सार्वजनिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से उनके विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और खंडन अनुरोध यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा, निर्दिष्ट प्राधिकारी में परिवर्तन के कारण 9 सितंबर 2024 को एक नई मौखिक सुनवाई हुई थी।
- छ. प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिश के लिए विचाराधीन सभी अनिवार्य तथ्यों का एक प्रकटन विवरण नवंबर 22, 2024 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया। प्राधिकारी ने संगत

समझी गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की जांच की है। कोई अनुरोध जो केवल पूर्व अनुरोध का दोहराव था और जिसकी प्राधिकारी ने पर्याप्त जांच की थी, को संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

- ज. जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की वर्तमान जांच से उनके संगत होने और साक्ष्य द्वारा समर्थित होने की सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई है।
- झ. यह बिल्कुल स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक जांच परिणाम, अंतिम जांच परिणाम का एक अभिन्न अंग है। इन अंतिम जांच परिणाम को पहले जारी प्रारंभिक जांच परिणाम के साथ पढ़ना चाहिए। अपनाई गई प्रक्रिया, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तर्क, प्रारंभिक जांच परिणाम में स्पष्ट या गहराई से जांचे गए हैं और प्रारंभिक जांच परिणाम में पहले के ऐसे निर्धारण जिन पर हितबद्ध पक्षकारों ने प्रश्न नहीं उठाया था, को अंतिम जांच परिणाम में दोहराया नहीं जा रहा है। अंतिम जांच परिणाम को उस सीमा तक प्रारंभिक जांच परिणाम को शामिल किया गया माना जाना चाहिए, जहां तक वह वर्तमान अंतिम जांच परिणाम से असंगत नहीं है।
- ञ. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना जो अंतिम जांच परिणाम का आधार है, की सत्यता से स्वयं को संभव सीमा तक संतुष्ट किया है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का संगत आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया है।
- ट. प्राधिकारी आवश्यक समझी गई सीमा तक हितबद्ध पक्षकारों से अतिरिक्त सूचना मांगी थी। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले के विश्लेषण में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।
- ठ. घरेलू उद्योग के कारखाने और कार्यालय दोनों परिसरों का मौके पर सत्यापन किया गया था जिसमें घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न दावों का सत्यापन और संगत समझी गई सीमा तक समर्थक सूचना एकत्रित की गई थी।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

2. जांच शुरुआत के समय विचाराधीन उत्पाद को “ट्राइक्लोरो आइसोसायन्यूरिक एसिड” के रूप में परिभाषित किया गया था जिसे टीसीसीए भी कहा गया था।

“3. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) “ट्राइक्लोरो आइसोसायन्यूरिक एसिड” है जिसे टीसीसीए भी कहा जाता है। टीसीसीए एक रासायनिक यौगिक है जिसे संक्रमणरोधी, ब्लिचिंग एजेंट और जल उपचार रासायन के रूप में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। यह एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है जिसमें क्लोरीन की तेज गंध आती है। टीसीसीए एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट है और इसे व्यापक रूप से स्विमिंग पुल तथा औद्योगिक जल उपचार और स्वच्छता के लिए प्रयोग किया जाता है।

टीसीसीए मुख्यतः स्विमिंग पुल और डाई स्टप के लिए संक्रमणरोधी, एल्गी नाशी और बैक्टीरिया नाशी है। इसे वस्त्र उद्योग में ब्लिचिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे पूल और स्पा के लिए सिविल सफाई, पशु पालन और मछली पालन में रोगों के निवारण और इलाज, फल और सब्जी संरक्षण, अपशिष्ट जल उपचार, उद्योग में पुनः चक्रित जल के लिए एल्गी नाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है और वुलेन्स के लिए सिकुड़नरोधी उपचार और वातानुकूलन, बीजों के उपचार के लिए और जैविक रसायन सिंथेसिस में प्रयोग किया जाता है।

विचाराधीन उत्पाद टैरिफ कोड 2933 6910 और 2933 6990 के अंतर्गत अध्याय 29 में वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ख.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

3. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- i. टीसीसीए को टैबलेट रूप में विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि इसकी अलग विशेषताएं प्रयोग और अनुप्रयोग हैं। घरेलू उद्योग इस रूप का उत्पादन नहीं करता है। घरेलू उद्योग के पास टीसीसीए का टैबलेट रूप में उत्पादन या परिवर्तन करने की क्षमता और अवसंरचना नहीं है। टीसीसीए पाउडर, दानेदार या टैबलेट रूप में निम्नलिखित कारणों से एक अलग उत्पाद है:
 - क. अणुओं का आकार अलग है और ये अलग-अलग दर से जल में घुलते हैं।
 - ख. विनिर्माण प्रक्रिया अलग है।
 - ग. अपेक्षित विनिर्माण उपकरण भिन्न हैं।
 - घ. अंतिम प्रयोग अलग है। पाउडर का प्रयोग तुरंत घुलने और तुरंत क्लोरिंग निकलने के लिए किया जाता है, दानेदार का प्रयोग क्लोरीन के नियंत्रित निकलने के लिए होता है और टैबलेट का प्रयोग धीमी गति से निकलने के लिए होता है।
- ii. याचिकाकर्ता के दावे के विपरीत दानेदार से टैबलेट में बदलने की लागत काफी अधिक है।
- iii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित दानेदार रूप पाउडर या टैबलेट के आयातों से प्रतिस्पर्धा नहीं करता है और उसे इससे क्षति नहीं हो सकती है। टेक्रोवा इमेजिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य मामले में माननीय सेस्टेट ने यह माना था कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं होने वाले उत्पादों को पाटनराधी जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए। टैबलेट पर शुल्क लगाना जो घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं होता है, प्रयोक्ताओं के लिए हानिकारक होगा।
- iv. घरेलू उद्योग 05-08 मेस रेंज के भीतर टीसीसीए दोनों का उत्पादन नहीं करता है जो धीरे घुलते हैं तथा जो इसके प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण हैं। मेस के अलग-अलग आकार से जल में टीसीसीए का असमान बिखराव होगा जिससे प्रयोक्ताओं को स्वास्थ्य में काफी जोखिम होगा।
- v. आयातित उत्पाद की गुणवत्ता घरेलू उत्पाद से बेहतर है। आवेदक के पास अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद की उत्पादन के लिए अपेक्षित तकनीक नहीं है जिससे स्वआरोपित बाजार पिछड़ापन हुआ है।
- vi. आवेदक द्वारा यूएसए को निर्यातित उत्पाद की गुणवत्ता घरेलू रूप से बेचे गए उत्पाद से बेहतर है। जैसाकि क्रेताओं के बयानों से स्पष्ट है।
- vii. विचाराधीन उत्पाद के दायरे संबंधी चर्चा के लिए काफी विचार विमर्श अपेक्षित है और महत्वपूर्ण उत्पाद अपवर्जन पीसीएन पद्धति का निर्णय लेते समय निर्णित नहीं किए जा सकते हैं।

ख.2 घरेलू उद्योग के विचार

4. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नानुसार हैं:
 - i. पर्याप्त समय देने के बावजूद हितबद्ध पक्षकारों ने अनुमति समय सीमा के 228 दिन बाद उत्पाद के दायरे संबंधी अनुरोध प्रस्तुत किए हैं।
 - ii. चूंकि प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर विचार करने के बाद उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति को पहले ही अंतिम रूप दे दिया है इसलिए अंतिम स्तर पर उत्पाद को बाहर रखने के अनुरोध को स्वीकार नहीं करना चाहिए।
 - iii. टीसीसीए के विभिन्न रूपों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि संबद्ध वस्तु को केवल दाने या टैबलेट रूप में आयातित किया गया है और इन दोनों की कीमत में कोई संगत अंतर नहीं है।
 - iv. अधिकांश आयात दानेदार या पाउडर रूप में हुए हैं, जो स्पष्ट करता है कि टैबलेट रूप की मांग नगण्य हैं।
 - v. हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न रूपों की तकनीकी विशेषताओं में कोई अंतर नहीं बताया है। उन्होंने केवल विनिर्माण प्रक्रिया, जरूरी उपकरण और भौतिक रूप के संबंध में अंतर बताए हैं जिनका अर्थ यह नहीं है कि उत्पाद समान वस्तुएं नहीं हैं।

- vi टीसीसीए के विभिन्न रूपों के प्रयोग में अंतर संबंधी विवरण आयातकों ने दिए हैं और प्रयोक्ताओं ने नहीं। किसी प्रयोक्ता ने दावा नहीं किया है कि टीसीसीए के तीन रूपों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं हो सकता है। वास्तव में, चीन के निर्यातकों ने अपनी वेबसाइट पर उत्पाद का विज्ञापन यह दर्शाते हुए किया है कि पाउडर, दानेदार और टैबलेट रूप में समान विशेषताएं और प्रयोग हैं।
- vii. नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग के लिए बिल्कुल समान वस्तु का उत्पादन अपेक्षित नहीं है। इसके लिए केवल आयातित उत्पाद से बिल्कुल मिलती-जुलती विशेषताओं वाली वस्तु का उत्पादन अपेक्षित है।
- viii. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि दानेदार को टैबलेट रूप में बदलने के लिए भारी लागत आती है। प्राधिकारी ने पहले ही यह निष्कर्ष निकाला है कि परिवर्तन के समय कोई कच्ची सामग्री नहीं डाली जाती और लागत केवल बिजली और श्रम की होती है। इसके अलावा, टैबलेट और दानेदार रूप के बीच कीमत में कोई संगत अंतर नहीं है।
- ix. घरेलू उद्योग सभी मेस आकारों के टीसीसीए का उत्पादन कर सकता है। वह मेस आकार 05-08 का उत्पादन कर रहा था और बाद में उसने 08-30 मेस आकार रेंज की शुरुआत की जिसे व्यापक तौर पर स्वीकार किया गया।
- x. उत्पाद के मेस आकार से संबंधित वस्तु की विलेयता या कार्यशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घरेलू उद्योग ने क्लोरीन मात्रा, नमी की मात्रा, उसके द्वारा उत्पादित उत्पाद का पीएच मूल्य और जल में घुलनशीलता के संबंध में एक स्वतंत्र प्रयोगशाला से चीन से आयातित वस्तु की तुलना में ब्यौरे दिए हैं।
- xi. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बताए गए ई-मेल से यह नहीं पता चलता है कि घरेलू उद्योग अपेक्षित मेस आकार और गुणवत्ता का उत्पाद देने में अक्षम है। स्वयं ई-मेल यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग विभिन्न मेस आकारों के उत्पाद पेश करता है।
- xii. आयातक यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य देने में विफल रहे हैं कि घरेलू उत्पाद की गुणवत्ता खराब है जबकि प्राधिकारी ने उन्हें इसका निदेश दिया था। यह तथ्य कि घरेलू उद्योग ने यूएसए को निर्यात किया है, दर्शाता है कि वह खराब गुणवत्ता के उत्पाद की आपूर्ति नहीं कर रहा है।
- xiii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा प्रमाणित है, जो एक सबसे सख्त मानक है।

ख.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

5. विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन के दायरे को स्पष्ट करने और इस पर टिप्पणी करने का अवसर जांच शुरुआत की सूचना के जरिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को किया गया था। विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन संबंधी टिप्पणियां केवल क्रिंदाओ प्रोफ़ेलिज़ बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड, शेडोंग लांटियन डिसिनफेक्शन टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड और हांगकांग सीन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई थीं। तत्पश्चात 9 नवंबर, 2023 को हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोध स्पष्ट करने का अवसर दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति दोनों के बारे में अपने अनुरोध स्पष्ट किए थे। हितबद्ध पक्षकारों ने आगे संगत समर्थक साक्ष्य प्रदान करने का अवसर भी लिया था। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और इस संबंध में कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करने के बाद प्राधिकारी ने निर्णय लिया कि उत्पाद के दायरे में संशोधन या वर्तमान मामले में पीसीएन पद्धति को अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को 3 जनवरी, 2024 को डीजीटीआर की वेबसाइट पर अधिसूचित किया गया।
6. तथापि, उसके बाद प्रिनिता केम, एक्यूरो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और केशव बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनुरोध प्रस्तुत किए गए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त पक्षकारों ने हितबद्ध पक्षकारों को प्रदत्त समय सीमा के भीतर किसी उत्पाद को बाहर रखने का कोई अनुरोध नहीं किया था। तथापि, विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप देने के बाद और समय सीमा समाप्त होने के काफी बाद आयातकों ने टैबलेट को बाहर रखने के अनुरोध प्रस्तुत किए और मेस आकार में अंतर पर ध्यान दिलाया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातकों द्वारा किए गए अनुरोध देरी से और विचाराधीन उत्पाद के दायरे को अंतिम रूप देने के बाद किए गए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के आलोक में प्राधिकारी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है।

"(8) ऐसे मामले में जहां कोई हितबद्ध पक्षकार एक तर्कसंगत समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, वहां निर्दिष्ट प्राधिकारी उनके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी परिस्थितियों में यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।"

7. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि पीयूसी या समान वस्तु के मुद्दे को अंतिम रूप देने के लिए विचार-विमर्श, तकनीकी और वाणिज्यिक साक्ष्य पर विचार और विस्तृत अनुरोधों का समकालीन, मौखिक और लिखित आदान-प्रदान अपेक्षित है। अतः महत्वपूर्ण उत्पाद अपवर्जन पर पीसीएन पद्धति का निर्णय लेते समय निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने जांच शुरूआत अधिसूचना में ही उत्पाद के दायरे के संबंध में अनुरोध करने की समय सीमा अधिसूचित की थी। उत्पाद के दायरे के संबंध में अनुरोध करने के लिए अतिरिक्त सूचना की जरूरत पड़ने पर पक्षकारों के लिए समय सीमा का विस्तार का मांग करने का प्रावधान है। पहले भी प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, समय बढ़ाने की अनुमति दी है। तथापि, प्राधिकारी को अतिरिक्त समय का ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था। विहित समय सीमा के भीतर अपने अधिकार का प्रयोग करने में विफल रहने पर हितबद्ध पक्षकार बाद में दलील नहीं दे सकते कि विहित समय सीमा टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए समुचित नहीं थी।
8. वास्तव में हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि उत्पाद के विभिन्न प्रकारों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। हितबद्ध पक्षकारों के तर्क भौतिक रूप, घुलने की दर, विनिर्माण प्रक्रिया, उपकरण और प्रयोग में अंतर पर आधारित हैं। तथापि, यह नोट किया गया है कि 96 प्रतिशत आयात दानेदार रूप में हुए हैं जबकि केवल 3 प्रतिशत आयात टैबलेट के रूप में हुए हैं। अतः यह नोट किया गया है कि उत्पाद को अधिकांशतः केवल दानेदार रूप में प्रयोग किया जा रहा है जो एक ऐसा रूप भी है जिसका घरेलू उद्योग उत्पादन करता है। विभिन्न रूपों के बीच अंतर के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों ने घुलने की दर में अंतर दर्शाने वाली कोई परीक्षण रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। इसके अलावा, आयातकों बताए गए अंतरों के होने पर भी उत्पादन प्रक्रिया टीसीसीए के ठोस रूप में उत्पादन और उसके बाद तक समान रहती है और केवल टैबलेट, पाउडर और दानेदार में बदलने की वृद्धिशील प्रक्रिया अलग है। उपकरण में अंतर भी समान स्तर से संबंधित है। अतः विनिर्माण प्रक्रिया में अंतर पर्याप्त नहीं माना जा सकता है और बल्कि वह केवल संबंधित रूप में उत्पाद को बदलने के लिए संगत प्रक्रिया है। अंत में, यद्यपि आयातक ने अनुप्रयोग में अंतर का दावा किया है। तथापि घरेलू उद्योग ने विदेशी उत्पादकों की वेबसाइट के स्क्रीनशॉट के रूप में साक्ष्य दिए हैं, जो दर्शाते हैं कि सभी रूपों का प्रयोग एक समान है।
9. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी दावा किया है कि घरेलू उद्योग विभिन्न मेस आकारों में दानों का उत्पादन नहीं करता है जिस पर घरेलू उद्योग ने प्रश्न उठाया है। घरेलू उद्योग ने स्वतंत्र प्रयोगशाला से परीक्षण रिपोर्ट भी दी है, जो घरेलू उद्योग के दानों की चीन के उत्पादकों के 5-8 मेस से तुलना करता है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु की चीन से आयातित 8-22 मेस से तुलना करता है। यह नोट किया गया है कि उत्पादों की सभी मापदंडों में तुलना की गई है जैसे रूप, गंध, सफेदी, सक्रिय दोहरी मात्रा, नमी की मात्रा, पीएच मूल्य और घुलनशीलता। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद विदेशी उत्पादकों द्वारा उनकी वेबसाइट पर विज्ञापित विनिर्देशनों से इन मापदंडों पर तुलनीय है।
10. अंत में उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में आयातकों ने कतिपय प्रयोक्ताओं के बयान बताए हैं जिनमें यह दावा है कि घरेलू उद्योग द्वारा दी गई वस्तुएं खराब गुणवत्ता की हैं। घरेलू उद्योग ने बताया कि उसने उक्त प्रयोक्ता को उत्पाद की आपूर्ति नहीं की है और इसके बजाय अपने स्वयं के प्रयोक्ताओं के बयान प्रस्तुत किए हैं जिन्होंने उसके द्वारा आपूर्ति की गई टीसीसीए की गुणवत्ता की सराहना की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने न केवल घरेलू बाजार में बल्कि यूएस के बाजार में भी संबद्ध वस्तु की आपूर्ति की है। घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई वस्तु यूएस पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अंतर्गत पंजीकरण है। अतः यह मानने का कोई आधार नहीं कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई वस्तु अपेक्षित गुणवत्ता की नहीं है। इसके अलावा 2021-22 जब संबद्ध वस्तु के बाजार हिस्से में गिरावट आई थी, के दौरान घरेलू उद्योग काफी अधिक मात्रा में आपूर्ति करने में सक्षम था जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई वस्तु आयातित सामान से तुलनीय है। अतः प्राधिकारी को इस तर्क में कोई सच्चाई नहीं दिखती है कि घरेलू उद्योग ने अपेक्षित गुणवत्ता के उत्पाद की आपूर्ति नहीं की है।

11. तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद के दायरे को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

3". वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "ट्राइक्लोरो आइसोसायन्यूरिक एसिड" है जिसे टीसीसीए भी कहा जाता है। टीसीसीए एक रासायनिक यौगिक है जिसे संक्रमणरोधी, ब्लिचिंग एजेंट और जल उपचार रसायन के रूप में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। यह एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है। टीसीसीए एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट है और इसे व्यापक रूप से स्विमिंग पुल तथा औद्योगिक जल उपचार और स्वच्छता के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे पाउडर टैबलेट और दानेदार रूप में उत्पादित किया जा सकता है।

टीसीसीए मुख्यतः स्विमिंग पुल और ड्राई स्टप के लिए संक्रमणरोधी, एल्गी नाशी और बैक्टीरिया नाशी है। इसे वस्त्र उद्योग में ब्लिचिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे पूल और स्पा के लिए सिविल सफाई, पशु पालन और मछली पालन में रोगों के निवारण और इलाज, फल और सब्जी संरक्षण, अपशिष्ट जल उपचार, उद्योग में पुनः चक्रित जल के लिए एल्गी नाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है और वुलेन्स के लिए सिकुड़नरोधी उपचार और वातानुकूलन, बीजों के उपचार के लिए और जैविक रसायन सिंथेसिस में प्रयोग किया जाता है।

विचाराधीन उत्पाद टैरिफ कोड 2933 6910 और 2933 6990 के अंतर्गत अध्याय 29 में वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

12. इसके अलावा, पूर्वोक्त के मद्देनजर घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देश से आयातित वस्तु के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। आयातित वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इसके मद्देनजर घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद को भारत में आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

ग. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

13. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- आवेदक ने 2022 और 2024 के दौरान टीसीसीए का आयात किया है।
- नेफ़थलीन के आयात से संबंधित एक जांच में गुजरात उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि बोडल केमिकल्स घरेलू उद्योग माने जाने की स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है क्योंकि उसने गुमराह करने वाली और अधूरी सूचना दी है, क्योंकि उसने आबद्ध खपत को बाहर रखने का प्रयास किया है।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

14. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के उत्तर में घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किया है:

- हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत घरेलू उद्योग ने संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।
- नेपथलीन मामले में दिया गया निर्णय मामला विशिष्ट था और वर्तमान मामले में उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

15. नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

16. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम में अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है। तत्पश्चात एक आयातक ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु का आयात

किया है और उसने नेपथलीन मामले पर भरोसा करते हुए आबद्ध उत्पादन को शामिल नहीं किया है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के आयात आंकड़ों की जांच की है और उन्हें जांच अवधि में आवेदक द्वारा किसी आयात का पता नहीं चला है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने सत्यापित किया है कि आवेदक ने आबद्ध रूप से उत्पाद की खपत नहीं की है।

17. पूर्वोक्त के मद्देनजर और प्रारंभिक जांच परिणाम में प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत यथापरिभाषित घरेलू उद्योग है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है।

घ. गोपनीयता

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

18. प्रारंभिक निर्धारण के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि आवेदक ने अगोपनीय आंकड़ों के अंतर्गत उत्पादन लागत का कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया है।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

19. घरेलू उद्योग ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में कोई अनुरोध प्रस्तुत नहीं किए हैं।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

20. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना का अगोपनीय अंश उपलब्ध कराया था।

21. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:- ‘

‘गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

22. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना और आंकड़ों की गोपनीयता के दावों के पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है, जहां कहीं अपेक्षित हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपनी व्यापार से संबंधित संवेदनशील सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है।

23. विशेष रूप से हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत का ब्यौरा मांगा है। तथापि क्योंकि यह सूचना व्यापार संवेदनशील प्रकृति की है इसलिए प्राधिकारी ने इस संबंध में गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है।

ड. विविध

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

24. प्रारंभिक निर्धारण के जारी होने के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विविध अनुरोधों का सारांश नीचे दिया गया है:

- i. आवेदन में प्रक्रियात्मक और काफी अधिक कमियां हैं जैसे क्षति अवधि में कमी और पर्याप्त सूचना देने में विफलता।
- ii. वर्तमान मामले में प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने की कोई विशेष परिस्थितियां नहीं थीं। प्रारंभिक जांच परिणाम पाटनरोधी नियमावली के नियम 12 और डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 7, प्राकृतिक न्याय और औचित्य के सिद्धांतों, कानून की आवश्यक प्रक्रिया का उल्लंघन है और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 12 में उल्लेख है कि प्रारंभिक जांच परिणाम उचित मामलों में जारी करने चाहिए। प्राधिकारी अनंतिम उपायों की आवश्यकता की ठीक ढंग से जांच करने में विफल रहे हैं।
- iii. अनंतिम उपायों की सिफारिश केवल तभी करनी चाहिए जब ऐसे उपाय जांच के दौरान हुई क्षति को रोकने के लिए आवश्यक हों, जिसकी जांच प्राधिकारी ने नहीं की थी।
- iv. प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों से पहले सुनवाई करने में विफल रहे हैं, जो कानून की आवश्यक प्रक्रिया का उल्लंघन है और अंतिम प्रयोक्ता के हितों के संबंध में प्रारंभिक जांच परिणाम की वैधता की अनदेखी करता है।
- v. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं करता है।
- vi. प्राधिकारी प्रतिवादी आयातकों की सूची में केएचपीएल के नाम को शामिल करने में विफल रहे हैं। केएचपीएल ने समयबद्ध तरीके से अपने उत्तर प्रस्तुत करके संबद्ध जांच में सक्रिय रूप से भागीदारी की है।
- vii. व्यापार सूचना संख्या 11/2018 के अनुसार, प्राधिकारी के पास इसी अनुरोध को विलंबित अनुरोध मानने का विवेकाधिकार है। यदि वह जांच के बृहत्तर हित में हो। एक्यूरो द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करना चाहिए क्योंकि वे संबद्ध वस्तु के दायरे और जनहित पर शुल्कों के प्रभाव की दृष्टि से निष्कर्षों पर काफी प्रभाव डालते हैं। प्राधिकारी ने पहले देरी से किए गए अनुरोध पर विचार करने की लोचशीलता दिखाई है, जो उचित और सही निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण हों।
- viii. एक्यूरो ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो जांच में कुल देरी या व्यवधान उत्पन्न करेगा या उसे कोई अनुचित लाभ देगा या किसी हितबद्ध पक्षकार को कोई नुकसान पहुंचाएगा।
- ix. घरेलू उद्योग के दावे के विपरीत एक्यूरो के वकील ने 30 मई 2024 को प्राधिकारी के समक्ष प्राधिकार प्रस्तुत किया है।
- x. आवेदक द्वारा उल्लिखित यूएस – ऑयल कंट्री ट्युबलर गुड्स से संबंधित मामला प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि आयात पाटन मार्जिन से संबंधित सूचना नहीं दे रहा है बल्कि केवल जनहित और विचाराधीन उत्पाद से संबंधित जानकारी दे रहा है।
- xi. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़ों और प्राधिकारी द्वारा दर्ज आयात आंकड़ों में अंतर है। प्राधिकारी याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किए गए आयात आंकड़ों की और प्रयुक्त पद्धति की उचित जांच करने में विफल रहे हैं।
- xii. किसी पर्याप्त सबूत के बिना शुल्क लागू करना चीन और जापान के साथ व्यापार संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और उसका परिणाम बदले के उपाय हो सकता है। वह भारत को डब्ल्यूटीओ करारों का पालन नहीं करने वाला भी मान सकता है और डब्ल्यूटीओ मंचों में भारत को इन विवादों के

लिए दोषी मान सकता है। शुल्क लागू होने से देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार संबंध और व्यापार रक्षा प्रणाली की निष्ठा प्रभावित हो सकती है।

- xiii. पाटनरोधी शुल्क पारदर्शिता बढ़ाने, प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने और सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए एक उचित और समान व्यापार महौल सुनिश्चित करने के लिए मूल्यानुसार होना चाहिए।

ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

25. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध के उत्तर में घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार उत्तर दिया है:

- i. हितबद्ध पक्षकारों ने आवेदन में किसी प्रक्रियात्मक और पर्याप्त गलती की ओर ध्यान नहीं दिलाया है। प्राधिकारी द्वारा जांच प्रदत्त सूचना की सत्यता और पर्याप्तता से संतुष्ट होने के बाद ही शुरू की गई थी।
- ii. विशेष परिस्थितियों के प्रारंभिक उपाय लागू करने की पूर्व अपेक्षा होने के बारे में कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। वास्तव में अन्य जांचकर्ता प्राधिकारी इसे प्रक्रिया के रूप में सभी मामलों में अनिवार्य रूप से प्रारंभिक जांच परिणाम दर्ज करते हैं।
- iii. प्रारंभिक जांच परिणाम से यह स्पष्ट है कि प्राधिकारी ने सभी पक्षकारों के अनुरोधों पर विचार किया है जिन मामलों में हितबद्ध पक्षकारों ने अगोपनीय अंश को साझा किए बिना गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत किए हैं उनमें उसकी अनदेखी की जानी चाहिए।
- iv. ऐसी कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है कि किसी मौखिक सुनवाई को प्रारंभिक जांच परिणाम से पहले संचालित करना चाहिए।
- v. घरेलू उद्योग को केएचपीएल से कोई अगोपनीय उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे उत्तर को सभी पक्षकारों को परिचालन किए बिना स्वीकार नहीं करना चाहिए।
- vi. एक्यूरो ऑर्गेनिक्स ने भागीदारी की अंतिम तारीख से 206 दिनों की देरी के बाद कोई कारण बताए बिना भागीदारी की है। डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान निकाय के अनुसार कोई जांचकर्ता प्राधिकारी पक्षकार द्वारा किए गए ऐसे अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है जो विहित समय सीमा के बाद किया हो। एक्यूरो ऑर्गेनिक्स ने मौखिक सुनवाई में भागीदारी से पहले प्राधिकारी से अनुमति भी नहीं ली थी।
- vii. यद्यपि एक्यूरो ऑर्गेनिक्स का मौखिक सुनवाई में एक वकील ने प्रतिनिधित्व किया था। तथापि, वकील के पक्ष में कोई प्राधिकार नहीं दिया गया था।
- viii. आवेदक के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर आयात की मात्रा और डीजी सिस्टम के आंकड़ों में अंतर होने पर प्राधिकारी ने विचार किया है और यह अंतर प्रयुक्त सूचना के स्रोत में अंतर के कारण है।
- ix. इस जांच को डब्ल्यूटीओ की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए शुरू और संचालित किया गया है और इसलिए उपचार को डब्ल्यूटीओ के अनुपालन में माना जाना चाहिए।
- x. मूल्यानुसार शुल्क लगाने से लागू शुल्क निष्प्रभावी हो जाएगा क्योंकि आयात कीमतों में तेजी से गिरावट आई है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

26. वर्तमान जांच आवेदकों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों / सूचना के आधार पर शुरू की गई थी। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी केवल इस बात से संतुष्ट होने के बाद की याचिका में जांच शुरूआत को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। वर्तमान जांच की शुरूआत करने का निर्णय लिया था। इसके अलावा, जांच शुरूआत के बाद आवेदकों से आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचना मांगी गई थी और आवेदक ने उसे उपलब्ध कराया है।
27. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि ऐसी कोई विशेष परिस्थितियां नहीं थी जिनसे प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करना आवश्यक हो और उससे पहले कोई मौखिक सुनवाई नहीं हुई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून में विशेष परिस्थितियों की मौजूदगी की आवश्यकता नहीं है और न ही प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के लिए सुनवाई आवश्यक है। नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी उपयुक्त मामलों में प्रारंभिक जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं। वर्तमान मामले में प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करते समय प्राधिकारी ने पाटन, क्षति की मात्रा और कारणात्मक संबंध की जांच की है। प्रारंभिक जांच परिणाम में इन सभी की विस्तृत जांच की गई है।

प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग जांच अवधि के दौरान भारी क्षति हुई है और ऐसे उच्च स्तर पर क्षति से संयंत्र बंद हो सकता है। यह अनिवार्य है कि घरेलू उत्पादकों को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं और पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रिया से उपचार प्रदान किया जाए। यह नोट किया गया है कि आवेदक ने अपने आवेदन में अंतरिम शुल्क का अनुरोध किया है और इसके कारण बताए हैं। प्रारंभिक जांच परिणाम की विषय वस्तु अपने आप में अंतरिम उपाय लागू करने के लिए पर्याप्त औचित्य बताती है। ये उपाय जांच के दौरान क्षति के निवारण के लिए आवश्यक पाए जाने पर अनसंशित किए गए थे। तदनुसार, प्राधिकारी ने अनंतिम शुल्क लगाने की सिफारिश की।

28. यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि उनके अनुरोधों की जांच नहीं की गई थी। तथापि, उन्होंने ऐसा कोई अनुरोध नहीं बताया जिसकी प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने से पहले जांच न की हो। वास्तव में प्रासंगिक समझे गए सभी अनुरोध वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के अनिवार्य तथ्य दर्ज करने में जांचे गए हैं।
29. केशव हिचेम प्राइवेट लिमिटेड (केएचपीएल) द्वारा भागीदारी के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातक ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और सभी हितबद्ध पक्षकारों को उसका अगोपनीय अंश परिचालित किया है। आयातक द्वारा किए गए अनुरोध पर प्राधिकारी ने विचार किया है।
30. एक्यूरो ऑर्गेनिक्स की भागीदारी के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातक ने अंतिम तिथि से लगभग 7 महीने की समाप्ति के बाद भागीदारी की है। भागीदारी में इतनी देरी के मद्देनजर प्राधिकारी पाते हैं कि आयातक ने समयबद्ध ढंग से अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। इसके मद्देनजर प्राधिकारी मानते हैं कि एक्यूरो ऑर्गेनिक्स ने देरी से अनुरोध के कारण जांच में भागीदारी से दूर रहने का निर्णय लिया। दरअसल, एक्यूरो ऑर्गेनिक्स ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया जिसकी प्राधिकारी की जांच में परीक्षा न की गई हो, क्योंकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने पहले यही अनुरोध किए थे।
31. हितबद्ध पक्षकारों ने ध्यान दिलाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उसके आवेदन में प्रदत्त और प्रारंभिक जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा विचारित आयात मात्राओं में अंतर है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपने पास उपलब्ध सूचना दी थी जबकि प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा किया है। तथापि, आयातों में वृद्धि के निष्कर्ष और कीमतों में अपर्याप्त वृद्धि को देखते हुए लागत में वृद्धि और सकारात्मक कीमत कटौती समान रही है।
32. हितबद्ध पक्षकारों ने दलील दी है कि मूल्यानुसार शुल्क लगाया जाना चाहिए और यह स्थिर राशि नहीं होना चाहिए। प्राधिकारी को अपने निष्कर्षित पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बाद शुल्क के उपयुक्त रूप का निर्धारण करेंगे। पाटनरोधी उपायों का रूप मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

33. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में निम्नानुसार तर्क दिया है:
 - i. चीन को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया जाना चाहिए।
 - ii. आवेदक ने चीन और जापान में टीसीसीए की सामान्य कीमत का कोई साक्ष्य नहीं दिया है।
 - iii. पाटन मार्जिन को ऐसे अंतरों जैसे निर्यात कीमत में व्यस्त मौसम के दौरान वृद्धि और खराब समय के दौरान कमी को दर्ज करने के लिए तिमाही आधार पर परिकलित किया जाना चाहिए।
 - iv. विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित कम कीमत दर्शाती है कि उनके पास उस पर उत्पादन पद्धति है और वे अनुचित प्रक्रिया नहीं मानी जा सकती।
 - v. टीसीसीए एक वस्तु उत्पाद है और मांग – आपूर्ति में असंतुलन, वैश्विक बाजार की गति और कोयला तथा प्राकृतिक गैस की कीमत में अस्थिरता के कारण इसकी कीमत बढ़ती-घटती है। जांच अवधि में कीमत में थोड़ी गिरावट बाजार ताकतों का परिणाम है और पाटन का नहीं।

- vi. प्राधिकारी ने यह गलत निर्धारण किया है कि हाइबेई ने भारत को अपने निर्यात आंकड़ों में बीजक की तारीख गलत बताई है। आरंभिक गलत बीजक सत्यापन के लिए गलती से दिए गए थे। इस टंकण की गलती को प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट 3ख में सही किया गया था और सभी दस्तावेजों को सौदों की सत्यता दर्शाने के लिए प्रस्तुत किया गया था।
- vii. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम को जारी करने से पहले हाइबेई द्वारा गलत आंकड़े बताने पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के 9क(6) और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6 का उल्लंघन है।
- viii. परिकलित निर्यात कीमत में आवेदक के यूएस कार्यालयों के संबंधित पक्षकार के सौदों पर विचार नहीं किया गया है।

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

34. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध का सारांश निम्नानुसार है:

- i. एक्सेसन प्रोटोकॉल और प्राधिकारी की प्रक्रिया के अनुसार चीन को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार्य केवल तभी दिया जाता है जब उसका दावा किया गया हो और उसकी उपयुक्तता दर्शाई गई हो।
- ii. घरेलू उद्योग ने चीन और जापान में सामान्य मूल्य के संबंध में वही सूचना उपलब्ध कराई जो उसके पास उपलब्ध थी।
- iii. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित काफी उच्च पाटन मार्जिन से यह स्पष्ट है कि निर्यातक भारत में प्रतिस्पर्धा को नष्ट करना चाहते हैं।
- iv. यदि कम बिक्री कीमत को उत्पादन पद्धति की कुशलता माना जाता है तो किसी जांच में भी पाटन सिद्ध नहीं होगा।
- v. घरेलू उद्योग तिमाही आधार पर मार्जिन की गणना का समर्थन करता है और उसने पहले ही आवेदन में मासिक आधार पर आंकड़े उपलब्ध कराए हैं।
- vi. हितबद्ध पक्षकारों के दावे को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि वैश्विक बाजार की अस्थिरता, मांग – आपूर्ति के असंतुलन और कोयले तथा प्राकृतिक गैस की कीमतों ने संबद्ध वस्तु की कीमत में उतार-चढ़ाव लाया है। मांग में वृद्धि हुई है जबकि आपूर्ति समान बनी रही है। संबद्ध वस्तु की आपूर्ति में कुछ ऐसे क्षेत्रों में आपूर्ति में कोई बाजार व्यवधान नहीं हुआ है, जहां भारत सहित इसका उत्पादन करने की क्षमता है। प्राकृतिक गैस और कोयले की कीमत में आगे और उतार चढ़ाव संबद्ध वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं करता है।
- vii. हाइबेई जिंगफेई द्वारा प्रस्तुत उत्तर को अस्वीकार करना सही था, क्योंकि पैरा टर्सियरी ब्यूटाइल फेनोल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में ऐसे जांच परिणाम जारी हुए थे जिनमें बीजक की तारीख को निर्यात के लिए बिक्री की तारीख माना गया था।
- viii. यदि हाइबेई को यह दावा करने की अनुमति दी जाती है कि पहले दिए गए बीजक त्रुटिपूर्ण थे तो निर्यातक द्वारा प्रदत्त किसी अन्य सूचना की कोई विश्वसनीयता नहीं है और प्राधिकारी के लिए उसके सत्य होने का पता लगाने का कोई तरीका नहीं है।
- ix. घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान यूएस में अपने संबंधित पक्षकार को संबद्ध वस्तु की आपूर्ति नहीं की है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

35. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

36. जांच शुरुआत के समय प्राधिकारी ने चीन जन. गण. को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानकर कार्रवाई की थी। जांच शुरुआत पर प्राधिकारी ने चीन जन. गण. में उत्पादकों / निर्यातकों को जांच शुरुआत सूचना का उत्तर देने की सलाह दी थी और यह सूचना देने के लिए कहा था कि क्या सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इनके आंकड़ों / सूचना को अपनाया जा सकता है। किसी भी विदेशी उत्पादक ने वर्तमान मामले में बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार का दावा नहीं किया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया है। यह एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भी उपयुक्त है।
37. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य के संबंध में पर्याप्त सूचना नहीं दी है। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों ने कोई वैकल्पिक सूचना नहीं दी है जिस पर भरोसा किया जा सकता हो। चीन के मामले में प्राधिकारी ने बिक्री कीमत या परिकलित मूल्य या बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी उचित तीसरे देश में निर्यात कीमत संबंधित किसी सूचना के अभाव में भारत में देय कीमत पर भरोसा किया है। जापान के मामले में किसी उत्पादक की भागीदारी के अभाव में प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
38. उत्पादक शेडोंग डैमिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड और शेडोंग लांटियन डिसिनफेक्शन टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड ने तिमाही आधार पर मार्जिन के निर्धारण का अनुरोध किया है। प्राधिकारी ने दिनांक 30 सितंबर, 2023 की जांच शुरुआत अधिसूचना के पैरा (25) के अनुसार वर्तमान जांच के लिए संगत सूचना मांगी है। तथापि, निर्धारित समय के भीतर तिमाही विश्लेषण के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, 1 मई 2024 को प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां मांगी थीं। फिर भी हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे किसी तिमाहीवार निर्धारण का अनुरोध नहीं किया। यह अनुरोध जांच की शुरुआत के 11 महीने बाद जांच की लगभग समाप्ति के समय किया गया। इस समय अनुरोध पर विचार करने का अर्थ यह होगा कि हितबद्ध पक्षकारों से पुनः सूचना मांगी जाए, उसका सत्यापन किया जाए और उसके बाद यह मूल्यांकन किया जाए कि क्या मार्जिनों को तिमाही आधार पर परिकलित करना चाहिए। तिमाहीवार आधार पर मार्जिनों के लिए देरी से अनुरोध को देखते हुए प्राधिकारी ने इस स्तर पर अनुरोध पर विचार करना उपयुक्त नहीं पाया है।
39. हेबेई जिंगफेई केमिकल कंपनी लिमिटेड ("हेबेई") द्वारा उत्तर के संबंध में उत्पादक ने दावा किया है कि उसने मूल रूप से गलत बीजक दिया है जिसे अनुभवहीन कर्मचारी द्वारा तैयार किया गया और उसमें बैंकिंग की जानकारी नहीं थी। तत्पश्चात बिक्री मैनेजर ने बीजकों में सुधार और संशोधन किया। उत्पादक ने संशोधित बीजक प्रस्तुत किए जिसमें बीजक की तारीख जांच अवधि के भीतर थी। प्राधिकारी ने उत्पादक, हाइबेई और उसके निर्यातक हाइड्रोटेक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("हाइड्रोटेक") द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजी साक्ष्य की जांच की। हाइबेई ने जांच अवधि के दौरान दो बीजकों 22एचटी411एच01 और 22एचटी415एच01 की सूचना दी है। आरंभ में प्रदत्त बीजक संख्या 22एचटी411एच01 को 10 मार्च 2022 को जारी किया गया था। हाइबेई ने बाद में वही बीजक प्रदान किया जनकी तारीख 2 अप्रैल 2022 थी। तथापि यह नोट किया गया है कि हाइड्रोटेक ने 31 मार्च 2022 को बिक्री के संबंध में अपना बीजक जारी किया। यह असंभव है कि निर्यातक ने उत्पादक से वस्तु को

खरीदने से पहले ही उसका निर्यात कर दिया हो। इसके अलावा, चीन के सीमा शुल्क के समक्ष प्रस्तुत सीमा शुल्क घोषणा में बीजक की तारीख 10 मार्च 2022 दी गई है। अतः यह स्पष्ट है कि उत्पादक, हाइबेई द्वारा दिया जा रहा संशोधित बीजक सही बीजक नहीं है, बल्कि उसे केवल वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ और प्राधिकारी को गुमराह करने के लिए तैयार किया गया है। इसी प्रकार, बीजक 22एचटी415एच01 के लिए प्रस्तुत सीमा शुल्क घोषणा की तारीख 31 मार्च 2022 है जबकि हाइबेई द्वारा प्रदत्त संशोधित बीजक में यथाउल्लिखित तारीख 15 अप्रैल 2022 है।

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि किसी हितबद्ध पक्षकार को यह दावा करने की अनुमति दी जाए कि प्रदत्त बीजक गलत थे तो पक्षकार द्वारा प्रदत्त सूचना को किसी भी तरह विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। हाइबेई द्वारा मूल रूप से प्रदत्त बीजक पर उसकी मोहर भी है। यदि उत्पादक को यह दावा करने की अनुमति दी जाए कि मूल बीजक गलत था जिससे सभी दस्तावेजों की सत्यता पर संदेह होता है। उक्त चर्चा के मद्देनजर प्राधिकारी पाते हैं कि हाइबेई द्वारा प्रस्तुत संशोधित बीजक जिसमें उसके सही बीजक होने का दावा किया गया है, किसी भी तरह से विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। अतः प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि वर्तमान जांच में हाइबेई को अलग शुल्क नहीं दिया जा सकता है।
41. अंत में हितबद्ध पक्षकार ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु की कीमतें कुशल उत्पादन पद्धतियों, वैश्विक बाजार की अस्थिर, कोयले और प्राकृतिक गैस, मांग – आपूर्ति में असंतुलन और कीमतों द्वारा प्रभावित होती हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, पाटनरोधी नियमावली और विशेष रूप से पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त ढंग से निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। इसका अनुपालन किया गया है और सामान्य मूल्य या निर्यात कीमत के निर्धारण के तरीके में कोई त्रुटि किसी पक्षकार द्वारा नहीं बतायी गई है। यह संभव है कि कीमतें हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उल्लिखित कारकों से प्रभावित हुई हो। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन के कारण कानून के अंतर्गत पूरी तरह अप्रासंगिक हैं। केवल पाटन की माजूदगी और मात्रा, पाटनरोधी कार्रवाई के लिए प्रासंगिक हैं और ऐसे पाटन के कारण महत्वपूर्ण नहीं हैं।
42. चूंकि चीन से अन्य सहयोगी उत्पादकों और चीन और जापान से असहयोगी उत्पादकों के लिए प्रारंभिक जांच परिणाम में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण के तरीके के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है। इसलिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर उसी आधार पर विचार किया गया है।
43. वर्तमान जांच में निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक	सामान्य मूल्य (अम.डॉ./मी.ट.)	निर्यात कीमत (अम.डॉ./मी.ट.)	पाटन मार्जिन (अम.डॉ./मी.ट.)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन
					(रेंज)
चीन					
शेडोंग गोल्डनस्टार वाटर एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	60-70
पुयांग क्लीनवे केमिकल्स लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
शेडोंग डैमिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
शेडोंग लैटियन डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी कंपनी	***	***	***	***	70-80
कोई अन्य	***	***	***	***	80-90
जापान					
कोई अन्य	***	***	***	***	10-20

छ. क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध**छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

44. प्रारंभिक जांच परिणाम के बाद क्षति, कारणात्मक संबंध और क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- i. आवेदक ने यह सिद्ध नहीं किया है कि पाटित आयातों से वास्तविक क्षति हुई है। आयातों में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।
 - ii. संबद्ध आयात देश में मांग से तालमेल रखते हैं जबकि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में काफी अधिक और सतत वृद्धि दर्शाई है।
 - iii. टीसीसीए के लिए मांग में भारी गिरावट कोविड लॉकडाउन के कारण वाणिज्यिक स्थानों और सार्वजनिक पूलों के सीमित उपयोग के कारण हुई है। संबद्ध आयातों में कोविड-19 के दौरान चीन की निर्यात क्षमताओं में व्यवधान के कारण भारी गिरावट आई है जो भारत में मांग के रुझान के समान है। मांग में वृद्धि के साथ आयातों में वृद्धि हुई है।
 - iv. विचाराधीन उत्पाद की कीमत और पहुंच कीमत में पूरी क्षति अवधि में वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि आयातित उत्पाद द्वारा कोई कीमत कटौती नहीं हुई थी। प्रिनिता केम द्वारा की गई खरीद पूछताछ से पता चलता है कि आवेदक की बिक्री कीमत आयात कीमत से अधिक या उसके बराबर है।
 - v. आयातित और घरेलू उत्पाद के बीच केवल कीमत अंतर पाटन नहीं हो सकता है। आवेदक का कीमत निर्धारण संबद्ध वस्तु की वैश्विक दरों के अनुसार है।
 - vi. प्राधिकारी को लाभप्रदता के प्रभाव के आकलन के लिए पूरी क्षति अवधि में कीमत कटौती निर्धारित करनी चाहिए।
 - vii. यह तथ्य कि आयातों का पहुंच मूल्य पूरी क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम था, कीमत कटौती का आकलन है और कीमत ह्रास / न्यूनीकरण का नहीं।
 - viii. टीसीसीए की पहुंच कीमत में कच्ची सामग्री की लागत में गिरावट की दर की तरह गिरावट नहीं आई थी।
 - ix. बिक्री लागत में समग्र वृद्धि के साथ उतार-चढ़ाव हुए थे जबकि बिक्री कीमत और पहुंच कीमत में भारी वृद्धि हुई। याचिकाकर्ता ने बिक्री लागत में केवल मामूली वृद्धि के साथ अपने लाभों में भारी वृद्धि देखी है। इस प्रकार आयातों द्वारा कोई कीमत न्यूनीकरण या ह्रास नहीं हुआ था।
 - x. याचिकाकर्ता के आर्थिक निष्पादन में सभी मापदंडों में भारी वृद्धि हुई है।
 - xi. यह तुलना 2020-21 पर आधारित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह कोविड-19 जैसे विभिन्न कारणों की वजह से प्रभावित असाधारण अवधि थी जिसमें कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि हुई, चीन में बाढ़ आई थी आदि। इस अवधि में घरेलू उद्योग को असामान्य उच्च लाभ हुआ और जब स्थिति स्थिर हो गई तो घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई, परंतु उसमें एक समग्र वृद्धि का रुझान रहा। बिल्कुल सही आकलन के लिए आधार वर्ष 2019-20 होना चाहिए।
 - xii. याचिकाकर्ता के उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग में भारी वृद्धि हुई। तथापि निर्यात बिक्री में भारी गिरावट आई है जो घरेलू उद्योग को क्षति का कारण हो सकता है।
 - xiii. घरेलू उद्योग की बिक्रियों में उसी अवधि के दौरान आयातों से प्रतिस्पर्धा में कमी के कारण भारी वृद्धि हुई है जिससे घरेलू उद्योग अपने बाजार हिस्से में वृद्धि कर पाया है। घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में बाजार स्थितियों के स्थिर हो जाने पर महामारी के पश्चात गिरावट आई है।
 - xiv. आवेदक 2021-22 में केवल चीन से पोत लादान में देरी के कारण वस्तुएं बेचने में सक्षम रहा था।
 - xv. समग्र बाजार हिस्से के आंकड़ों पर वृद्धि के रुझानों पर विचार किए बिना प्राधिकारी का भरोसा त्रुटिपूर्ण और गुमराह करने वाला है, क्योंकि वह गतिशील बाजार के मौलिक सिद्धांतों की अनदेखी करता है। आवेदक का बाजार हिस्सा आयातों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद बढ़ा है।

- xvi. आयातों ने 2021-22 और जांच अवधि के दौरान आधार वर्ष की तुलना में अपना बाजार हिस्सा गंवाया है।
- xvii. मालसूची का स्तर स्थिर बना रहा है जिसके कारण याचिकाकर्ता बिक्री और उत्पादन में भारी वृद्धि के बावजूद स्टॉक का पर्याप्त स्तर बनाए रखने में सक्षम रहा है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 में मालसूची के स्तर में वृद्धि कोविड महामारी के कारण अस्थायी बाजार व्यवधानों के कारण हुई थी।
- xviii. जांच अवधि के दौरान प्रति इकाई घाटे में गिरावट आई और निवेश पर आय में भी वृद्धि हुई।
- xix. बिक्री लागत जिसमें 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई, की तुलना में 44 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उच्चतर बिक्री कीमत के बावजूद वास्तविक लाभ में अनुपातिक वृद्धि नहीं हुई थी।
- xx. नकद प्रवाह के आंकड़े पूरी क्षति अवधि में नकारात्मक रहे और 2021-22 में उनमें भारी वृद्धि हुई। केवल निवेश पर आय में गिरावट आई है।
- xxi. कच्ची सामग्री की लागत में याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार 70 प्रतिशत की वृद्धि गलत है और उसमें साक्ष्य का अभाव है।
- xxii. बिक्री कीमत रणनीतिक कीमत निर्धारण या आंतरिक अकुशलताओं के कारण बिक्री लागत से कम है और संबद्ध आयातों के कारण नहीं।
- xxiii. रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी के संबंध में ऐसे कोई मापदंड नहीं थे, जो क्षति के लिए जिम्मेदार हों।
- xxiv. वृद्धि की जांच जो घरेलू उद्योग की मात्रा और कीमत प्रभाव विश्लेषण के समान है, त्रुटिपूर्ण है।
- xxv. पूंजी निवेश जुटाने की याचिकाकर्ता की क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।
- xxvi. आवेदक द्वारा प्रस्तुत पीओआई के बाद के आंकड़ों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
- xxvii. आर्थिक मापदंडों और कीमत तथा मात्रात्मक प्रभाव के न होने का विश्लेषण दर्शाता है कि कारणात्मक संबंध का पता लगाने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। प्राधिकारी को कम लाभ और क्षति के अन्य कारकों की जांच करनी चाहिए।
- xxviii. क्षति अवधि के दौरान मांग में गिरावट दर्शाती है कि स्वतंत्र बाजार शक्तियों के घरेलू उद्योग की वृद्धि प्रभावित हो रही थी।
- xxix. प्राधिकारी को कथित क्षति का उचित आकलन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक के लागत संरचना की जांच और सत्यापन करना चाहिए, क्योंकि त्रुटिपूर्ण लागत सूचना अन्य पक्षकारों की उनके हितों के बचाव की क्षमता को प्रभावित करती है।
- xxx. लागत में वृद्धि गैर उत्पादन लागतों जैसे कमीशन, छूट, रिबेट, भाड़ा आदि से संबद्ध है।
- xxxi. क्षति अवधि के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा ट्रायोन केमिकल प्रा० लि० के अधिग्रहण से कतिपय परिसंपत्तियों का पुनः मूल्यांकन हुआ था।
- xxxii. आवेदक की मूल्यहास लागत, ब्याज और निवल स्थिर परिसंपत्तियों में क्षमता में वृद्धि के बिना भारी वृद्धि होने की प्राधिकारी द्वारा अलग से जांच की जानी चाहिए।
- xxxiii. घरेलू उद्योग की अनेक अक्षमताएं हैं जिनमें उत्पादन सुविधा का स्थान, पुरानी तकनीक, भारी मूल्यहास और ब्याज तथा कम गुणवत्ता का उत्पाद शामिल है जिससे उत्पादन की लागत अधिक हो गई।
- xxxiv. ट्रायोन केमिकल्स के वित्तीय विवरण दर्शाते हैं कि उसे भारी घाटा हो रहा था और पुरानी मशीनरी के कारण वह उद्योग चलाने में सक्षम नहीं था।
- xxxv. घरेलू उद्योग को आंतरिक समस्याओं, वैश्विक रूप से खराब बाजार दशाओं, कच्ची सामग्री की कीमत में अस्थिरता, कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध का प्रभाव और संयंत्र के बंद होने के कारण क्षति हुई है जिसने याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचाई है।
- xxxvi. कोविड-19 महामारी के कारण स्विमिंग पुलों और जल उपचार सुविधाओं का लगभग पूरी तरह शटडाउन हो गया विचाराधीन उत्पाद के प्राथमिक उपभोक्ता हैं।

- xxxvii. 2022-23 की दूसरी तिमाही के वित्तीय विवरण के अनुसार याचिकाकर्ता का टीसीसीए संयंत्र तकनीकी समस्याओं और स्वामित्व अंतरण सहित आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहा था।
- xxxviii. याचिकाकर्ता ने माना है कि वह अपनी आय में पारंपरिक रूप से उच्च क्षमता उपयोग प्राप्त करने में असमर्थ रहा है।
- xxxix. आवेदक के वित्तीय विवरणों के अनुसार 2022-23 में लाभ में गिरावट आर्थिक मंदी के कारण हुई थी।
- xl. आवेदक के वित्तीय विवरण दर्शाते हैं कि आयातों से क्षति के दावे के बावजूद कंपनी को लाभ रहा था और वह टीसीसीए के आयातों का उल्लेख लाभ में गिरावट के कारण के रूप में नहीं करता है। टीसीसीए ने कुल आय में 10 प्रतिशत का योगदान दिया।
- xli. 2022-की तीस 23री तिमाही के वित्तीय विवरणों के अनुसार याचिकाकर्ता कंटेनर संबंधी समस्याओं के कारण यूएस को निर्यात करने में असमर्थ था जिस वजह से उसे भारतीय बाजार में बिक्री के लिए बाध्य होना पड़ा।
- xlii. आवेदक अपने उत्पाद की खराब गुणवत्ता के कारण यूएसए को निर्यात करने में असमर्थ रहा है।
- xliii. याचिकाकर्ता की वरीयता कम गुणवत्ता के उत्पाद की घरेलू मांग की तुलना में विशेष रूप से यूएस के बाजार के लिए प्रीमियम गुणवत्ता के टीसीसीए की निर्यात मांग को पूरा करने की रही है। वह यूएस के बाजार में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन की अपनी क्षमता को सक्रिय रूप से बढ़ा रहा है।
- xliv. चीन से आयातित उत्पाद खराब गुणवत्ता का है, जो अलग बाजार खंड को दर्शाता है।
- xlvi. नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत की आय और क्षतिरहित कीमत काफी अधिक बताई गई है जिससे घरेलू उद्योग को अनावश्यक लाभ और संरक्षण मिलता है। प्राधिकारी को उद्योग द्वारा अर्जित नियोजित पूंजी पर आय को तब अपनाना चाहिए जब पाटन का कोई आरोप नहीं लगा हो।

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

45. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के बाद क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान संबद्ध आयातों में गिरावट कोविड-19 के कारण मांग के अभाव की वजह से ही है। उसके बाद, संबद्ध आयातों में पूर्ण दृष्टि से और सापेक्ष दृष्टि से काफी वृद्धि हुई है और जांच की अवधि के दौरान उच्चतम थी।
 - आयातों की मात्रा में वृद्धि से घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग सीधे ही प्रभावित हुआ है।
 - आयातों की मात्रा जांच की अवधि के बाद में भी बढ़ती रही है।
 - संबद्ध आयातों में वृद्धि से मांग में वृद्धि समाप्त हुई है, विशेषकर जांच की अवधि के दौरान।
 - संबद्ध आयात भारत में लगभग पूरा बाजार हिस्सा बनाते हैं।
 - आयात जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागतों और कीमतों में काफी कटौती कर रहे थे और बाद की अवधि में वही स्थिति जारी रही।
 - संबद्ध आयातों की कीमतें जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की परिवर्तनीय लागतों से भी कम थी और अंतराल केवल 2023-24 में बढ़ा।
 - आयातों में घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण किया है।
 - यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि घरेलू उद्योग की कीमतें वैश्विक दरों के अनुरूप नहीं हैं और यह पहले ही सिद्ध किया जा चुका है कि निर्यातकों ने पाटन का सहारा लिया है।
 - 2023-24 के दौरान घरेलू उद्योग पहुंच कीमतों में गिरावट के अनुसरण में अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर था।

- xi. 2021-22 के दौरान घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि लेने में सक्षम था। तथापि, जांच की अवधि के दौरान आयातों में मांग में वृद्धि ली और अपना बाजार हिस्सा बढ़ाया।
- xii. घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग लगभग पूरी मांग पूरा करने की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद कम था।
- xiii. घरेलू उद्योग ने इस अवधि में अपनी क्षमता का केवल ***% लगाया। यह स्थिति जांच की अवधि के बाद ही कमजोर हुई।
- xiv. घरेलू उद्योग के पास, यदि मांग में वृद्धि होती है तो, भविष्य में ***मी.ट. तक अपनी क्षमता बढ़ाने की क्षमता है।
- xv. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री उसकी क्षमता की तुलना में नगण्य है।
- xvi. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और बाजार हिस्सा केवल 2021-22 तक बढ़ा है और उसके बाद उसमें गिरावट आई है।
- xvii. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा नगण्य था, जबकि आयात लगभग पूरी मांग के बराबर थे।
- xviii. संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग हानियों पर निर्यात करने और अपनी मालसूची का निपटान करने के लिए उत्पादन को प्रतिबंधित करने के लिए मजबूर था।
- xix. घरेलू उद्योग की औसत मालसूची पूरी क्षति की अवधि के दौरान की गई बिक्री के बराबर है और मालसूची धारण अवधि जांच की अवधि और उसके बाद की अवधि के दौरान काफी थी।
- xx. जांच की अवधि के प्रत्येक माह में धारित मालसूची माह के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा की गई बिक्री से काफी अधिक थी।
- xxi. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हानियां, नकद हानियां हुईं और नकारात्मक आय की रिपोर्ट दी जो जांच की अवधि के बाद बढ़ी है।
- xxii. यहां तक कि यदि जांच की अवधि की तुलना आधार वर्ष से की जाए तो घरेलू उद्योग को हुई कुल हानियां 591% तक बढ़ी।
- xxiii. घरेलू उद्योग के सामने नकारात्मक ईबीआईडीटीए आई है जो यह दर्शाती है कि उसकी पूंजी जुटाने की क्षमता प्रभावित हुई है।
- xxiv. घरेलू उद्योग पाटन के कारण जांच की अवधि के दौरान और उसके बाद अपना संयंत्र बंद करने के लिए मजबूर था, जो कोविड-19 के कारण नहीं हो सकता।
- xxv. हितवद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत घरेलू उद्योग को किसी मानदंड में कोई सुदृढ़ वृद्धि नहीं हुई है।
- xxvi. घरेलू उद्योग ने रोजगार और मजदूरी के स्तर के कारण क्षति का दावा नहीं किया है।
- xxvii. क्षति विश्लेषण में क्षति की अवधि के प्रत्येक वर्ष को माना जाना चाहिए और अंतिम बिंदु की तुलना नहीं हो सकती। केवल एक अवधि के आंकड़ों की तुलना 4 वर्षों की सूचना मांगने का प्रयोजन बेकार कर देता है और डब्ल्यूटीओ करार के उल्लंघन में है।
- xxviii. क्षति की अवधि में उत्पाद से संबंधित खर्चों में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत का विस्तार से सत्यापन नहीं किया जा सकता।
- xxix. सीधे बिक्री के खर्चें कुल उत्पादन लागत में नगण्य हैं और इस प्रकार उस पर वास्तविक प्रभाव नहीं है।
- xxx. हितवद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत कुछ साक्ष्य के आधार पर बढ़ी हुई है जिसे गोपनीय होने का दावा किया गया है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग उस पर टिप्पणी करने से अलग रखा गया है।
- xxxi. प्रपत्र IV क में सूचित अचल परिसंपत्तियों में उतार-चढ़ाव घरेलू और निर्यात बिक्री के बीच आबंटन के कारण है। उत्पादन के लिए कुल परिसंपत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं है।

- xxxii. परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन का प्रभाव नियोजित पूंजी से अलग किया गया है।
- xxxiii. यदि कोई अवधि अन्य कारकों से प्रभावित है तो ऐसे कारकों का प्रभाव अलग किया जा सकता है। तथापि, उस अवधि की उपेक्षा नहीं की जा सकती।
- xxxiv. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत क्षति संबंधी सूचना उसके घरेलू प्रचालनों से ही संबंधित है और निर्यातों में गिरावट से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।
- xxxv. घरेलू उद्योग को 2022-23 के दौरान क्षति हुई है जो कोविड-19 से प्रभावित हुई थी। कोविड-19 महामारी का प्रभाव पाटनरोधी शुल्क से बचने के लिए आधार के रूप में पूरी तरह नहीं दर्शाया जा सकता।
- xxxvi. संबद्ध सामानों के लिए बाजार पर रूस-यूक्रेन युद्ध का कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि दोनों देश संबद्ध देश नहीं हैं, कोई प्रमुख सामग्री की आपूर्ति नहीं की है और घरेलू उद्योग के लिए प्रमुख निर्यात बाजार नहीं है।
- xxxvii. हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग की ऐसी कोई आंतरिक अदक्षताओं की पहचान करने में विफल रहे हैं जिनसे क्षति हो सकती हो।
- xxxviii. संबद्ध सामानों की प्रकृति पर विचार करते हुए संयंत्र के स्थान का कोई संबंध नहीं है और घरेलू उद्योग ने अहमदाबाद से ही कच्ची सामग्री ली है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को क्षति उसके स्थान के कारण नहीं है।
- xxxix. हितबद्ध पक्षकारों ने प्रौद्योगिकी निष्प्रयोज्यता का दावा करने के लिए डार्डस्टफ से संबंधित संयंत्र के बंद होने पर विश्वास किया है, जो वर्तमान मामले में संगत नहीं है।
- xl. अर्निंग कान्फ्रेंस कालों में किए गए विवरण जांच की अवधि से संबंधित नहीं हैं और ऐतिहासिक आंकड़ों से संबंधित हैं।
- xli. कन्टेनर संबंधी मुद्दों के कारण कम हुए निर्यातों से संबंधित वित्तीय विवरणों में विवरण के संदर्भ के संबंध में वह घरेलू बाजार में बिक्री में गिरावट नहीं बताता।
- xlii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकाशित वित्तीय विवरणों में समग्र रूप से कंपनी की सूचना है न कि समान वस्तु की, और इस प्रकार, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता।
- xliii. प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे घरेलू उद्योग को हुई क्षति पर विचार करें क्योंकि वह विद्यमान है और यह अपेक्षित नहीं है कि वे घरेलू उद्योग के अंतर्निहित कारकों के लिए गैर-आरोपण विश्लेषण करें।
- xliv. अधिकरण ने पूर्व में यह माना है कि जब तक पक्षकार विभिन्न स्तर पर आय की आवश्यकता नहीं दर्शा पाएं, तब तक 22% आय की उपर्युक्त रूप में अनुमति दी जाएगी।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 46. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए जाने के बाद किए गए घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति तर्कों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा किया गया विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नीचे हल करता है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में घरेलू उद्योग को क्षति की पूर्व में जांच की थी। उसकी जांच वर्तमान अंतिम जांच परिणामों में उस सीमा तक नहीं की गई है जहां तक वह प्रारंभिक जांच परिणामों पहले की जा चुकी है।
- 47. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि क्षति विश्लेषण के लिए जांच की अवधि की तुलना आधार वर्ष से की जानी चाहिए न कि पूर्व वर्ष से। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वस्तुपरक क्षति विश्लेषण केवल दो अवधियों की तुलना के आधार पर नहीं हो सकता। क्षति विश्लेषण में क्षति की अवधि का भाग बनने वाले प्रत्येक वर्ष को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे विश्लेषण के अभाव में चार वर्षों की सूचना मांगने का मुद्दा बेकार हो जाता है। ब्राजील से मेलेबल कास्ट आयरन ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग्स के संबंध में यूरोपीय समुदाय – पाटनरोधी शुल्क में डब्ल्यूटीओ पैनल ने भी यह निष्कर्ष निकालते हुए वही नोट किया है कि क्षति विश्लेषण में प्रत्येक अवधि के लिए वास्तविक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

“इस प्रकार, “अंतिम बिंदुओं” की ही तुलना की अपेक्षा प्रत्येक क्षतिकारक और तत्वों में वास्तविक मध्यवर्ती प्रवृत्तियों को सार्थक जांच के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए। जांचकर्ता प्राधिकारी के समक्ष एक स्पष्ट, उपयुक्त

और विघटन-रहित तस्वीर तथ्यों से लाई जानी चाहिए। निर्धारण में उद्योग की वर्तमान स्थिति लेने वाले आंकड़ों के ऐसे पूरे और प्रभावशाली मूल्यांकन के आधार पर ही समीक्षाकर्ता पैनल यह निर्धारित करने में सक्षम होगा कि क्या जांच से निकाले गए निष्कर्ष निष्पक्ष और उद्देश्यपरक प्राधिकार के हैं।”

इसके मद्देनजर, प्राधिकारी ने प्रत्येक अवधि पर विचार करते हुए क्षति की प्रवृत्ति की जांच की है। तथापि, क्षति विश्लेषण करने में प्रत्येक अवधि को प्रभावित करने वाले कारकों पर उचित ध्यान दिया गया है।

48. घरेलू उद्योग ने 2023-24 और अप्रैल से जून, 2024 की अवधि की भी सूचना प्रस्तुत की है। घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना यह दर्शाती है कि आयात बढ़े हैं और उससे घरेलू उद्योग को और क्षति हुई है। घरेलू उद्योग काफी अवधि के लिए अपना संयंत्र बंद करने के लिए भी मजबूर था। तथापि, उस अवधि की सूचना से प्राधिकारी क्षति की अवधि पर आधारित सूचना की अपेक्षा किसी मानदंड के संबंध में भिन्न निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं और घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि के बाद आने वाली अवधि के लिए सूचना पर विचार करने की आवश्यकता का औचित्य नहीं दिया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने उस सूचना की जांच नहीं की है।
49. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग के वित्तीय विवरण यह दर्शाते हैं कि उन्होंने लाभ अर्जित किया है, हुई क्षति के दावे को नकारते हुए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के (vi) के प्रावधानों के तहत घरेलू उद्योग को क्षति समान वस्तु के संबंध में देखे जाने की आवश्यकता है न कि समग्र रूप से कंपनी के निष्पादन के संबंध में। अतः वित्तीय विवरणों का संदर्भ उपयुक्त नहीं है, क्योंकि घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद कंपनी है।
50. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि आवेदक की लागत संरचना का सत्यापन किया जाना चाहिए और वह बढ़ाई हुई हो सकती है। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 8 के प्रावधानों के अनुसार विस्तार से घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन किया है। उस सत्यापित सूचना पर ही वर्तमान जांच के लिए विश्वास किया गया है।

ज. क्षति का संचयी मूल्यांकन

51. प्रारंभिक जांच परिणामों में प्राधिकारी ने यह नोट किया कि:

- क. संबद्ध देशों से संबद्ध सामान भारत में पाटित किए जा रहे हैं। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है।
- ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा अलग अलग आयातों की कुल मात्रा के 3% से अधिक है।
- ग. आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से आयात केवल सीधे ही उनमें से प्रत्येक द्वारा पेश की गई समान वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं करते बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश की गई समान वस्तुओं से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

52. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी ने यह माना कि घरेलू उद्योग पर चीन जन.गण. और जापान से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन करना उपयुक्त है। प्रारंभिक जांच परिणामों में निकाले गए निष्कर्षों से हटने के लिए किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

झ. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) मांग का मूल्यांकन/स्पष्ट खपत

53. जैसा कि पैरा 56-57 में नोट किया गया है संबद्ध सामानों के लिए मांग में 2020-21 में गिरावट आई परंतु उसके बाद वह धीरे-धीरे बढ़ी। घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों ने यह उल्लेख किया है कि संबद्ध सामानों के लिए मांग कोविड-19 से प्रभावित हुई थी। तथापि, यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान मांग में सुधार हुआ और पूर्व अवधियों से अधिक है।

ख. संबद्ध देशों से आयात मात्राएं

54. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में यह नोट किया कि आयातों की मात्रा में उत्पादन और खपत के संबंध में तथा पूर्ण दृष्टि से वृद्धि हुई है। विशेष रूप से 2020-21 में गिरावट के बाद क्षति की अवधि के दौरान 236% तक वृद्धि हुई। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि आयातों में वृद्धि

कोविड-19 से सुधार के बाद मांग में वृद्धि के परिणामस्वरूप थी। तथापि, यह अनुरोध किया जाता है कि कोविड से ठीक होने के बाद पूर्व वर्ष की तुलना में मांग में 194% तक वृद्धि हुई। इसके विपरीत, आयातों में 236% की उच्चतर दर पर वृद्धि हुई है। अतः आयातों में वृद्धि पूर्णतः मांग में वृद्धि के कारण नहीं है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
संबद्ध आयात	मी.ट.	4,414	1,742	1,917	6,433
चीन	मी.ट.	4,211	1,710	1,705	6,203
जापान	मी.ट.	203	33	212	230
अन्य देश	मी.ट.	-	42	21	100
कुल आयात	मी.ट.	4,414	1,784	1,938	6,533
बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	मी.ट.	100	40	1343	1173
उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	401	344	257
मांग	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	40	53	155
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात :					
कुल आयात	%	100%	98%	99%	98%
उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	10	13	57
खपत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	82	94

झ.1 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

क) कीमत कटौती

55. प्रारंभिक जांच परिणामों में प्राधिकारी ने नोट किया कि कीमत कटौती जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक और काफी है।

विवरण	इकाई	जांच की अवधि
निवल बिक्री कीमत	रु./ मी.ट.	***
पहुंच कीमत	रु./ मी.ट.	1,55,707
कीमत कटौती	रु./ मी.ट.	***
कीमत कटौती	%	***
रेंज	रेंज	30-40%

56. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि कीमत कटौती की जांच घरेलू उद्योग की लाभप्रदता की पृष्ठभूमि में पूरी क्षति अवधि में की जानी चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों की कीमत पूरी क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रखी गई है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कम रहा है, जबकि आयात प्रत्येक अवधि में अधिकतम बाजार के हैं। घरेलू उद्योग को उस समय हानियों में भी वृद्धि हुई है जब जांच की अवधि के दौरान कीमत कटौती बढ़ी जिसका अर्थ घरेलू उद्योग की कीमतों पर भारी दबाव है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
बिक्री कीमत	रु./ मी.ट.	***	***	***	***
पहुंच कीमत	रु./ मी.ट.	1,17,929	1,05,265	1,66,360	1,55,707
कीमत कटौती	रु./ मी.ट.	***	***	***	***

कीमत कटौती	%	***	***	***	***
रेंज	रेंज	20-30%	30-40%	10-20%	30-40%

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

57. प्रारंभिक जांच परिणामों में, प्राधिकारी ने यह पाया कि आयातों का पहुंच मूल्य पूरी क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से कम था। परिणामस्वरूप आयातों से कीमत वृद्धि रुकी जो अन्यथा हुई होती क्योंकि घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतें बढ़ाने में सक्षम नहीं था। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया था कि घरेलू उद्योग की पहुंच कीमत कच्ची सामग्री की लागत के अनुरूप नहीं बढ़ी।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
बिक्री लागत	रु./ मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	74	111
बिक्री कीमत	रु./ मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	130	144
पहुंच कीमत	रु./ मी.ट.	1,17,929	1,05,265	1,66,360	1,55,707
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	141	132
कच्चे माल की लागत	रु./ मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	70	74	125

58. इस संबंध में, कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि पहुंच कीमत बिक्री कीमत से कम होने के नाते कीमत कटौती का मानदंड है न कि कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण का। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण की जांच बिक्री कीमत और बिक्री लागत के संदर्भ में किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, पहुंच कीमत की प्रवृत्तियों और पहुंच कीमत और बिक्री कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर आयातों के प्रभाव को समझने में मदद करते हैं। यह संगत है क्योंकि प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वे न केवल कीमत ह्रास/न्यूनीकरण की मौजूदगी का निष्कर्ष निकालें बल्कि क्या आयातों से कीमत न्यूनीकरण/ह्रास हुआ है, यह भी निष्कर्ष निकालें। वर्तमान मामले में पहुंच कीमत, बिक्री लागत और बिक्री कीमत की तुलना यह दर्शाती है कि आयातों ने कीमत वृद्धि रोकी है, जो अन्यथा हुई होती।

59. निम्नलिखित तालिका आवेदक की बिक्री लागत और बिक्री कीमत तथा आयातों की पहुंच कीमत में वर्ष दर वर्ष परिवर्तन दर्शाती है।

विवरण	वर्ष वर्ष/	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
बिक्री लागत	रु./एमटी		(***)	(***)	***
सूचीबद्ध	%		(11)	(17)	49
बिक्री कीमत	रु./एमटी		(***)	***	***
सूचीबद्ध	%		(2)	32	11
रु./एमटी	रु./एमटी		(12664)	61095	(10653)

60. यह देखा गया है कि वर्ष 2019-20 में घरेलू उद्योग हानियों में था वर्ष 2020-21 में बिक्री लागत में लगभग ***रु. प्रति मी.ट. गिरावट आई। आवेदक की बिक्री कीमत इस अवधि में केवल ***रु. प्रति मी.ट. तक कम हुई। बाद की अवधि में बिक्री लागत में ***रु. प्रति मी.ट. तक गिरावट आई परंतु बिक्री कीमत ***रु. तक बढ़ी। घरेलू उद्योग की स्थिति हानियों से ठीक हुई और 2021-22 में लाभ कमाए। यही वह अवधि थी जब आयात कीमतें भी ऊपर चढ़ी और बाजार में आयातों के हिस्से में गिरावट आई।
61. जांच की अवधि में, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत ***रु. प्रति मी.ट. तक बढ़ी है परंतु बिक्री कीमत केवल ***रु. प्रति मी.ट. तक बढ़ी है। बिक्री कीमत में वृद्धि बिक्री लागत में वृद्धि के अनुरूप नहीं है। यह इस कारण है कि इस अवधि में आयातों की मात्रा बढ़ी और बिक्री लागत में वृद्धि के बावजूद आयात कीमत में गिरावट आई।

झ.2 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड**क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा**

62. प्रारंभिक जांच परिणाम में, प्राधिकारी ने नोट किया कि घरेलू उद्योग अपनी क्षमता केवल ***% तक लगाने में सक्षम था। घरेलू उद्योग के सामने कम उपयोग की गई क्षमताओं की समस्या थी, और जांच की अवधि के महत्वपूर्ण भाग के लिए अपना संयंत्र बंद करने के लिए मजबूर था। घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में अपना उत्पादन और क्षमता का छोटा सा हिस्सा ही बेचने में सक्षम था। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग हानियों पर संबद्ध सामानों का निर्यात करने के लिए मजबूर था।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
संस्थापित क्षमता	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	401	344	257
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	401	345	257
घरेलू बिक्रियां	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	39	1345	1172

63. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कोविड-19 के कारण आयातों में कमी के कारण बढ़ी और जब बाजार स्थिति स्थिर हुई तो उसमें गिरावट आई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उस स्थिति में गिरावट के लिए घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री का कोई कारण नहीं है। जब जांच की अवधि के दौरान मांग में सुधार हुआ है। बिक्री में यह गिरावट बाजार के “स्थिरीकरण” नहीं माना जा सकता। मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू बिक्री में गिरावट यह दर्शाती है कि आयातों ने बाजार में भारी हिस्से को आने से घरेलू उद्योग को रोका है।
64. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि देश में क्षमता काफी है और मांग की तुलना में है। घरेलू उद्योग उपयुक्त रूप से उच्च क्षमता उपयोग पर प्रचालन कर सकता था, यदि जांच की अवधि के दौरान अधिक बाजार हिस्से को पूरा करने वाले आयातों के लिए नहीं।

ख. बाजार हिस्सा

65. घरेलू उद्योग और आयातों का बाजार हिस्सा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया था:

बाजार हिस्सा	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	1700	500
संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	83	94
अन्य आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	50	50

66. प्रारंभिक जांच परिणामों में प्राधिकारी ने यह नोट किया कि भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक होने के बावजूद और मांग के लगभग ***% के बराबर क्षमता होने के बावजूद भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग का हिस्सा केवल ***% है। संबद्ध देशों से आयात जांच की अवधि के दौरान ***% हिस्से के साथ पूरी क्षति अवधि में भारतीय बाजार पर प्रभावी होने जारी रहे हैं।
67. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि प्राधिकारी को बाजार हिस्से के आंकड़ों पर ही विश्वास नहीं करना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा अत्यधिक कम है, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर आयातों का प्रभाव समझने के लिए पूर्ण सूचना पर विचार करना महत्वपूर्ण है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा ही कम नहीं है बल्कि पूर्व वर्ष तक बढ़ने के बाद जांच की अवधि के दौरान उसने गिरावट भी दर्ज की है।

68. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग चीन से लगान में विलंब के कारण ही 2021-22 में सामान बेचने में सक्षम था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तथ्य इस निष्कर्ष को नहीं नकारता कि घरेलू उद्योग को बाजार हिस्से में गिरावट आई है और उसका बाजार में बहुत कम हिस्सा है, इसके विपरीत, यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग पाटन के अभाव में अधिक बाजार हिस्सा पूरा करने की स्थिति में है।

ग) मालसूची

69. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
आरंभिक मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***
औसत मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	154	182	99

70. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची 2021-22 तक निरंतर बढ़ी है और केवल जांच की अवधि के दौरान कम हुई है। तथ्य, घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में अपने उत्पादन का निपटान करने में सक्षम नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची धारण अवधि *** दिन है।

ख) लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

71. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के संबंध में, प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में नोट किया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता का जांच की अवधि के दौरान हास हुआ है। घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान निवेश पर हानियां, नकद हानियां और नकारात्मक आय हुई है। प्रारंभिक जांच परिणामों में टिप्पणियों से हटने के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध अथवा साक्ष्य नहीं दिया गया है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग की लाभप्रदता प्रभावित करने वाले अन्य कारकों का उल्लेख किया है। उनकी जांच कारणात्मक संपर्क की जांच करते समय, उनकी निम्नलिखित रूप में की गई है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
बिक्री लागत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	74	111
बिक्री कीमत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	130	144
लाभ (हानि)/	रु./मी.ट.	(***)	(***)	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(75)	11	(59)
लाभ(हानि)/	लाख रु.	(***)	(***)	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(29)	142	(691)
नकद लाभ	लाख रु.	(***)	(***)	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(25)	450	(574)
निवेश पर आय	%	(***)	(***)	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(72)	32	(90)

72. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी दावा किया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत कमीशन, छूट, रियायत, आदि में वृद्धि के कारण बढ़ी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रति इकाई आधार पर घरेलू उद्योग की बिक्री लागत आधार वर्ष की तुलना में 11% तक बढ़ी है। कमीशन, छूट, रियायत आदि के कारण यह लागत घरेलू उद्योग की कुल लागतों के केवल 1% है, और इस प्रकार काफी नहीं है। अतः, बिक्री लागत ने वृद्धि को घरेलू उद्योग पर लगाए गए कमीशन, छूट, रियायत आदि के कारण नहीं हो सकती। वस्तुतः घरेलू उद्योग ने यह जोर दिया है कि कच्ची सामग्री की लागतों में भारी वृद्धि हुई है।

73. अचल परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में उनका प्रभाव अलग किया गया था और प्राधिकारी द्वारा मानी गई निवल अचल परिसंपत्तियों से अलग किया गया था।
74. हितबद्ध पक्षकारों ने प्रपत्र IV के आधार पर क्षमता में कोई वृद्धि न होने के बावजूद मूल्यहास, ब्याज लागत और नियोजित पूंजी में वृद्धि के बीच अंतर का उल्लेख भी किया है। घरेलू उद्योग ने यह स्पष्ट किया है कि यह घरेलू और निर्यात बिक्री के बीच आबंटन के कारण है और कुल लागतों में कोई वास्तविक वृद्धि नहीं है। निम्नलिखित तालिका घरेलू और निर्यात बाजारों, दोनों के लिए घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित पूंजी और कुल मूल्यहास तथा ब्याज लागत दर्शाती है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
मूल्यहास	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	108	108
ब्याज लागत	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	182	136
नियोजित पूंजी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	99	81

75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल्यहास लागत 8% तक बढ़ी है। यह वृद्धि घरेलू उद्योग के लेखांकन रिकॉर्ड और अपनाई गई लेखांकन नीतियों के अनुरूप पाई गई है। किसी भी दशा में, मूल्यहास में वृद्धि घरेलू उद्योग की हानियों का कारण होने के लिए काफी नहीं है। मूल्यहास लागत क्षति की अवधि में ***लाख रु. तक बढ़ी है जबकि घरेलू उद्योग की हानियां ***लाख रु. तक बढ़ी हैं। यद्यपि ब्याज लागतों में अधिक वृद्धि है, तथापि यह लागतें केवल 1% पर कुल लागत के संबंध में नगण्य हैं।
76. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में भारी गिरावट आई है। तथापि, यद्यपि मूल्यहास लागत वही रही है फिर भी ब्याज लागत में वास्तव में पूर्व वर्ष की तुलना में गिरावट आई है।

ड.) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

77. प्रारंभिक जांच परिणामों में, प्राधिकारी ने यह नोट किया कि घरेलू उद्योग ने इस कारण क्षति का दावा नहीं किया है। हितबद्ध पक्षकारों ने इस बात पर जोर दिया है कि घरेलू उद्योग की कर्मचारियों की संख्या, मजदूरी और उत्पादकता बढ़ी है। चूंकि प्राधिकारी ने इस मानदंड के संबंध में क्षति का निष्कर्ष नहीं निकाला है। अतः मानदंड की पुनः जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	132	134
वेतन और मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	151	147
प्रति दिन उत्पादकता	मी.ट./दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	400	300	300
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट./संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	320	260	180

च) वृद्धि

78. प्रारंभिक जांच परिणामों में घरेलू उद्योग की वृद्धि के संबंध में किए गए निष्कर्षों से हटने के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं। तदनुसार, प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा 81 की विषयवस्तु की पुष्टि करते हैं।

छ) पूंजी निवेश जुटाने के लिए क्षमता पर प्रभाव

79. यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया कि आयातों से पूंजी निवेश जुटाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता प्रभावित नहीं हुई है तथापि, उन्होंने इस दावे का कोई आधार नहीं दिया है। तदनुसार, प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों में पैरा 82 की विषयवस्तु की पुष्टि करते हैं।

ज) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

80. जैसा कि प्रारंभिक जांच परिणामों में नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान लाभप्रद स्तर तक अपनी कीमतें बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है और हानियों पर सामन बेचे हैं। इसके अतिरिक्त, कम कीमत वाले आयातों से भी कम बाजार हिस्सा बना है और कम उपयोग की गई क्षमता रही है जिससे अंततः आवेदक अपने प्रचालन बंद करने के लिए मजबूर हुआ। इस प्रकार, संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतें प्रभावित हुई हैं।

झ) पाटन की मात्रा

81. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का काफी पाटन है जिसने बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को नष्ट किया है।

झ.3 क्षति का समग्र मूल्यांकन

82. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी यह पाते हैं कि प्रारंभिक जांच परिणामों में टिप्पणियां, क्षति पर विचार करते हुए, मानी जानी जारी रहती हैं। संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि:

- i. इस तथ्य के बावजूद कि घरेलू उद्योग के पास लगभग ***% पूरी भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है तथापि आयातों का बाजार पर प्रभाव रहा है।
- ii. आयात 2020-21 और 2021-22 में कम हुए परंतु उसके बाद 236% तक बढ़े और जांच की अवधि के दौरान अधिकतम थे।
- iii. आयात घरेलू उद्योग के उत्पादन से 689% अधिक हैं और भारतीय बाजार का ***% हैं।
- iv. संबद्ध देशों से आयात भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों के लगभग पूर्णता में हैं।
- v. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं। कीमत कटौती जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक और काफी थी।
- vi. आयातों ने घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि रोकी है जो अन्यथा हुई होती।
- vii. क्षति की अवधि में कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि के बावजूद निर्यातकों ने आयातों की पहुंच कीमत नहीं बढ़ाई है।
- viii. ***% मी.ट.क्षमता होने के बावजूद घरेलू उद्योग की नियोजित क्षमता केवल ***मी.ट.थी।
- ix. इसके बावजूद घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान अपनी क्षमता का केवल ***% उपयोग करने में सक्षम रहा है।
- x. घरेलू उद्योग 12 जनवरी, 2023 को अपना संयंत्र बंद करने के लिए मजबूर था और जांच की अवधि के दौरान उसे पुनः आरंभ करने में सक्षम नहीं रहा है।
- xi. मांग में घरेलू उद्योग का हिस्सा केवल ***% है और उसने घरेलू बाजार में अपने उत्पादन का केवल ***% बेचा है।
- xii. घरेलू उद्योग की औसत मालसूची धारण अवधि जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक है।
- xiii. घरेलू उद्योग को काफी वित्तीय हानियां हो रही हैं। घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान निवेश पर नकारात्मक आय और नकद हानियों के साथ हानियां हुई हैं।
- xiv. आयातों से घरेलू उद्योग की और अधिक पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।
- xv. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं।

xvi. पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

83. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

झ.4 गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संपर्क

84. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि मांग में गिरावट से घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रभावित हुआ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग जांच की अवधि के दौरान काफी बढ़ी है और क्षति की अवधि के प्रत्येक वर्ष की तुलना में अधिकतम थी। इस प्रकार, मांग में संकुचन घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला कारक नहीं है।
85. हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के निष्पादन पर कोविड-19 के प्रभाव का भी भारी जोर दिया है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2020-21 में कोविड-19 का काफी प्रभाव था जिसके कारण उत्पाद की मांग 60% तक कम हुई। यह स्विमिंग पूल और जलशोधन सुविधाओं के पूरी तरह बंद होने के कारण था जो हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उल्लेख किए गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद के प्रारंभिक उपभोक्ता हैं। इस अवधि में आयातों में भी गिरावट आई। तथापि, 2021-22 में जब मांग बढ़ी तो आयातों में वृद्धि तदनु रूप नहीं थी। घरेलू उद्योग के निष्पादन में इस अवधि में सुधार हुआ। जांच की अवधि के दौरान मांग पुनः काफी बढ़ी है परंतु आयातों में वृद्धि अत्यधिक है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि घरेलू उद्योग के निष्पादन पर कोविड-19 का निरंतर प्रभाव है।
86. यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों ने प्रौद्योगिकी की निष्प्रयोज्यता का दावा किया है, तथापि आंतरिक अदक्षताओं और संयंत्र के स्थान से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, तथापि उसका कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। यह दावा करने में कि घरेलू उद्योग ने पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया है, पक्षकारों ने डार्ज और डाइजस्टफ से संबंधित संयंत्र के बंद होने पर विश्वास किया है जो यह नहीं दर्शाता कि संबद्ध सामानों का संयंत्र पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है। जहां तक अदक्षताओं का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि वह वास्तव में अपनी परिवर्तन लागत कम करने में सक्षम रहा है। आधार वर्ष की तुलना में यद्यपि कच्ची सामग्री की लागत 25% तक बढ़ी, तथापि बिक्री लागत केवल 11% तक बढ़ी क्योंकि परिवर्तन लागत 12% तक कम हुई। जहां तक संयंत्र के स्थान का संबंध है, हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के निष्पादन पर उसका प्रभाव नहीं बताया अथवा दर्शाया है।
87. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने ट्रायन केमिकल्स से पुराना संयंत्र प्राप्त किया, जो काफी हानियों में था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह घरेलू उद्योग का मामला नहीं है कि पाटन केवल जांच की अवधि के दौरान ही शुरू हुआ है। घरेलू उद्योग ने इस बात पर जोर दिया है कि 2017 से प्रचालनों में रहने के बावजूद, घरेलू उद्योग आयातों के कारण ठीक होने में सक्षम नहीं रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस पूरी अवधि में आयात देश में लगभग पूरी मांग के बराबर रहे हैं। 2021-22 के दौरान, जब आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई तो घरेलू उद्योग लाभदायक स्तर तक अपने निष्पादन में सुधार करने में सक्षम रहा है। इसके मद्देनजर, यह नहीं माना जा सकता कि घरेलू उद्योग को पुरानी प्रौद्योगिकी के प्रयोग के कारण क्षति हुई है।
88. इसी तरह, हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग को रूस-यूक्रेन युद्ध अथवा वैश्विक बाजार प्रभावों के कारण क्षति हुई है। तथापि, देश के घरेलू बाजार पर इन कारकों का प्रभाव नहीं दर्शाया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में मांग उपर्युक्त कारकों से प्रभावित नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, यद्यपि उत्पादन लागत में वृद्धि हुई, तथापि आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट आई। पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी। अतः घरेलू उद्योग को क्षति बाजार में पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण है न कि रूस-यूक्रेन युद्ध अथवा अन्य देशों के बाजार प्रभावों के कारण।
89. जहां तक कच्ची सामग्री की कीमतों में उतार-चढ़ाव का संबंध है, उसे भी प्राधिकारी द्वारा देखा गया है। तथापि, पाटन के अभाव में कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि से निचले स्तर के उत्पाद की कीमत में भी सामान्य रूप से वृद्धि होगी। वर्तमान मामले में आयातों ने यह कीमत वृद्धि रोकी है।
90. हितबद्ध पक्षकारों ने यह आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग को उसके उत्पाद की कमजोर गुणवत्ता के कारण क्षति हुई है। प्राधिकारी ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए सामान कमजोर गुणवत्ता के हैं। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना और साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग अपेक्षित गुणवत्ता और आयातित उत्पाद के तुलनीय के सामानों की आपूर्ति कर रहा है, जैसा कि ऊपर उल्लिखित विवरण में नोट किया गया है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए सामान

कमजोर गुणवत्ता के हैं, तथापि अन्य पक्षकारों ने यह दावा किया है कि चीनी उत्पाद विभिन्न बाजार क्षेत्रों को दर्शाते हुए कमजोर गुणवत्ता के हैं। तथापि, यह दर्शाने के लिए रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं है कि चीन से आयातित सामान भारतीय सामानों की प्रतिस्पर्धा नहीं करते। इसके विपरीत, आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट की सीधी प्रतिक्रिया में, घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ। यह प्रवृत्ति जांच की अवधि के दौरान उस समय उल्टी हुई जब आयातों की मात्रा और बाजार हिस्से में प्रतिकूल रूप से मात्रा और लाभप्रदता मानदंडों में घरेलू उद्योग को प्रभावित करते हुए वृद्धि हुई।

91. अंत में, कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग को निर्यात करने में उसकी अक्षमता के कारण क्षति हुई है जबकि अन्य ने आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग का घरेलू बाजार की लागत पर निर्यात बाजार पर जोर है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने क्षमताओं का काफी कम उपयोग किया है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग के पास घरेलू बाजार के बहुत बड़े हिस्से को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता थी। अतः यह नहीं माना जा सकता कि घरेलू उद्योग ने निर्यात बाजार को प्राथमिकता दी। जहां तक निर्यात करने में आरोपित अक्षमता का संबंध है, वह घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री अथवा बाजार हिस्से में गिरावट नहीं बताती। यदि निर्यात बिक्री के कारण ही घरेलू उद्योग ने मात्रा खोई होती तो उसके क्षमता उपयोग में गिरावट आई होती न कि उसकी घरेलू बिक्री अथवा बाजार हिस्से में। इसके अतिरिक्त, उत्पादन लागत, बिक्री कीमत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर आय, आदि के मानदंडों की घरेलू प्रचालनों के लिए ही जांच की गई है। इस प्रकार, प्राधिकारी यह पाते हैं कि घरेलू उद्योग को उसके निर्यात प्रचालनों के कारण घरेलू बाजार में क्षति नहीं हुई है।

कारणात्मक संपर्क संबंधी निष्कर्ष

92. यद्यपि नियमों के तहत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है, तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित मानदंड यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों से हुई है।
- i. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का पाटन हो रहा है।
 - ii. आयात मात्रा जांच की अवधि में अधिकतम थी। आयातों में पिछले दो वर्षों में कोविड के कारण मांग में कमी के कारण ही गिरावट आई।
 - iii. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे थे। परिणामस्वरूप, चोट की अवधि के दौरान आयात में वृद्धि हुई है।
 - iv. 2021-22 में आयात मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। परिणामस्वरूप, बिक्री की लागत में गिरावट के बावजूद घरेलू उद्योग इस अवधि में अपनी कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम था। तथापि, उसके बाद, उत्पादन उत्पादन में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। हालांकि, आयात कीमतों में वृद्धि नहीं हुई। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को कीमतों में कमी का सामना करना पड़ा। घरेलू उद्योग को लागत में वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमतें बढ़ाने से रोका गया था। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को पीओआई में काफी अधिक नुकसान उठाना पड़ा।
 - v. आयातों की मात्रा जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की खपत और उत्पादन के संबंध में बढ़ी और भारतीय उत्पादन के संबंध में ***% है।
 - vi. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की काफी कटौती कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग बाजार में सामग्री बेचने में असमर्थ था, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमताओं का काफी कम उपयोग हुआ।
 - vii. सस्ती कीमतों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव बना है, कीमत वृद्धि रुकी है जो अन्यथा हुई होती। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान, नकद नुकसान और निवेश पर नकारात्मक रिटर्न मिला।
 - viii. यहां तक कि जब कच्ची सामग्री की कीमतें जांच की अवधि में बढ़ी तो आयातों की कीमतें नहीं बढ़ी।
 - ix. घरेलू उद्योग की क्षमताएं भारी रूप से कम उपयोग हुई हैं जो केवल उपयोग की जा रही संस्थापित क्षमता का ***% है।
 - x. घरेलू बिक्री कम है जिसमें घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा केवल ***% है।
 - xi. घरेलू उद्योग अपनी हानियों को कम करने और अत्यधिक मालसूची से बचने के लिए अपने प्रचालनों को बंद करने के लिए मजबूर था।

xii. घरेलू उद्योग को उस समय 2021-22 के सिवाय पूरी क्षति अवधि में हानियां और नकद हानियां हुई हैं जब पहुंच कीमतें बढ़ी। यहां तक कि जांच की अवधि में निवेश पर आय नकारात्मक थी।

93. इस प्रकार, प्राधिकारी, निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध सामानों के पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क है।

ज. क्षति मार्जिन की मात्रा

94. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत क्षति की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति रहित कीमत क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने हेतु मानी गई है। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यही व्यवहार यूटिलिटियों के साथ किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण अथवा अनावर्ती खर्च नहीं लगाए जाते हैं। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल नियोजित परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर-पूर्व 22% की दर से) नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित अपनाए जा रहे अनुसार क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।

95. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत निर्यातकों द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है। संबद्ध देशों के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत निर्धारित की है।

96. जहां तक इस तर्क का संबंध है नियोजित पूंजी पर 22% आय अनावश्यक है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह प्राधिकारी की सतत परिपाटी है कि वे नियोजित पूंजी पर उपयुक्त आय, जो कि 22% है, पर उपयुक्त आय के आधार पर घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत निर्धारित करें। जब तक कि रिकॉर्ड में यह साक्ष्य न हो कि 22% पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और कुछ अन्य आंकड़े अधिक उपयुक्त हों।

97. उपर्युक्त निर्धारित पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है और वह निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

उत्पादक	एनआईपी (अम.डॉ./मी.ट.)	पहुंच कीमत (अम.डॉ./मी.ट.)	क्षति मार्जिन (अम.डॉ./मी.ट.)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रेंज)
चीन					
शांगडोंग गोल्डनस्टार वाटर इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी कं. लिमिटेड	***	***	***	***	40-50
पुयांग क्लीनवे केमिकल्स लिमिटेड	***	***	***	***	40-50
शांगडोंग डामिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं लिमिटेड .	***	***	***	***	40-50
शांगडोंग लानटियन डिस्ट्रिब्यूशन टेक्नोलॉजी कंपनी	***	***	***	***	50-60
अन्य सभी	***	***	***	***	50-60
जापान					
कोई भी	***	***	***	***	10-20

ट . भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे**ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

98. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए जाने के बाद हितबद्ध पक्षकारों ने जनहित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से जनहित का कार्य नहीं होगा और इससे उपभोक्ताओं, व्यापारों और जन यूटिलिटीज पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं जिससे आपूर्ति की कमी होगी, कीमतें अधिक होंगी और अनिवार्य सेवाओं में संभावित व्यवधान होंगे।
- ii. सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र भी जोखिम पर होगा क्योंकि टीसीसीए की प्रतिबंधित आपूर्ति से पेयजल, स्विमिंग पूल और अन्य स्वच्छता सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा पर असर हो सकता है।
- iii. शुल्क लगाए जाने का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को कम करना और भारत में उपलब्ध केवल घटिया उत्पादों के साथ एकाधिकार नियंत्रण सृजित करना है।
- iv. प्राधिकारी ने इस बात की अनदेखी की है कि न्यूनतम कीमत वृद्धि से उपभोक्ताओं पर संक्रमणरोधी जैसे अनिवार्य सामानों के लिए काफी भार पड़ सकता है।
- v. उचित जांच किए बिना अपने हित के आर्थिक हित के प्रश्नों पर विश्वास करना कानून की उचित प्रक्रिया का उल्लंघन है।
- vi. प्राधिकारी ने इस साक्ष्य के रूप में घरेलू प्रयोक्ताओं के असहयोग पर विचार किया है कि शुल्क का हानिकारक प्रभाव नहीं होगा। असहयोग भविष्य में संसाधनों और विशेषज्ञता के अभाव तथा प्रभाव की असहयोगिता के कारण हो सकता है।
- vii. व्यापक कल्याण की कीमत पर एक उद्योग का संरक्षण करने का निर्णय नियामक शुल्कों और अधिदेश के विपरीत है।
- viii. प्राधिकारी ने केवल संक्रमणरोधी के रूप में विचाराधीन उत्पाद को लिया है जिससे जल संशोधन और औद्योगिक प्रक्रियाओं में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका की अनदेखी हुई है।
- ix. याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है और भारत में मांग को पूरा करने में अक्षम है।
- x. आवेदक चीन से साइन्यूरिक एसिड का आयात कर रहा है और भारत में न्यूनतम मूल्यवर्धन कर रहा है। अतः वह सरकार की मेक इन इंडिया पहल को पूरा नहीं कर रहा है।
- xi. यह दावा कि घरेलू उद्योग भविष्य में क्षमता का विस्तार कर सकता है, अनिश्चित भावी मांग पर विश्वास करता है और क्षमता विस्तार से जुड़ी संभावित लागतों को नहीं माना है जिससे आगे और कीमत वृद्धि हो सकती है।
- xii. प्रतिस्थापनों की केवल सैधांतिक उपलब्धता लगाए गए तथाकथित शुल्क के वास्तविक विश्व प्रभावों को नहीं दर्शाते। आवेदक ने इन वैकल्पिक स्रोतों से कीमत से संबंधित साक्ष्य नहीं दिए हैं।
- xiii. यहां तक कि यदि शुल्क लगाए जाते हैं तो अन्य देशों से आयात बदलकर बाजार ले लेगा जिससे उपाय अप्रभावी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, तस्करी से संबंधित चिंताएं और सभी देशों में व्यापक कीमत संबंधी आंकड़ों का प्रभाव इस मामले को और जटिल बना देगा।
- xiv. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि यह दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्कों के अभाव में भी प्रतिस्पर्धी बाजार विद्यमान हैं।
- xv. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद में गारंटीशुदा आकार के अभाव और कम घुलनशीलता तथा क्लोरीन के असमान फैलाव के कारण कई स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां हैं जिससे पैथेजिन और रासायनिक निस्सरण हो सकता है।

- xvi. निचल स्तर के उद्योग पर प्रभाव का परिकलन करने के लिए पद्धति में कमी है क्योंकि यह माना जाता है कि पानी में टीसीसीए केवल एक बार मिलाया जाता है।
- xvii. यह मानते हुए कि टीसीसीए पूलों में दैनिक रूप से मिलाया जाता है, पूलों पर शुल्क का प्रभाव 8,760 रु. से 1,31,400 रु. के बीच होगा।
- xviii. टीसीसीए पर शुल्क लगाए जाने की स्थिति में प्रयोक्ता अन्य उत्पादों, एसडीआईसी 60%, ब्लीचिंग, तरल क्लोरीन, कैल्शियम हाइपो क्लोराइड में चले जाएंगे।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

99. घरेलू उद्योग ने प्रारंभिक निर्धारण जारी किए जाने के बाद भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- i. प्राधिकारी ने विधिवत जनहित विश्लेषण किया है और हितबद्ध पक्षकार के सभी तर्कों को पहले ही प्रारंभिक जांच परिणामों में हल कर दिया गया है।
 - ii. प्रयोक्ता उद्योग ने शुल्क लगाए जाने का विरोध नहीं किया है और आर्थिक हित की प्रभावली का उत्तर दायर नहीं किया है। संबद्ध सामानों का व्यापार करने वाले आयातकों ने ही अपना निजी लाभ बढ़ाने के लिए शुल्क लगाए जाने का विरोध किया है।
 - iii. जांच में प्रयोक्ता उद्योग द्वारा भाग न लेने को यह नहीं माना जा सकता कि उनके पास भाग लेने के लिए संसाधन और विशेषज्ञता नहीं है।
 - iv. घरेलू उद्योग 2017 से प्रचालन में रहने के बावजूद अपने प्रचालनों को स्थिर करने में अक्षम रहा है।
 - v. आवेदक संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है। यदि शुल्क नहीं लगाए जाते हैं तो उद्योग को अपने प्रचालन स्थाई रूप से बंद करने होंगे। ऐसी स्थिति में देश पूरी तरह से आयातों पर निर्भर करेगा और भारत आत्म-निर्भर नहीं होगा।
 - vi. इस दावे के समर्थन के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि न्यूनतम कीमत वृद्धि से उपभोक्ताओं पर काफी भार पड़ेगा।
 - vii. विगत में प्राधिकारी ने एक उत्पादक के साथ उद्योग को उपचार प्रदान किया है। वर्तमान मामले में यह आवश्यक है क्योंकि पाटन जारी रहने से घरेलू उद्योग अपने प्रचालनों को बंद करने के लिए मजबूर होगा।
 - viii. हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों को मात्र संक्रमणरोधी नहीं माना है।
 - ix. आयातक यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य देने में विफल रहे हैं कि प्राधिकारी से ऐसा करने के निर्देश के बावजूद कमजोर गुणवत्ता के हैं। यह तथ्य कि घरेलू उद्योग ने संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किया है, यह दर्शाता है कि वह कम गुणवत्ता के उत्पादों की आपूर्ति नहीं कर रहा है।
 - x. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान संयुक्त राज्य की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा प्रमाणित किया जाता है जो कि सर्वाधिक कठोर मानकों में से एक है।
 - xi. हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग की गुणवत्ता घटिया होने के संबंध में विरोधाभासी विवरण दे रहे हैं और फिर यह उल्लेख कर रहे हैं कि आवेदक प्रीमियम गुणवत्ता का निर्यात कर निर्यातों पर जोर देना चाहता है।
 - xii. घरेलू उद्योग के पास घरेलू मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और भावी मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि कर सकता है।
 - xiii. हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि क्षमता बढ़ाने से कीमतें अधिक होंगी, मान्य नहीं है, क्योंकि अधिक आपूर्ति से कीमतों में कमी आती है।
 - xiv. डोधिया केम टेक्स प्राइवेट लिमिटेड निकट भविष्य में बाजार में प्रवेश करने की योजना बना रहा है जो बाजार में एकाधिकार बनाए जाने की संभावना को समाप्त करेगा।

- xv. यद्यपि कुछ हितबद्ध पक्षकार यह दावा करते हैं कि उत्पाद की आपूर्ति के कोई वैकल्पिक आयात स्रोत नहीं हैं, तथापि अन्य पक्षकारों ने यह उल्लेख किया है कि बाजार अन्य देशों से आयातों में चला जाएगा, जो परस्पर विरोधाभास दर्शाता है।
- xvi. शुल्क लगाए जाने के बाद भी संबद्ध सामान उचित कीमतों पर आयात किए जा सकते हैं।
- xvii. निचले स्तर के उद्योग पर प्रभाव नगण्य है क्योंकि संबद्ध सामान निचले स्तर के उद्योग के लिए प्रमुख इनपुट अथवा कच्ची सामग्री नहीं है और तदनुसार, प्रमुख लागत नहीं है।
- xviii. घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया प्रभाव परिकलन वस्तुतः अधिक बताया गया है क्योंकि यह स्विमिंग पूल को संचालित और परिचालित करने की अन्य महत्वपूर्ण लागतों पर विचार नहीं करता।
- xix. हितबद्ध पक्षकारों ने निचले स्तर के उद्योग पर शुल्कों के प्रभाव के लिए कोई परिकलन नहीं दिया है अथवा यह सिद्ध नहीं किया है कि निचले स्तर के उद्योग पर शुल्कों से काफी प्रभाव पड़ेगा।
- xx. शुल्क लगाए जाने से विदेशी मुद्रा की बचत बढ़ाने में भी मदद मिलेगी और घरेलू उद्योग को बाजार में बढ़ने में सहायता मिलेगी।
- xxi. शुल्क लगाए जाने से निर्यात की निवल वसूली प्रभावित नहीं होगी क्योंकि शुल्क किसी निर्यातक की निवल वसूली पर लगाया जाता है।
- xxii. यह उत्पाद संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन सहित अन्य देशों से उचित कीमतों पर भी आयात किया जा सकता है। और एक संयंत्र बंगलादेश में भी हाल ही में स्थापित किया गया है।
- xxiii. यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे प्रयोक्ताओं से प्रमाण-पत्रों पर विश्वास किया है, तथापि घरेलू उद्योग ने ऐसे प्रयोक्ताओं अथवा संबंधित आयातक को इस उत्पाद की आपूर्ति नहीं की है। उन प्रयोक्ताओं का प्रमाण-पत्र, जिनको घरेलू उद्योग ने वास्तव में इस उत्पाद की आपूर्ति की है, यह दर्शाता है कि उसके उत्पाद अच्छी गुणवत्ता के हैं।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्रारंभिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करना है, जिससे भारतीय बाजार में एक खुली और समतुल्य प्रतिस्पर्धा का वातावरण बने। यह मात्र एक नियामक उपाय नहीं है बल्कि राष्ट्रीय हित का मामला है। पाटनरोधी उपाय लगाना स्वैच्छिक रूप से संबद्ध देशों से आयातों को बंद करने के लिए नहीं बनाया गया है। इसके बजाए, यह एक उचित व्यापारिक क्षेत्र सुनिश्चित करने का तंत्र है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क रहने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा का सार इन उपायों को लगाए जाने से पकड़ से बाहर रहेगा। प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के अलावा, पाटनरोधी उपाय लगाए जाने से पाटन की परिपाटियों के माध्यम से अनुचित लाभ का प्रावधान रहेगा। यह संबद्ध सामानों के व्यापक चयन में उपभोक्ताओं की पहुंच की सुरक्षा करता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क कोई बाधा नहीं है बल्कि उचित व्यापारिक परिपाटियों के सुविधा प्रदाता हैं।
- 101. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच की शुरुआत की अधिसूचना जारी की। एक आर्थिक हित की प्रश्नावली घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों और आयातकों/प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों को उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच से संबंधित संगत सूचना प्रदान करने के लिए निर्धारित की गई थी।
- 102. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों का कोई भी प्रयोक्ता प्राधिकारी के समक्ष भाग लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा और आर्थिक हित की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त, किसी भी पक्षकार ने लागू शुल्कों का प्रतिकूल प्रभाव दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। हितधारकों के साक्ष्य का अभाव और मौन प्राधिकारी की स्थिति को दर्शाता है और उचित व्यापारिक परिपाटियां सुनिश्चित करने के लिए पाटनरोधी उपायों की आवश्यकता को बल देता है।
- 103. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि प्रयोक्ताओं द्वारा भाग न लिया जाना जागरूकता, विशेषज्ञता और संसाधनों के अभाव के कारण हो सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत भारत के राजपत्र में

अधिसूचित की गई थी। इसके अतिरिक्त, आयातकों ने वर्तमान मामले में भाग लिया है। एक आयातक ने सूर्या फिटनेस कल्चर, लक्की पूल, वाटर स्टोन पूल, और राहुल वाटर वर्क्स जैसे प्रयोक्ताओं से प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध कराए हैं। अतः आयातक प्रयोक्ताओं को सूचित कर सकते थे और उन्हें जांच में भाग लेने की सलाह दे सकते थे। अतः, जागरूकता अथवा विशेषज्ञता का अभाव भाग न लिए जाने का आधार नहीं माना जा सकता। जहां तक संसाधनों का संबंध है, अंत में प्रयोक्ता खुद अनुरोध कर सकते थे और संगत सूचना दे सकते थे।

104. इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह सुनिश्चित है कि यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सहयोग नहीं करता और इस प्रकार प्राधिकारियों से संगत सूचना रोकी जा रही है तो इस स्थिति से ऐसा परिणाम निकल सकता है तो पक्षकार के सहयोग किए जाने के बजाए वह पक्षकार के लिए कम अनुकूल है। अतः, प्रयोक्ताओं का सहयोग न करना एक तरीके से यह नहीं माना जा सकता कि उन्होंने उनको अनुकूल स्थिति क्यों नहीं दी। प्राधिकारी उनके समक्ष रखे गए अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करेंगे और वह विचार प्रयोक्ताओं के लिए कम अनुकूल स्थिति में हो सकता है।
105. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा संयंत्र की स्थापना से पूर्व भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर था। घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों के विनिर्माण और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संयंत्र में भारी निवेश किया है। घरेलू उद्योग के अनुसार यदि संबद्ध देशों से आयात जारी रहते हैं, तो घरेलू उद्योग के पास पहले ही अपने प्रचालन बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।
106. घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि अंतिम उत्पाद पर शुल्कों के कम प्रभाव के कारण शुल्कों से प्रयोक्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होंगे। यह नोट किया जाता है कि शुल्कों का प्रभाव बहुत ही कम है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि चूंकि संबद्ध सामानों का प्रयोग मात्र पानी को साफ करने के लिए संक्रमणरोधी के रूप में किया जाता है। अतः यह उसमें प्रमुख लागत नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि टीसीसीए का प्रयोग एक संक्रमणरोधी के रूप में और जल संशोधन के लिए किया जाता है। इस प्रकार, यह निचले स्तर के उद्योग के लिए प्रमुख इनपुट अथवा कच्ची सामग्री नहीं है।
107. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा परिकलित प्रभाव यह मानते हुए कम आंका गया है कि टीसीसीए स्विमिंग पूल में कई बार मिलाया जाता है। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि प्रभाव अधिक बताया गया है क्योंकि अन्य लागतों, जो पानी और टीसीसीए को छोड़कर स्थापना के संचालन में लगाई जाएंगी, पर विचार नहीं किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्विमिंग पूल प्रमुख रूप से होटलों, स्कूलों और खेल केन्द्रों द्वारा संचालित किए जाते हैं। ऐसी स्थापनाओं के लिए पूल को संचालित करने में लगी लागतें स्थापना को संचालित करने में शामिल समग्र लागतों का केवल छोटा सा भाग है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि टीसीसीए एक बार से अधिक मिलाया जा सकता है, तथापि, हर बार मिलाने के शुल्क का प्रभाव 0.25% से कम है, जब जोड़ी गई पानी की लागत में प्रभाव पर विचार किया जाए। इसके अतिरिक्त, अन्य पक्षकारों द्वारा दावा किए गए अनुसार वर्ष में उपभोग किए गए टीसीसीए की कुल लागत भी यदि लगभग 1 लाख रु. है तो वह टीसीसीए जैसे उस प्रयोग की स्थापनाओं की समग्र लागत और राजस्व संरचनाओं को देखते हुए काफी नहीं मानी जा सकती।
108. टीसीसीए किसी भी प्रयोक्ता के लिए कच्ची सामग्री नहीं है। इसका प्रयोग जल संशोधन के लिए कम मात्राओं में किया जाता है। यह इस तथ्य से भी सिद्ध हो जाता है कि देश में इस उत्पाद की पूरी मांग 100-125 करोड़ रु. प्रति वर्ष के क्षेत्र में है। उत्पाद की इस मात्रा का उपभोग अधिसंख्य स्थापनाओं द्वारा किया जाता है। अलग अलग स्थापना के लिए मूल्यवार वार्षिक खपत इस प्रकार बहुत कम है। उत्पाद की कीमत में संभावित वृद्धि से उपभोक्ताओं द्वारा लगाई गई लागतों में काफी वृद्धि नहीं होगी।
109. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में संबद्ध सामानों की कमी नहीं होगी। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क आयात प्रतिबंधित नहीं करते बल्कि यह सुनिश्चित करते हैं कि आयात उचित कीमतों पर उपलब्ध हों। अतः शुल्क लगाए जाने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। अतः घरेलू उद्योग की क्षमता भारत में मांग से अधिक है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि देश में पर्याप्त आपूर्ति है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि उसके पास यदि भारतीय मांग में वृद्धि होती है तो अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए अवसंरचना है।
110. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि देश में संबद्ध सामान लगभग 100% है। तथापि, उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन में भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, घरेलू

उद्योग ने दावा किया है कि इस उत्पाद के उत्पादन के लिए संयंत्र हाल ही में बंगलादेश में स्थापित किया गया है। इस प्रकार, यदि शुल्क लगाए जाते हैं तो सामानों का आयात बंगलादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि डोधिया केम टेक्स प्राइवेट लिमिटेड संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए संयंत्र की स्थापना करने की योजना बना रहा है। इससे भारतीय बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी।

111. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि उत्पाद की उपर्युक्त उपलब्धता केवल सैधांतिक है और शुल्क लगाए जाने से मांग-आपूर्ति का अंतराल तथा एकाधिकार का सृजन होगा। सर्वप्रथम, प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क लगाए जाने से संबद्ध सामानों का आयात नहीं रुकता बल्कि कीमत शुद्धिकरण सुनिश्चित होता है। किसी भी दशा में, यदि उत्पाद की कमी की स्थिति अथवा बाजार के एकाधिकार की स्थिति बनती है तो हितबद्ध पक्षकार मध्यावधि समीक्षा की मांग करते हुए प्राधिकारी से अथवा प्रतिस्पर्धीरोधी परिपाटियों से संबंधित सक्षम प्राधिकारी से अनुरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, शुल्कों से इंकार करने के लिए यह आधार नहीं हो सकता। किसी भी दशा में घरेलू उद्योग ने पहले ही क्षमताएं बढ़ाने के लिए अपेक्षित निवेश किया है।
112. हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत यह नहीं माना जा सकता कि शुल्कों के अभाव में इस उत्पाद के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार विद्यमान है। प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों का काफी पाटन पाया है। घरेलू उद्योग के निष्पादन को ऐसे पाटन के परिणामस्वरूप क्षति हुई है।
113. भारत में मूल्यवर्धन के संबंध में यह नोट किया जाता है कि कच्ची सामग्री की लागत उत्पाद की कुल लागत का लगभग ***% है। इसके मद्देनजर भारत में मूल्यवर्धन किसी भी तरीके से कम नहीं माना जा सकता।
114. अंत में, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि जिन प्रयोक्ताओं को घरेलू उद्योग ने सामानों की आपूर्ति की है, उन्होंने गुणवत्ता की सराहना की है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश को उत्पाद की आपूर्ति कर रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान यूएसईपीए द्वारा प्रमाणित भी हैं। अतः, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई आधार नहीं है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए सामानों की गुणवत्ता घटिया है।

प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

- 115 प्राधिकारी ने 22 नवंबर, 2024 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को केन्द्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी अनिवार्य तथ्यों से युक्त प्रकटन विवरण प्रचालित किया। प्राधिकारी ने संगत मानी गई सीमा तक इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की जांच की है। जो अनुरोध पूर्व के अनुरोध की पुनरावृत्ति मात्र थे और प्राधिकारी द्वारा जिनकी पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी थी, उन्हें संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

ठ1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

- 116 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित प्रकटन पश्चात अनुरोध किए गए हैं:
 - i. प्राधिकारी की टिप्पणियों के विपरीत चीन में दायर सीमा शुल्क घोषणा में बीजक तिथि नहीं है बल्कि बिक्री संविदा तिथियां हैं। चीन सीमा शुल्क घोषणा में तिथियां, दो बीजकों के लिए लदान और लेखांकन तिथियों का बिल सभी जांच की अवधि के अन्तर्गत है।
 - ii. व्यापारी को विनिर्माता का बीजक ग्राहक को व्यापारी के बीजक से बाद की तिथि का हो सकता है और इससे विनिर्माता और व्यापारी के बीच वास्तविक बिक्रियां प्रभावित नहीं होंगी।
 - iii. केवल इसलिए कि व्यापारी द्वारा बीजक पहले जारी किया जाता है, यह अवैध नहीं करता अथवा लेनदेन की वैधता पर संदेह नहीं करता क्योंकि पक्षकार और लेनदेन शर्तें संविदा के तहत पहले ही निर्धारित की जाती हैं।
 - iv. लेखा बहियों की वैधता पर प्राधिकारी द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जाता है जो कि बीजकों की तारीख की विश्वसनीयता के संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठाते।
 - v. प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वे नियमावली के अनुबंध-II और अनुच्छेद 3 के अनुसार कठोरता से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का मूल्यांकन करें। मात्रात्मक प्रभाव, कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर

- प्रभाव अनिवार्य घटक हैं जिनकी इस क्रम में ही संचयी रूप से जांच किए जाने की आवश्यकता है और यह कार्य निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए।
- vi याचिकाकर्ता ने यह सिद्ध नहीं किया है कि संबद्ध आयातों का कोई “व्याख्यात्मक बल” था अथवा याचिकाकर्ता पर परिणामी प्रभाव था।
 - vii. प्राधिकारी ने कारणात्मक संपर्क की जांच नहीं की है और घरेलू उद्योग के निष्पादन पर मात्रा तथा कीमत प्रभाव के अभाव में कारणात्मक संपर्क करने का पर्याप्त आधार नहीं है।
 - viii. आवेदक यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य व्यापार उपचारात्मक प्राधिकारियों द्वारा चीनी उत्पादों पर लगाए गए शुल्कों के कारण लाभप्रद स्थिति में होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाजार की पूर्ति करने में अक्षम है।
 - ix. प्रति 1 लाख लीटर पानी के लिए, 300 ग्राम टीसीसीए का रोजाना प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ है कि टीसीसीए कुल लागत का 90% है।
 - x. शुल्क लगाए जाने से छोटे पूल के प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो सभी रिसोर्टों, वाटर पार्कों, विद्यालयों और स्विमिंग पाठ के स्थानों के लिए सामान्य आकार का पूल है।

ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

117 घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रकटन पश्चात अनुरोध किए गए हैं:

- i. यह सिद्ध है कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों से हुई है और विचाराधीन उत्पाद के पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के बीच स्पष्ट कारणात्मक संपर्क है।
- ii. क्षति रहित कीमत और सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्रयुक्त उत्पादन लागत के पुनः निर्धारण की आवश्यकता है।
- iii. प्राधिकारी ने संस्थापित क्षमता में उपलब्ध क्षमता के आधार पर उच्चतम क्षमता उपयोग लागू किया है जिससे असाधारण रूप से उच्च ईष्टम उत्पाद बना है। या तो उपलब्ध क्षमता में क्षमता उपयोग लागू किया जाए अथवा क्षमता उपयोग संस्थापित क्षमता को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्धारित की जाए और उसके बाद तदनुसार लागू की जाए।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 118 प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियां पुनरावृत्ति की हैं जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच कर दी गई है और अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में पर्याप्त रूप से हल कर दिए गए हैं। हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है।
- 119 निर्यात हेबर्ड द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्राधिकारी द्वारा विस्तार से पहले ही जांच कर दी गई है। जैसा कि पूर्व में नोट किया गया है, यह मानते हुए कि मूल रूप से प्रस्तुत बीजकों में कंपनी की मोहर थी। इसके अतिरिक्त, वे परिशुद्धता प्रमाण-पत्र के साथ कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। निर्यातक ने तभी संशोधित बीजक प्रस्तुत किए जब प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में अलग-अलग मार्जिन से इंकार कर दिया। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि संशोधित बीजक विश्वसनीय नहीं हैं। निर्यात ने यह नहीं दर्शाया है कि चीनी सीमा शुल्क घोषणा में उल्लिखित तारीख बीजक की तारीख नहीं है। अंतिम रूप से निर्यातक ने इसका संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि व्यापारी कैसे विनिर्माता के बीजक में पूर्व की तारीख का बीजक जारी कर सकता है, वह भी जब व्यापारी की बीजक में विनिर्माता की बीजक संख्या हो। इसका कोई तर्क नहीं बनता कि व्यापारी ने वे सामान बेचे जो उसके अपने निजी नहीं थे और जिन पर वह बीजक संख्या उल्लिखित थी जिसके तहत वह उपर्युक्त सामानों का स्वामित्व लेगा। इस वास्तविक स्थिति के मद्देनजर, प्राधिकारी संशोधित बीजकों पर विश्वास करना उपयुक्त नहीं पाते और अपनी टिप्पणियों की प्रकटन विवरण में पुष्टि करते हैं।
- 120 हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे इस क्रम में मात्रात्मक प्रभाव, कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव की संचयी रूप से जांच करें, प्राधिकारी ने विस्तार से मात्रात्मक

प्रभाव, कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों की जांच की है। संबद्ध सामानों के आयातों की जांच और घरेलू उद्योग का निष्पादन यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। हितबद्ध पक्षकारों ने अन्यथा यह दर्शाने अथवा सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध II और अनुच्छेद 3 के अनुसार घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच नहीं की है।

121. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है। तथापि, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाया है कि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है तथा घरेलू उद्योग के उसके उत्पाद संयुक्त राज्य अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (ईपीए) द्वारा प्रमाणित हैं। हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की प्राधिकारी द्वारा पूर्व में विस्तार से पहले ही जांच कर दी गई है। हितबद्ध पक्षकारों ने पूर्व में लिए गए निष्कर्षों से अलग होने के लिए कोई नया साक्ष्य नहीं दिया है।
122. इस तर्क के संबंध में कि संबद्ध सामान प्रयोक्ताओं के लिए कुल लागत का प्रमुख भाग है, प्राधिकारी ने पहले ही उसकी जांच कर ली है। इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई नई सूचना अथवा साक्ष्य नहीं दिया गया है।
123. घरेलू उद्योग ने भी यह उल्लेख किया है कि प्राधिकारी को सामान्य और क्षतिरहित कीमत पुनः निर्धारित करनी चाहिए। प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। संबद्ध सामानों की क्षतिरहित कीमत जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। अतः, प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि क्षतिरहित कीमत पुनः निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है और क्योंकि यह नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित और प्राधिकारी की विगत परिपाटियों के अनुसार वही निकाली गई है।

ड. निष्कर्ष और सिफारिशें

124. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच करने और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने तथा रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:
 - i. चीन जन.गण. और जापान से ट्रिक्लोरो आइसोसाइन्यूरिक एसिड के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच शुरू किए जाने के लिए आवेदन-पत्र बोडल केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था। आवेदक संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है और वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग है।
 - ii. विचाराधीन उत्पाद ट्रिक्लोरो आइसोसाइन्यूरिक एसिड है जिसे टीसीसीए भी कहा जाता है जो एक रासायनिक मिश्रण है, जिसका प्रयोग सामान्य रूप से संक्रमणरोधी, ब्लीचिंग एजेंट और जलशोधन रसायन के रूप में किया जाता है।
 - iii. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा कि जांच की शुरुआत की अधिसूचना में परिभाषित किया गया है और संबद्ध जांच में पीसीएन पद्धति की कोई आवश्यकता नहीं है।
 - iv. चूंकि चीन जन.गण. से किसी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यापार के लिए कोई अनुरोध दायर नहीं किया है अतः चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना गया है तथा सामान्य मूल्य भारत में देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है जोकि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर है।
 - v. निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, चीन और जापान से संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
 - vi. संबद्ध सामानों के लिए मांग में 2020-21 में कोविड के कारण गिरावट आई परंतु उसके बाद धीरे-धीरे वृद्धि हुई है।
 - vii. संबद्ध देशों से आयात देश में पूर्णरूपेण आयात हैं और जांच की अवधि में अधिकतम थे।
 - viii. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे थे।
 - ix. आयातों का पहुंच मूल्य बिक्री कीमत तथा घरेलू उद्योग की लागत से कम था।

- x. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत जांच की अवधि के दौरान बढ़ी परंतु आयातों की कीमतों में कमी आई है। बिक्री की लागत में वृद्धि कच्चे माल की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई थी। इसके अलावा, जब विक्रय मूल्य में वृद्धि हुई, तब भी विक्रय मूल्य में वृद्धि बिक्री लागत में वृद्धि से कम थी।
- xi. आयातों से कीमत वृद्धि रुकी है, जो अन्यथा हुई होती। इस प्रकार, आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण किया है।
- xii. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर इन पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए थे:
- क. घरेलू उद्योग को पूरी क्षति अवधि में उपयोग में कम लाई गई क्षमताओं से क्षति हुई है और उसने घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के महत्वपूर्ण क्षमता रखने के बावजूद अपने उत्पादन का बहुत ही छोटा हिस्सा बेचा है।
- ख. घरेलू उद्योग के महत्वपूर्ण क्षमता रखने के बावजूद आयात पूरी क्षति अवधि में बाजार हिस्से पर प्रभावी रहे हैं।
- ग. घरेलू उद्योग की औसत मालसूची 2021-22 तक निरंतर बढ़ी है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन के निलंबन के साथ केवल जांच की अवधि के दौरान घटी है।
- घ. घरेलू उद्योग को हानियां, नकद हानियां और नकारात्मक आय हुई है।
- ङ. घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित सामानों के परिणामस्वरूप क्षति हुई है। क्षति मार्जिन काफी है।
- xiii. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के परिणामस्वरूप वास्तविक क्षति हुई है।
- xiv. प्राधिकारी ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराया गया सामान घटिया गुणवत्ता का है।
- xv. *** मीट्रिक टन की स्थापित मांग की तुलना में, घरेलू उद्योग के पास *** मीट्रिक टन की क्षमता है, इस प्रकार देश में उत्पाद की *** मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तथापि, घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में उत्पाद बेचने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता का उपयोग केवल *** की अल्प सीमा तक किया था। उत्पाद की डंपिंग ने देश में घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोगिता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और घरेलू उद्योग को एक स्तर तक कम कर दिया है जहां यह देश में केवल *** मांग को पूरा कर रहा था।
- xvi. घरेलू उद्योग ने जांच अवधि में लगभग *** महीने की कुल अवधि के लिए अपने उत्पादन को निलंबित कर दिया और देश में उत्पाद की डंपिंग को देखते हुए केवल *** दिनों के लिए संयंत्र का संचालन किया।
- xvii. जांच से पता चला है कि घरेलू उद्योग मांग के उस स्तर को पूरा करने में असमर्थ रहा है जो कंपनी द्वारा सृजित क्षमताओं के साथ व्यवहार्य था। देश में डंपिंग के कारण घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी इतनी कम है। इच्छुक पार्टी द्वारा इतनी कम बाजार हिस्सेदारी के लिए जिम्मेदार कोई अन्य कारक सामने नहीं लाया गया है।
- xviii. पाटनरोधी शुल्क जनता के हित में है। यह निम्नलिखित से सिद्ध है:
- क. घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों के विनिर्माण के लिए काफी निवेश किया है।
- ख. निचले स्तर के उद्योग पर शुल्कों का प्रभाव बहुत ही कम है।
- ग. यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं है कि जागरुकता अथवा विशेषज्ञता के अभाव के कारण प्रयोक्ताओं ने जांच में भाग नहीं लिया है।
- घ. जिन प्रयोक्ताओं को घरेलू उद्योग ने सामानों की आपूर्ति की है, उन्होंने उसकी गुणवत्ता की सराहना की है और हितबद्ध पक्षकार यह नहीं दर्शा पाए कि जिन क्रेताओं को घरेलू उद्योग ने सामानों की आपूर्ति की है, वे उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हैं।
- ङ. यह दर्शाने के लिए रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं रखा गया है कि आयातित सामान और घरेलू रूप से उत्पादित सामानों के बीच अंतर है।

च. शुल्क लगाए जाने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। अन्य वैश्विक स्रोतों के अलावा, घरेलू उद्योग के पास लगभग पूरी भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता है और यदि भारतीय मांग में कोई वृद्धि होती है तो उसके पास अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए अवसरचना है।

125. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरु की गई थी और सभी हितवद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितवद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में जांच शुरु करने और जांच करने पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति को दूर करने के लिए शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है। अतः प्राधिकारी इसे आवश्यक समझते हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।
126. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी कमतर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी निम्नलिखित शुल्क तालिका में कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं:

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29336990 29336910*	ट्रिक्लोरो आइसोसाइन्यूरिक एसिड	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	शांगडोंग गोल्डन स्टार वाटर इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	766	मी.ट.	अम.डा.
2	-वही -	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	पुयांग क्वीनवे केमिकल्स लिमिटेड	773	मी.ट.	अम.डा.
3	-वही -	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	शांगडोंग डामिंग साईस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	782	मी.ट.	अम.डा.
4	-वही -	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	शांगडोंग लांटियान डिस्टिंक्शन टेक्नोलॉजी कंपनी	907	मी.ट.	अम.डा.
5	-वही -	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित सभी देश	क्रम सं. 1 से 4 में उल्लिखित को छोड़कर	986	मी.ट.	अम.डा.

6	-वही -	-वही-	चीन जन.गण. और जापान को छोड़कर सभी देश	चीन जन.गण	कोई	986	मी.ट.	अम.डा.
7	-वही -	-वही-	जापान	जापान सहित सभी देश	कोई	276	मी.ट.	अम.डा.
8	-वही -	-वही-	चीन जन.गण. और जापान को छोड़कर सभी देश	जापान	कोई	276	मी.ट.	अम.डा.

* सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।

ढ. आगे की प्रक्रिया

127. इस अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 10th December, 2024

CASE NO.- AD(OI) – 19/2023

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Trichloro Isocyanuric Acid” originating in or exported from China PR and Japan.

F. No. 6/20/2023-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the Rules) thereof, the Authority issued the preliminary findings dated 1st May 2024 in the present investigation. The present final findings is being issued in continuance of the preliminary findings.

A. PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed post-issuance of preliminary findings with regard to the subject investigation:
 - a. Pursuant to the initiation of the investigation, and after providing due opportunity to the interested parties to provide relevant information and defend their interests, and on the basis of information and evidence on record, having regard to the Anti-Dumping Act and the Rules, the Authority issued preliminary findings dated 1st May 2024, provisionally concluding that the product under consideration has been exported from the subject countries at a price below their normal value, thus, resulting in dumping of the subject goods, the domestic industry has suffered material injury due to such dumping and injury to the domestic industry has been caused by such dumped imports. The Authority recommended the imposition of provisional anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries.

- b. The Authority notified the interested parties about the following procedure that was to be followed subsequent to issuance of preliminary findings.
 - i. Comments were invited by all interested parties on the preliminary findings within 30 days of publication of such findings.
 - ii. It was notified that an oral hearing will be conducted in terms of Rule 6(6) of the Anti-Dumping Rules.
 - iii. Further verification deemed necessary will be conducted.
 - iv. Essential facts would be disclosed prior to the issuance of the final findings.
- c. A copy of the preliminary findings was sent to the Central Government for its consideration of the same for imposition of provisional anti-dumping duty.
- d. A number of interested parties filed responses/comments to the preliminary findings, which have been adequately considered for the purpose of the final determination.
- e. However, certain parties filed responses / comments to the preliminary findings, without earlier having registered with the Authority as an interested party within the prescribed deadline. In view of the failure to register as interested parties within the specified deadline, the Authority has disregarded the submissions filed by the following parties.
 - i. Acuro Organics Limited
 - ii. Classic Chemicals
 - iii. Multichem Specialities Private Limited
 - iv. Naisa Chemco International
 - v. Padma Polymers
 - vi. Pawar Chemical
 - vii. Phoenix Overseas
 - viii. Shree Vaidhyanath Chemicals
 - ix. The Naisa Chemicals
- f. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 28th August 2024. The parties, who presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. Further, pursuant to the change in the Designated Authority, a fresh oral hearing was held on 9th September 2024.
- g. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on 22 November 2024. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.
- h. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in these final findings.
- i. It is expressly clarified that the preliminary findings form an integral part of this final findings. These final findings should be read along with the preliminary findings issued earlier. The procedure followed, arguments raised by the interested parties, examined explicitly or implicitly dealt in the preliminary findings and determination earlier made in the preliminary findings which have not been disputed by interested parties are not being repeated in these final findings. The preliminary findings should be deemed to be incorporated in the present final findings to the extent the same is not inconsistent with the present final findings.
- j. The Authority satisfied itself with the accuracy of the information supplied by the interested parties which forms the basis of these final findings to the extent possible and verified the data/documents submitted by the interested parties to the extent considered relevant and necessary.
- k. The Authority sought further information from the interested parties to the extent deemed necessary. The verification of the data provided by the interested parties was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation. The Authority has considered the verified data of the of the other interested parties in its analysis in the present case.

1. On-the-spot verification was carried out at the premises of the domestic industry, both at the factory and office, where various claims made by the domestic industry were verified and supporting information, to the extent considered relevant, was collected.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

2. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as “Trichloro Isocyanuric Acid”, also referred to as TCCA.

“3. The product under consideration (‘PUC’) in the present petition is “Trichloro Isocyanuric Acid”, also referred to as TCCA. TCCA is a chemical compound commonly used as a disinfectant, bleaching agent and water treatment chemical. It is a white crystalline powder with a strong chlorine odour. TCCA is a powerful oxidizing agent and is widely used in swimming pools, as well as for industrial water treatment and sanitation.”

TCCA is a disinfectant, algicide, and bactericide mainly for swimming pools and dyestuffs. It is also used as a bleaching agent in the textile industry. It is widely used in civil sanitation for pools and spas, preventing and curing diseases in animal husbandry & fisheries, fruit & vegetable preservation, wastewater treatment, as an algicide for recycled water in industry and air conditioning, in anti-shrink treatment for woollens, for treating seeds and in organic chemical synthesis.

The product under consideration is classified under Chapter 29, under tariff codes 2933 6910 and 2933 6990. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation.”

B.1. Views of other interested parties

3. The submissions of the other interested parties with regard to the product under consideration and like article post the issuance of preliminary findings are as follows:
 - i. TCCA in the form of tablets should be excluded from the scope of product under consideration because it has distinct properties, uses and application and the domestic industry does not produce this form. The domestic industry does not have ability and infrastructure to produce or convert TCCA in tablet form. TCCA in powder, granular or tablet form are distinct products due to the following reasons:
 - a. The size of the particles is different and dissolve in water at different rates.
 - b. The manufacturing process is different.
 - c. The manufacturing equipment required is different.
 - d. The end use is different. Powder is used for rapid dissolution and instant chlorine release, granular is used for controlled release of chlorine and tablet is used for slow release.
 - ii. Contrary to the claim of the petitioner, the cost of conversion of granular to tablet involves significant cost.
 - iii. The granular form produced by the domestic industry does not compete with imports of powder or tablet and it cannot be injured by the same. In TechNova Imaging Systems Pvt. Ltd. v. Union of India & Ors., the Hon’ble CESTAT held that products which are not produced by the domestic industry must be excluded from the scope of the product under consideration in an anti-dumping investigation. Imposition of duty on tablet, that is not produced by domestic industry, would be detrimental to users.
 - iv. The domestic industry does not produce TCCA granules within the 05-08 mesh range which has slow solubility, which is crucial for its applications. Varied mesh sizes can lead to uneven dispersion of TCCA in the water, posing significant health risks to users.
 - v. The quality of imported product is better than the domestic product. The applicant lacks the technology required to produce good quality product which has led to self-inflicted market disadvantages.
 - vi. The quality of the product exported by the applicant to USA is better than the product sold domestically, as evident from the testimonies of the buyers.
 - vii. Discussions with regard to scope of product under consideration require significant deliberations, and critical product exclusions cannot be decided at the same time as deciding PCN methodology.

B.2. Views of the domestic industry

4. The submissions of the domestic industry with regard to the product under consideration and like articles post issuance of the preliminary findings are as below:

- i. Despite adequate time provided, the interested parties have made submissions on the product scope 228 days after the deadline allowed.
- ii. Since the Authority has already finalised the product scope and PCN methodology after considering submissions of all interested parties, the request for product exclusion at a belated stage should not be accepted.
- iii. The different forms of TCCA can be used interchangeably. The Authority has noted that the subject goods are imported only in granules and tablet form, and there is no consistent difference in prices of the two.
- iv. Majority of the imports are in the form of granules or powder, which makes it evident that the demand for tablet form is negligible.
- v. The interested parties have not shown any difference in technical properties of the different forms of product under consideration. They have only cited differences in manufacturing process, equipment required and physical appearance, which does not imply that the products are not like articles.
- vi. The statements regarding differences in the application of different forms of TCCA are from the importers and not by any users. No user has claimed that the three forms of TCCA cannot be used interchangeably. In fact, Chinese exporters have advertised the product on their website showing that powder, granular and tabular form have same characteristics and uses.
- vii. As per the Rules, the domestic industry is not required to produce an identical article, it is only required to produce article with characteristics closely related to the imported product.
- viii. The interested parties have not provided any evidence to show that there is a significant cost for converting granular into tablet form. The Authority has already concluded that no raw material is added at the stage of conversion and the only cost incurred is on account of electricity and labour. Further, there is no consistent price difference between tablet and granular.
- ix. The domestic industry can produce TCCA of all mesh sizes. It was producing mesh size 05-08 and later introduced 08-30 mesh size range, which was widely accepted.
- x. The mesh size of the product has no impact on the solubility or functionality of the subject goods. The domestic industry has provided the details with regard to chlorine content, moisture content, PH value, and solubility in water, of the product produced by it compared with that imported from China from an independent laboratory.
- xi. The emails shared by interested parties do not show that the domestic industry is incapable to offer product of the required mesh size and quality. The email itself shows that the domestic industry offers product of different mesh sizes.
- xii. The importers have failed to provide any evidence to show that the domestic product has poor quality, despite direction from the Authority to do so. The fact that the domestic industry has exported to USA shows that it is not supplying low quality products.
- xiii. The goods produced by the domestic industry are certified by Environmental Protection Agency of United States, which is one of the most stringent standards.

B.3. **Examination by the Authority**

5. The opportunity to explain and comment on the scope of the product under consideration and PCN was provided to all interested parties through notice of initiation. Comments with regard to product under consideration and PCN were filed by only Qindao Profeliz Biological Technology Co., Ltd., Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd. and Hong Kong Sean International Limited. Thereafter, an opportunity was provided to the interested parties on 9th November 2023 to explain their submissions. The interested parties elaborated their submissions with regard to both the scope of the product under consideration and the PCN methodology. The interested parties were further afforded an opportunity to provide relevant supporting evidence. After taking into account the submissions made by various interested parties, and having regard to the legal position in this regard, the Authority decided that there was no need for modification of the product scope, or adoption of a PCN methodology in the present case. The same was notified on the website of DGTR on 3rd January 2024.
6. However, thereafter, submissions have been filed by Prinita Chem, Acuro Organics Limited and Keshav Biochem Private Limited. The Authority notes that the said parties did not file any submission for the exclusion of any product type within the time period provided to the interested parties. However, post finalization of the scope of the product under consideration and PCN methodology, and much after the lapse of time limits, the importers filed submissions requesting the exclusion of tablets, and highlighting differences in mesh size. The Authority notes that the submissions filed by the importers were belated and post-finalizing the

scope of the product under consideration and have not been accepted by the Authority in light of Rule 6(8) of the Anti-Dumping Rules.

“(8) In a case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the designated Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as it deems fit under such circumstances.”

7. Some of the interested parties have contended that finalization of the PUC or like article issues requires deliberation, consideration of technical and commercial evidence, and contemporaneous oral and written exchange of detailed submissions. Therefore, critical product exclusions cannot be decided at the same stage of deciding the PCN methodology. The Authority, however, notes that it had notified the deadline for making submissions with regard to product scope in the Initiation Notification itself. In case the parties required additional time to make submissions with regard to product scope, they could have sought extension of time for the same. In the past as well, the Authority has allowed extension of time where warranted. However, no such request for additional time was received by the Authority. Having failed to exercise their rights within the prescribed time, the interested parties cannot later contend that the deadline prescribed was not appropriate for furnishing comments.
8. In any case, the interested parties have not provided any evidence to demonstrate that the different forms of the product cannot be used interchangeably. The arguments of the interested parties rest on differences in physical appearance, dissolution rate, manufacturing process, equipment and application. However, it is noted that 96% of the imports are in the form of granules, with only 3% of imports being in the form of tablets. Therefore, it is noted that the product is majorly being used in the form of granules only, which is also the form in which domestic industry has produced the product. As regards differences between different forms, the interested parties have not provided any test report demonstrating a difference in dissolution rate. Further, even as per the differences cited by the importers, the production process is common upto the stage of production of solid mass of TCCA, and thereafter, only the incremental process of converting to tablets, powder and granules is different. The difference in equipment also pertains to the same stage. Therefore, the difference in manufacturing process cannot be considered significant, and rather, only pertains to the process relevant for converting the product to the concerned form. Lastly, while the importers have claimed differences in applications, the domestic industry has provided evidence in the form of screenshots of websites of foreign producers, which shows that the applications for all forms are common.
9. The interested parties have also claimed that the domestic industry does not produce granules in different mesh sizes, which has been disputed by the domestic industry. The domestic industry has also provided test report from an independent laboratory comparing the granules by the domestic industry Chinese producers of 5-8 mesh, and that produced by the domestic industry imported from China of 8-22 mesh. It is noted that the products were found comparable in all parameters, that is, form, odour, whiteness, active chlorine content, moisture content, pH value, and solubility. Further, the product produced by the domestic industry is also comparable in these parameters to the specifications advertised by the foreign producers on their website.
10. Lastly, with regard to quality of the product, the importers have provided testimonies from certain users, claiming that the goods supplied by the domestic industry are of poor quality. The domestic industry has pointed out that it has not supplied the product to the said users at all, and instead, has provided testimonies from its own users, which have appreciated the quality of TCCA supplied by it. The Authority notes that the domestic industry has not only supplied the subject goods in the domestic market, but also to the U.S. market. The goods supplied by the domestic industry are registered under the U.S. Environmental Protection Agency. Therefore, there is no basis to consider that the goods supplied by the domestic industry are not of the requisite quality. Further, during 2021-22, when the market share of the subject imports declined, the domestic industry was able to supply a much higher volume, showing that the goods supplied by the domestic industry are comparable to the imported goods. Therefore, the Authority does not find merit in the contention that the domestic industry has not supplied the requisite quality of the product.
11. Accordingly, the scope of the product under consideration is determined as follows.

3. The product under consideration ('PUC') in the present petition is "Trichloro Isocyanuric Acid", also referred to as TCCA. TCCA is a chemical compound commonly used as a disinfectant, bleaching agent and water treatment chemical. TCCA is a powerful oxidizing agent and is widely used in swimming pools, as well as for industrial water treatment and sanitation. It can be produced in powder, tablet and granular form.

TCCA is a disinfectant, algicide, and bactericide mainly for swimming pools and dyestuffs. It is also used as a bleaching agent in the textile industry. It is widely used in civil sanitation for pools and spas, preventing and curing diseases in animal husbandry & fisheries, fruit & vegetable preservation,

wastewater treatment, as an algicide for recycled water in industry and air conditioning, in anti-shrink treatment for woollens, for treating seeds and in organic chemical synthesis.

The product under consideration is classified under Chapter 29, under tariff codes 2933 6910 and 2933 6990. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation.

12. Further, in view of the foregoing, the product produced by the domestic industry is like article to the goods imported from the subject country. The product produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The imported goods and the goods produced by the domestic industry are used interchangeably. In view of the same, the product manufactured by the domestic industry is considered as like article to the product imported into India.

C. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

C.1. Views of other interested parties

13. The interested parties have submitted as under with regard to the scope of domestic industry and standing.
 - i. The applicant has imported TCCA during 2022 and 2024.
 - ii. In an investigation regarding imports of Naphthalene, the Gujarat High Court determined that Bodal Chemicals did not fulfil the standing requirements to be a domestic industry. The applicant does not satisfy the standing requirements as per Rule 2(b) because it has provided misleading and incomplete information, since it has tried to exclude captive production.

C.2. Views of the domestic industry

14. In response to the submissions of the other interested parties, the domestic industry has submitted as follows:
 - i. Contrary to the claim of interested parties, the domestic industry has not imported product under consideration from subject countries during the entire injury period.
 - ii. The conclusions drawn in naphthalene case were case-specific and hold no relevance in the present case.

C.3. Examination by the Authority

15. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines the domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.
16. The Authority, in the preliminary findings, has provisionally concluded that the applicant constitutes domestic industry in terms of Rule 2(b). Thereafter, one of the importers has contended that the domestic industry has imported the subject goods, and that it has not included captive production, relying on the naphthalene case. The Authority has examined the DG System Import data and did not find any import made by the applicant in the period of investigation. Further, the Authority has verified that the applicant has not consumed the product captively.
17. In view of the foregoing and the determination made by the Authority in the preliminary findings, the Authority concludes that the applicant constitutes domestic industry as defined under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules and the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

D. CONFIDENTIALITY

D.1. Views of other interested parties

18. Post preliminary determination, the other interested parties have claimed that the applicant has not provided any detailed breakdown of cost of production under the non-confidential data.

D.2. Views of the domestic industry

19. The domestic industry has not made any submissions with regard to the confidentiality claimed by the other interested parties.

D.3. Examination by the Authority

20. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to all the other interested parties as per Rule 6(7).

21. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on a confidential basis to furnish a non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible to summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

22. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on a confidential basis were directed to provide a sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

23. In particular, the interested parties have sought breakdown of cost of production of the domestic industry. However, since the information is business sensitive in nature, the Authority has accepted the confidentiality claimed in this regard.

E. MISCELLANEOUS

E.1 Views of other interested parties

24. The miscellaneous submissions made by the other interested parties post issuance of preliminary determination are summarized below.
- i. The application contains procedural and substantive deficiencies such as flaw in the injury period and failure to provide adequate information.
 - ii. There were no special circumstances to issue preliminary findings in the present case. The preliminary findings are in violation of Rule 12 Anti-dumping Rules, Article 7 of the WTO Anti-Dumping Agreement, principles of natural justice and fairness, due process of law and violation of legal rights. Rule 12 of Anti-dumping Rules states that Preliminary findings should be issued in ‘appropriate cases.’ The Authority has failed to undertake a meticulous examination of the necessity of provisional measures.
 - iii. Provisional measures should be recommended only when such measures are necessary to prevent injury being caused during the investigation, which was not examined by the Authority.
 - iv. The Authority has failed to conduct a hearing prior to the preliminary findings which violates the due process of law and undermines the legitimacy of preliminary findings with regard to end user interests.
 - v. The Authority has not considered the submissions made by other parties.
 - vi. The Authority has failed to include the name of KHPL in the list of responding importers. KHPL has actively participated in the subject investigation by furnishing its response in a time bound manner.
 - vii. As per the Trade Notice No. 11/2018, the Authority has the discretion to consider any delayed submissions if it is in the larger interest of the investigation. The submissions made by Acuro should be considered, since they significantly impact the findings in terms of scope of the subject goods and impact of the duties on public interest. The Authority has shown flexibility in the past by considering delayed submissions which were crucial for a fair and just determination.

- viii. Acuro has not done any act, which will cause any delay or disruptions in the investigation or give any unfair advantage to itself or any disadvantage to other interested parties.
- ix. Contrary to claim of the domestic industry, the counsel for Acuro submitted authorization before the Authority on 30th May 2024.
- x. The case pertaining to US – Oil Country Tubular Goods cited by the applicant is not relevant as the importer is not furnishing information with regard to dumping margin, but only public interest and product under consideration.
- xi. There is a mismatch in the import data submitted by the petitioner and import data recorded by the Authority. The Authority has failed to thoroughly examine the import data relied upon by the petitioner and properly scrutinize the methodology employed.
- xii. Imposition of duties without any substantial proof will negatively affect the trade relations with China and Japan and can result in retaliatory measures. It can also result in India being viewed as non-compliant to WTO agreements and can expose India to disputes in WTO forums. Imposition of duty can affect economy of the country, trade relations and integrity of its trade defence system.
- xiii. The anti-dumping duty should be on ad valorem basis to enhance transparency, simplify administrative processes and ensure a fair and equitable trading environment for all interested parties.

E.2 Views of the domestic industry

25. In response to the submissions filed by the other interested parties, the domestic industry has responded as below.
- i. The interested parties have not highlighted any procedural and substantive deficiency in the application. The investigation was initiated by Authority only after being satisfied of accuracy and adequacy of the information provided.
 - ii. There is no legal requirement of existence of special circumstances as a pre-requisite for imposition of preliminary measures. In fact, other investigating authorities are either mandatorily required to or as a practice, record preliminary findings in all cases.
 - iii. From the preliminary findings, it is evident that the Authority has considered submissions of all parties. In case the interested parties have made confidential submissions without sharing any non-confidential version, such submissions must be disregarded.
 - iv. There is no legal requirement that an oral hearing must be conducted before preliminary findings are issued.
 - v. The domestic industry has not received any non-confidential response from KHPL. Such a response should not be accepted, unless circulated to all parties.
 - vi. Acuro Organics has participated after a delay of 206 days from the deadline for participation, without providing any justification. As per WTO Dispute Settlement Body, an investigating authority can disregard the submissions made by the party that are beyond the prescribed time limit. Acuro Organics did not even take the permission of the Authority before participating in the oral hearing.
 - vii. While Acuro Organics was represented by a counsel at the oral hearing, no authorization was filed in favour of the counsel.
 - viii. There is bound to be a difference in the import volume based on the information available with the applicant, and the DG Systems data considered by the Authority, owing to the difference in the source of information used.
 - ix. The investigation has been initiated and conducted by duly complying with all WTO requirements, and thus, the remedy should be considered as WTO-compliant.
 - x. Imposition of ad-valorem duty would render the duty imposed ineffective since import prices have declined steeply.

E.3 Examination by the Authority

26. The present investigation was initiated based on the data/information provided by the applicants. It is noted that, the Authority, only after satisfaction that petition contained sufficient evidence to justify initiation of the investigation decided to initiate the present investigation. Further, subsequent to initiation, information has been sought from the applicant to the extent deemed necessary and the same has been provided by the applicant.

27. The interested parties have claimed that there were no special circumstances warranting issuance of preliminary findings, and that no oral hearing was conducted prior thereto. The Authority notes that the law does not require existence of special circumstances or that a hearing be conducted, for issuance of preliminary findings. As per the provisions of Rule 12, the Authority may record preliminary findings in appropriate cases. In the present case, while issuing the preliminary findings, the Authority has examined dumping, extent of injury and causal link. The preliminary findings contained a detailed examination of these accounts. The Authority noted that the domestic industry suffered significant injury during the period of investigation and injury at such significant level may lead to unviability of the plant. It is imperative that domestic producers should be provided a level playing field and remedy from unfair trade practice of dumping. It is noted that the applicant had requested interim duty in its application and had given reasons for the same. The contents of the preliminary findings in themselves provide sufficient justification for invoking interim measures. The measures were recommended as found necessary to prevent injury being caused during the investigation. Accordingly, the Authority recommended the imposition of provisional duties.
28. While the interested parties have claimed that their submissions were not examined, they have not highlighted any submission which was not examined by the Authority before the issuance of the preliminary findings. In any case, all submissions, to the extent relevant, have been examined in recording the essential facts in the present final findings.
29. With regard to participation by Keshav Hichem Private Limited (KHPL), the Authority notes that the importer furnished a response to the questionnaire, and circulated a non-confidential version of the same to all interested parties. The submissions made by the importer have been considered by the Authority herein.
30. With regard to participation by Acuro Organics, the Authority notes that the importer has participated after the expiry of almost 7 months from the deadline. In view of the significant delay in participation, the Authority finds that the importer did not exercise its rights in a timely manner. In view of the same, the Authority considers that Acuro Organics is precluded from participating in the investigation, by virtue of delayed submissions. In any case, there are no submissions made by the Acuro Organics, which have not been addressed in the examination of the Authority, by virtue of similar submissions having been made by other interested parties.
31. The interested parties have highlighted that there is a difference in the import volumes provided by the domestic industry in its application and that considered by the Authority in the preliminary findings. The Authority notes that the domestic industry had provided information as available to it, while the Authority has relied upon data from DG Systems. However, the underlying conclusions of increase in imports, inadequate increase in prices having regard to increase in cost, and positive price undercutting, remain the same.
32. The interested parties have contended that duty should be imposed on ad valorem basis, and not fixed quantum basis. The Authority shall determine the appropriate form of duty after it has concluded dumping, injury and causal link. The form of the anti-dumping measures shall be decided by the Authority taking in to consideration the facts and circumstances of the case.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

F.1. Views of other interested parties

33. The other interested parties have argued as follows with regard to determination of normal value, export price and dumping margin, post issuance of preliminary findings:
 - i. China should be granted a market economy status.
 - ii. The applicant has not provided any evidence of normal price of TCCA in China and Japan.
 - iii. The dumping margin should be calculated quarterly basis to capture variations such as increase in export price during peak season and decrease during the off season.
 - iv. The low prices offered by foreign producers reflects that they have efficient production methods and cannot be termed as unfair practices.
 - v. TCCA is a commodity product and the prices are subject to fluctuations due to supply-demand imbalances, global market dynamics and prices of coal and natural gas. A small dip in prices in the period of investigation is a result of market forces, and not of dumping.
 - vi. The Authority has incorrectly determined that Heibei misrepresented the date of invoice in its export data to India. The initial, incorrect invoices were mistakenly provided for verification. The clerical error was corrected in Appendix 3B of the Questionnaire Response and all relevant documents to show authenticity of the transactions have been provided.

- vii. The Authority did not take any clarification on misrepresented data by Heibei before issuing the preliminary findings, which is in violation of 9A(6) of the Customs Tariff Act and Article 6 of the Anti-Dumping Agreement.
- viii. The export price calculated does not account for the related party transactions of the applicant to its US offices.

F.2. Views of the domestic industry

34. The submissions of domestic industry with regard to determination of normal value, export price and dumping margin, post issuance of preliminary findings, are summarized as follows:
- i. As per the Accession Protocol and practice of Authority, China should be treated as a non-market economy. Market economy treatment can be allowed only when the same is claimed and appropriateness thereof is demonstrated.
 - ii. The domestic industry has provided such information, as was available to it, relating to normal value in China and Japan.
 - iii. It is evident from the significantly high dumping margin determined by the Authority that the exporters are trying to destroy competition in India.
 - iv. If low selling price was construed to imply the efficiency of production methods, dumping would never exist in any investigation.
 - v. The domestic industry supports calculation of margins on quarterly basis and has already provided its data on a monthly basis in the application itself.
 - vi. There is no evidence to substantiate the claim of interested parties that the global market dynamics, demand-supply imbalances and prices of coal and natural gas have caused price fluctuations of the subject goods. The demand has increased, with supply remaining relatively same. There have been no market disruptions identified in the supply of the subject goods from the few regions that have the capacity to produce it, including India. Further, fluctuations in prices of natural gas and coal have not been demonstrated to impact the prices of the subject goods.
 - vii. The response filed by Hebei Xingfei was correctly rejected, in view of the findings issued in the anti-dumping investigation concerning imports of Para-Tertiary Butyl Phenol, wherein the date of invoice was considered as the date of sale for exports.
 - viii. If Heibei is allowed to claim that the invoices provided earlier was erroneous, then there is no credibility of any other information provided by that exporter and there is no way for the Authority to verify if it is now correct.
 - ix. The domestic industry has not supplied the subject goods to its related party in US during the period of investigation.

F.3. Examination by the Authority

35. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

"i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

(b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin."

36. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption of treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information on whether their data/information could be adopted for normal value determination. None of the foreign producers have claimed market economy treatment in the present case. Accordingly, the normal value has been determined in accordance with the provisions of para (7) of Annexure-I of the Anti-Dumping Rules. The same is appropriate, having regard to the provisions of Article 2.2.1.1 of the Anti-Dumping Agreement read with an obligation under 15(a)(i) of the Accession Protocol.
37. The interested parties have contended that the domestic industry has not provided adequate information with regard to normal value. However, the interested parties have not provided any alternative information which may be relied upon. In the case of China, the Authority has relied on price payable in India, in the absence of any information with regard to selling price or constructed value or export price in an appropriate market economy third country. In the case of Japan, in the absence of participation by any producer, the Authority has determined the normal value based on facts available.
38. The producers Shandong Daming Science & Technology Co., Ltd. and Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd have requested for determination of margins on a quarterly basis. The authority sought information relevant to the present investigation as per para (25) of the Initiation Notification dated 30th September 2023. However, no such request for quarterly analysis was received within the stipulated time. Further, the producer filed its exporter questionnaire response on 18th January, 2024 and no such request for quarterly analysis was made. It is pertinent to note that the exporter itself provided its claim on 30th January, 2024 for the export price only on yearly basis and not quarterly. The request for monthly analysis was made after the issuance of preliminary findings. At this stage, consideration of the request would imply again seeking information from interested parties, verifying the same and thereafter evaluating whether margins should be calculated on a monthly/quarterly basis. In view of the delayed request for margins on a quarterly basis, the Authority has not found it appropriate to consider the request at this stage.
39. With regard to the response by Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd. ("Hebei"), the producer has claimed that it provided an incorrect invoice originally, which was prepared by an inexperienced employee, and lacked banking information. Thereafter, the sales manager corrected and revised the invoices. The producer has provided the revised invoices, with invoice date falling within the period of investigation. The Authority examined all documentary evidence submitted by the producer, Hebei, and its exporter, Hydrotech Investment Corporation Limited ("Hydrotech"). Hebei has reported two invoices, 22HT411H01 and 22HT415H01, during the period of investigation. The Invoice No. 22HT411H01 initially provided was issued on 10th March 2022. Hebei later provided the same invoice, bearing the date as 2nd April 2022. However, it is noted that Hydrotech issued its invoice in respect of such sale on 31st March 2022. It is impossible that the exporter has sold the goods, before it even purchased the same from the producer. Further, the Customs Declaration filed before the Chinese Customs bears the date of invoice as 10th March 2022. Therefore, it is evident that the revised invoice being supplied by the producer, Hebei, is not the correct invoice, but has been created only for the purpose of the present investigation and to mislead the Authority. Similarly, the Customs Declaration filed for invoice 22HT415H01 bears the date of 31st March 2022, as against the date of 15th April 2022, as mentioned in the revised invoice provided by Hebei.
40. The Authority notes that if an interested party is allowed to claim that the invoices provided were incorrect, the information provided by the party cannot be considered reliable in any case. The invoices provided by Hebei originally also bore its stamp. If the producer is permitted to claim that the original invoice was incorrect, that casts doubt on the veracity of all documentation. In view of the above discussion, the Authority finds that the revised invoices supplied by Hebei, claiming the same to be correct invoices, cannot be considered to be reliable in any manner. Therefore, the Authority concludes that an individual duty cannot be allowed to Hebei in the present investigation.
41. Lastly, interested parties have claimed that the prices of the subject goods are affected by efficient production methods, global market dynamics, demand-supply imbalances and prices of coal and natural gas. The Authority notes that dumping is required to be determined in the manner provided under the provisions of Customs Tariff Act, Anti-Dumping Rules and in particular, Annexure-I of the Anti-Dumping Rules. The same have been complied with, and no infirmity in the manner of determination of normal value or export price has been highlighted by any party. It is possible that the prices were impacted by the factors cited by the interested parties. However, the Authority notes that reasons for dumping are entirely irrelevant under the law. Only existence and degree of dumping is relevant in an antidumping proceeding and the reasons leading to such dumping are not material.
42. Since no submissions have been made with regard to the manner of determination of normal value and export price for other cooperative producers from China, and non-cooperative producers from China and Japan in the preliminary findings, the normal value and export price is considered on the same basis for the final determination.

43. The normal value, export price and dumping margin determined in the present investigation are as follows:

Dumping Margin Table

Producer	Normal Value (USD/MT)	Export Price (USD/MT)	Dumping Margin (USD/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin
					(Range)
China					
Shandong Goldenstar Water Environment Technology Co., Ltd	***	***	***	***	60-70
Puyang Cleanway Chemicals Limited	***	***	***	***	50-60
Shandong Daming Science and Technology Co. Ltd	***	***	***	***	50-60
Shandong Lantian Disinfection Technology Co	***	***	***	***	70-80
Any Other	***	***	***	***	80-90
Japan					
Any Other	***	***	***	***	10-20

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1. Views of other interested parties

44. The other interested parties have made the following submissions post preliminary findings concerning injury, causal link and determination of non-injurious price.
- The applicant has not established that there is material injury caused by dumped imports. The increase in imports has not caused injury to the domestic industry.
 - Subject imports have moved in tandem with the demand in the country, while the domestic sales of the domestic industry have shown significant and continuous growth.
 - The significant decline in the demand for TCCA is because of its restricted use in commercial spaces and public pools due to Covid lockdown. The subject imports decreased significantly due to disruptions in export capabilities of China during Covid-19, which is similar to the trend of demand in India. The imports increased with the increase in demand.
 - The price of the product under consideration and the landed price increased throughout the injury period which shows that there was no price undercutting by the import product. The purchase enquiries made by Prinita Chem show that the selling price of the applicant is more than or equal to the import price.
 - A mere price difference between imported and domestic product does not constitute dumping. The pricing of the applicant is in line with the global rates of the subject goods.
 - The Authority should determine price undercutting for the entire injury period to assess its effect on profitability.
 - The fact that landed value of imports was below the selling price of the domestic industry throughout the injury period is an assessment of price undercutting, and not price suppression / depression.
 - The landed price of TCCA did not decrease at the same rate as cost of raw materials.
 - The cost of sales experienced fluctuations with an overall increase, whereas the selling price and landed prices witnessed significant growth. The petitioner witnessed a significant rise in its profits, with only marginal increase in the cost of sales. Thus, there was no price depression or suppression by the imports.
 - The economic performance of the petitioner has witnessed a robust growth in all parameters.
 - The comparison should not be based on 2020-21 since it was an abnormal period effected due to various factors like Covid-19, soaring raw material prices, floods in China etc. In this period, domestic industry witnessed unusually high profits and when the situation stabilised, the performance of the domestic industry declined but it showed an overall increase trend. The base year should be of 2019-20 to provide an accurate assessment.

- xii. The production, domestic sales and capacity utilization of the petitioner have increased significantly. However, the export sales have declined significantly, which might be the reason of injury to the domestic industry.
- xiii. The sales of domestic industry increased significantly because of reduced competition from imports during the same period, allowing the domestic industry to increase its market share. The domestic sales of domestic industry decreased after pandemic once the market conditions stabilised.
- xiv. The applicant was able to sell goods in 2021-22, only because of shipment delays from China.
- xv. The reliance by Authority on absolute market share figures without considering growth trends is flawed and misleading because it disregards fundamental principles of a dynamic market. The market share of the applicant has increased despite competition from imports.
- xvi. The imports lost market share during 2021-22 and the period of investigation, compared to the base year.
- xvii. The inventory level has remained stable because of which petitioner was able to maintain adequate stock levels despite significant increase in sales and production. The increase in inventory levels in the year 2020-21 and 2021-22 was due to the temporary market disruptions due to Covid pandemic.
- xviii. The per unit loss declined during the period of investigation and the return on investment improved as well.
- xix. Despite higher selling price showing increase of 44% as compared to cost of sales which have shown an increase of 11%, the actual profits did not increase proportionally.
- xx. The cash flow figure remained positive throughout the injury period and significantly increased in 2021-22. Only the return on investment has shown a decline.
- xxi. The 70% increase in cost of raw material as claimed by the petitioner is inaccurate and lacks evidence.
- xxii. The selling price is below cost of sale due to strategic pricing or internal inefficiencies, and not because of subject imports.
- xxiii. There was no injury attributable to parameters regarding employment, productivity and wages.
- xxiv. The examination of growth identical to volume and price effect analysis of domestic industry is flawed.
- xxv. There is no adverse impact on the ability of the petitioner to raise capital investments.
- xxvi. Post POI data submitted by the applicant should not be considered.
- xxvii. An analysis of economic parameters and lack of price and volume effect demonstrates that there is no sufficient basis to find a causal link. The Authority must examine the other factors resulting in reduced profits and injury.
- xxviii. The decline in the demand during the injury period shows that independent market forces was affecting the growth of the domestic industry.
- xxix. The Authority must examine and verify the cost structure of the applicant to ensure fair assessment of the alleged injury, as erroneous cost information impair the ability of other parties to defend their interests.
- xxx. The increase in costs is associated with non-production costs like commissions, discounts, rebates, freight etc.
- xxxi. The acquisition of Trion Chemicals Private Limited by the petitioner during the injury period led to revaluation of certain assets.
- xxxii. The significant increase in the depreciation cost, interest and net fixed assets of the applicant, without increase in capacity, must be separately examined by the Authority.
- xxxiii. There are multiple inefficiencies with the domestic industry including location of the production facility, obsolete technology, significant depreciation and interest, and low quality product, leading to higher product cost.
- xxxiv. The financial statements of Trion Chemicals shows that it was suffering significant losses, and was not capable of running the industry, due to old machinery.
- xxxv. The domestic industry has suffered injury due to internal problems, depressed market conditions globally, fluctuations in raw material prices, impact of Covid pandemic, Russia- Ukraine War and shutdown of the plant, which have caused injury to the petitioner.
- xxxvi. Covid-19 pandemic led to near-complete shutdown of swimming pools and water treatment facilities which are the primary consumers of product under consideration.

- xxxvii. As per the financial statement of Quarter 2 of 2022-23, the TCCA plant of the petitioner was facing internal challenges, including technical issues and ownership transition.
- xxxviii. The petitioner has admitted that it has not been able to achieve high-capacity utilisation traditionally in its earnings.
- xxxix. As per financial statements of the applicant, the decline in profits in 2022-23 was because of economic recession.
 - xl. The financial statements of the applicant show that the company was earning profits, despite claiming injury from imports and did not cite imports of TCCA as a reason for profit decline. TCCA contributed 10% of the total revenue.
 - xli. As per the financial statements of Quarter 3 of the 2022-23, the petitioner was unable to export to U.S. due to container issues, which is why it is forced to sell in the Indian market.
 - xl.ii. The applicant has not been able to export to USA due to the poor quality of its product.
 - xl.iii. The priority of the petitioner is to cater to the export demand for premium quality of TCCA especially in the U.S. market over the domestic demand of lower quality product. It is actively expanding its production capacity to meet the growing demand in U.S. market.
 - xl.iv. The product imported from China is of poor quality, indicating different market segment.
- xl. The return on capital employed of 22% and non-injurious price are highly inflated which gives undue advantage and protection to the domestic industry. The Authority must adopt the return on capital employed earned by the industry when there was no allegation of dumping.

G.2. Views of the domestic industry

- 45. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link post issuance of preliminary findings:
 - i. The decrease in subject imports during 2020-21 and 2021-22 is only due to lack of demand caused by Covid-19. Thereafter, the subject imports have witnessed significant increase in absolute and relative terms, and were highest during the period of investigation.
 - ii. The increase in volume of imports has directly impacted the capacity utilisation of domestic industry.
 - iii. The volume of imports has continued to increase post period of investigation as well.
 - iv. The increase in subject imports has outpaced the increase in demand, especially during the period of investigation.
 - v. The subject imports constitute almost entire market share in India.
 - vi. The imports were significantly undercutting the costs and prices of the domestic industry during the period of investigation, and have continued the same during the subsequent period.
 - vii. The prices of subject imports were even below the variable cost of the domestic industry during the period of investigation and the gap only increased in 2023-24.
 - viii. The imports have suppressed the prices of the domestic industry.
 - ix. No evidence has been provided to show that the prices of the domestic industry are not in line with global rates, and it has already been established that the exporters have resorted to dumping.
 - x. During 2023-24, the domestic industry was forced to reduce its prices, pursuant to a decline in landed price.
 - xi. During 2021-22, the domestic industry was able to capture the increase in demand. However, during the period of investigation, the imports captured the increased demand and increased their market share.
 - xii. The production and capacity utilization of domestic industry was low despite it having enough capacity to cater to almost the entire demand.
 - xiii. The domestic industry deployed only ***% of its capacity in this period. The situation only worsened in post period of investigation.
 - xiv. The domestic industry has the capability to enhance its capacity by *** MT in future, in case the demand increases.
 - xv. The domestic sales of the domestic industry are negligible compared to its capacity.

- xvi. The domestic sales and market share of the domestic industry have increased only till 2021-22 and have declined thereafter.
- xvii. The market share of domestic industry was negligible, while the imports accounted for almost the entirety of the demand.
- xviii. Due to subject imports, the domestic industry was forced to export at losses and restrict production to dispose of its inventory.
- xix. The average inventory of domestic industry is equal to the sales made during the entire period of investigation and the inventory holding period was significant during the period of investigation and the subsequent period.
- xx. In each month of period of investigation, the inventories held were significantly higher than the sales made by domestic industry during the month.
- xxi. During the period of investigation, the domestic industry incurred losses, cash losses and reported a negative return which has aggravated in the post period of investigation.
- xxii. Even if period of investigation is compared to the base year, the total losses incurred by domestic industry increased by ***%.
- xxiii. The domestic industry has faced negative EBIDTA which shows that its ability to raise capital has been affected.
- xxiv. The domestic industry was forced to shut down its plant during and subsequent to the period of investigation due to dumping, which cannot be attributed to Covid-19.
- xxv. Contrary to claim of the interested parties, the domestic industry has not witnessed any robust growth in any parameter.
- xxvi. The domestic industry has not claimed injury on account of level of employment and wages.
- xxvii. Injury analysis must consider each year of the injury period and cannot be simply an end points comparison. Comparison of data of only one period defeats the purpose of seeking information of 4 years and is in violation of the WTO Agreement.
- xxviii. There has been no material change in expenses related to the product over the injury period. The cost of production of the domestic industry can be verified in detail.
- xxix. The direct selling overheads are negligible in the total cost of production, and thus, do not have a material impact on the same.
- xxx. The interested parties have claimed that the cost of production of the domestic industry is inflated based on certain evidence, which has been claimed confidential. As a result, the domestic industry is precluded from commenting on the same.
- xxxi. Fluctuations in fixed assets reported in Proforma IV A are because of allocation between domestic and export sales. There is no change in total assets for the product.
- xxxii. The impact of revaluation of assets has been excluded from the capital employed.
- xxxiii. If any period is affected by other factors, effect of such factors can be segregated. However, such period cannot be ignored.
- xxxiv. The injury information submitted by the domestic industry relates to its domestic operations only and the decline in exports has not caused injury to the domestic industry.
- xxxv. Injury has been suffered by domestic industry during 2022-23, which was not impacted by Covid-19. Impact of Covid-19 pandemic cannot be cited in perpetuity as a ground for avoiding anti-dumping duty.
- xxxvi. There is no impact of the Russian-Ukraine war on the market for subject goods since both the countries are not the subject countries, have not supplied any major raw material and are not a major export market for domestic industry.
- xxxvii. The interested parties have failed to identify any internal inefficiencies of the domestic industry which could have caused injury.
- xxxviii. Considering the nature of the subject goods, the location of plant has no relevance, and the domestic industry has sourced raw material from Ahmedabad itself. Thus, injury to the domestic industry is not attributable to its location.

- xxxix. The interested parties have relied on closure of plant relating to dyestuffs to claim obsolescence of technology, which is not relevant to the present case.
- xl. The statements made in the earning conference calls do not pertain to period of investigation and are related to historic data.
- xli. With regard the reference to the statement in the financial statements concerning reduced exports due to container issues, the same does not explain the decline in sales in the domestic market.
- xlii. The financial statements published by domestic industry contain information of company as whole, and not like article, and are thus, cannot be relied upon.
- xliii. The Authority is required to consider injury caused to domestic industry as it exists and is not required to conduct non-attribution analysis for factors inherent to the domestic industry.
- xliv. The Tribunal has held previously that unless parties can demonstrate the need for a return at a different level, a return of 22% shall be allowed as reasonable.

G.3. Examination by the Authority

- 46. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry made post-issuance of the preliminary findings. The analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties. Further, the Authority had earlier examined injury to the domestic industry in the preliminary findings. The same has not been examined in the present final findings to the extent it has already been examined in the preliminary findings.
- 47. Certain interested parties have also contended that for injury analysis, the period of investigation should be compared with the base year, and not with the preceding year. The Authority notes that an objective injury analysis cannot be based on a comparison of merely two periods. The injury analysis should take into account each year forming part of the injury period. In the absence of such an analysis, the very point of seeking information for 4 years gets defeated. The WTO Panel, in *European Communities – Anti-Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil* has also noted the same, concluding that the injury analysis must take into account the actual trends for each period.

“Thus, a meaningful investigation must also take into account the actual intervening trends in each of the injury factors and indices -- rather than just a comparison of "end-points". There must a streamlined, genuine and undistorted picture drawn from the facts before the investigating authority. Only on the basis of such a thorough and dynamic evaluation of data capturing the current state of the industry in the determination would a reviewing panel be able to assess whether the conclusions drawn from the examination are those of an unbiased and objective authority.”

In view of the same, the Authority has examined the trend of injury, considering each period. However, due consideration has been given to the factors affecting each period in conducting the injury analysis.

- 48. The domestic industry has also submitted information for the period 2023-24 and April to June 2024. The information provided by the domestic industry shows that the imports have increased, and have caused further injury to the domestic industry. The domestic industry was also forced to shut down its plant for much of the period. However, the information for such period does not lead the Authority to arrive at a different conclusion with respect to any parameter than that based on the injury period, and the domestic industry has not justified the need for consideration of the information for the period falling beyond the injury period. Accordingly, the Authority has not examined such information.
- 49. Some of the interested parties have claimed that the financial statements of the domestic industry show that it has earned profits, negating the claim of injury suffered. The Authority notes that, under the provisions of (vi) of Annexure-II of the Anti-Dumping Rules, injury to the domestic industry is required to be seen with respect to the like article, and not the performance of the company as a whole. Therefore, reference to the financial statements is not appropriate, since the domestic industry is a multi-product company.
- 50. The interested parties have claimed that the cost structure of the applicant should be verified and it may be inflated. The Authority has verified the information provided by the domestic industry in detail, in accordance with the provisions of Rule 8 of the Anti-Dumping Rules. Only such verified information has been relied upon for the present examination.

H. Cumulative assessment of injury

- 51. In the preliminary findings, the Authority noted that:
 - a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margin of dumping from each of the subject countries is more than the *de minimis* limits prescribed under the Rules.

- b. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.

52. Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the imports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

In view of the above, the Authority considered that it is appropriate to assess the effect of dumped imports of the subject goods from China PR and Japan on the domestic industry. No submissions have been made by any interested party to displace the conclusions arrived at in the preliminary findings.

I. Volume effect of the dumped imports

a) Assessment of demand / apparent consumption

53. As noted in para 56-57 of the preliminary findings, the demand for the subject goods declined in 2020-21 but increased gradually thereafter. The interested parties, including the domestic industry, have highlighted that the demand for the subject goods was impacted by Covid-19. However, it is noted that the demand has recovered during the period of investigation, and is higher than the previous periods.

b) Import Volumes from the subject countries

54. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority noted in the preliminary findings that the volume of imports has increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption. In particular, the imports increased by 236% during the period of investigation, after declining in 2020-21. Some of the interested parties have contended that the increase in imports was a result of increase in demand, post recovery from Covid-19. However, it is noted that, post recovery from Covid, the demand increased by 194% compared to the previous year. By contrast, the imports have increased at a higher rate of 236%. Therefore, the increase in imports is not solely attributable to the increase in demand.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Subject imports	MT	4,414	1,742	1,917	6,433
China	MT	4,211	1,710	1,705	6,203
Japan	MT	203	33	212	230
Other Countries	MT	-	42	21	100
Total imports	MT	4,414	1,784	1,938	6,533
Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	40	1343	1173
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	401	344	257
Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	40	53	155
Subject import in relation to:					
Total imports	%	100%	98%	99%	98%
Production	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	10	13	57
Consumption	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	82	94

I.1. Price effect of the dumped imports

a) Price undercutting

55. In the preliminary findings, the Authority noted that the price undercutting is positive and significant during the period of investigation.

Particulars	Unit	POI
Net selling price	₹/MT	***

Landed Price	₹/MT	1,55,707
Price undercutting	₹/MT	***
Price undercutting	%	***%
Range	Range	30-40%

56. Some of the interested parties have claimed that price undercutting should be examined over the entire injury period, in the background of the profitability of the domestic industry. The Authority notes that the imports have been priced below the selling price of the domestic industry throughout the injury period. As a result, the market share of the domestic industry has remained low, while the imports have accounted for the majority of the market in each period. The domestic industry has also suffered increased losses, when the price undercutting increased during the period of investigation, implying a greater strain on the prices of the domestic industry.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	130	144
Landed Price	₹/MT	1,17,929	1,05,265	1,66,360	1,55,707
Trend	Indexed	100	89	141	132
Price undercutting	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	137	80	197
Price undercutting	%	***	***	***	***
Range	Range	20-30%	30-40%	10-20%	30-40%

b) Price suppression/depression

57. In the preliminary findings, the Authority found that the landed value of the imports was below the selling price of the domestic industry throughout the injury period. As a result, the imports prevented price increases, which otherwise would have occurred, since the domestic industry was not able to increase its prices in line with the increase in cost. The Authority had also noted that the landed price of the domestic industry did not increase in line with the raw material cost.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	89	74	111
Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	130	144
Landed Price	₹/MT	1,17,929	1,05,265	1,66,360	1,55,707
Trend	Indexed	100	89	141	132
Raw material cost	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	70	74	125

58. In this regard, certain interested parties have contended that landed price being below the selling price is a parameter of price undercutting and not price suppression or depression. In this regard, the Authority notes that the price suppression or depression is required to be examined with reference to selling price and cost of sales. However, the trends of landed price and comparison of landed price and selling price help understand the impact of the imports on the selling price of the domestic industry. This is relevant since the Authority is required to not merely conclude existence of price suppression/depression, but whether imports have caused price suppression / depression. In the present case, the comparison of landed price, cost of sales and selling price demonstrate that the imports prevented price increases, which otherwise would have occurred.
59. The table below shows year-on-year change in the cost of sales and selling price of the applicant and the landed price of imports.

Particulars	Y/Y	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Cost of Sales	₹/MT		(***)	(***)	***
Indexed	%		(11)	(17)	49
Selling Price	₹/MT		(***)	***	***
Indexed	%		(2)	32	11
Landed Price	₹/MT		(12664)	61095	(10653)

60. It is seen that in 2019-20, the domestic industry was in losses. In 2020-21, the cost of sales declined by around Rs *** per MT. The applicant's selling price declined by only Rs *** per MT in this period. In the subsequent period, the cost of sales declined by Rs *** per MT but the selling price increased by Rs ***. The domestic industry recovered from losses and made profits in 2021-22. This was the period when the import prices also went up and the share of imports in the market declined.

61. In the period of investigation, the cost of sales of the domestic industry has increased by Rs *** per MT but the selling price has increased only by Rs *** per MT. The increase in selling price is not in line with the increase in the cost of sales. This is because, in this period, the import volume shot up and despite increase in the cost of sales, the import price declined.

1.2. Economic parameters of the domestic industry

a) **Production, capacity, capacity utilization and sales volumes**

62. In the preliminary findings, the Authority noted that the domestic industry had been able to deploy only ***% of its capacity. The domestic industry faced underutilized capacities, and was forced to shut down its plant for a significant part of the period of investigation. The domestic industry was able to sell only a small share of its production and capacity in the domestic market. Further, the domestic industry was forced to export the subject goods at losses.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Installed Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	401	344	257
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	401	345	257
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	39	1345	1172
Export Sales	MT	720	680	1,420	600
Trend	Indexed	100	94	197	83

63. Some of the interested parties have claimed that the domestic sales of the domestic industry increased due to reduction in imports due to Covid-19, and declined once market situation stabilized. The Authority notes that there is no reason for the domestic sales of the domestic industry to decline in a situation where the demand has recovered during the period of investigation. Such decline in sales cannot be considered as “stabilization” of the market. The decline in domestic sales, despite increasing demand, shows that the imports have prevented the domestic industry from catering to a larger share of the market.

64. The Authority also notes that the capacity in the country is significant, and comparable to the demand. The domestic industry could have operated at a reasonably high-capacity utilization, if not for the imports catering to the higher market share during the period of investigation.

b) **Market share**

65. Market share of the domestic industry and of imports was as shown in the table below:

Market share	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	1700	500
Subject imports	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	83	94
Other Imports	%	0%	2%	1%	1%
Trend	Indexed	-	100	50	50

66. In the preliminary findings, the Authority noted that despite being the sole producer of the subject goods in India and having the capacity equivalent to approx. ***% of the demand, the share of the domestic industry in the Indian market is only ***%. The imports from the subject countries have continued to dominate the Indian market throughout the injury period with a 93% share during the period of investigation.
67. The interested parties have claimed that the Authority should not rely only on absolute figures of market share. The Authority notes that in a situation where the market share of the domestic industry is extremely low, it is important to consider the absolute information, to understand the impact of the imports on the market share of the domestic industry. The Authority further notes that not only is the market share of the domestic industry low, but has also registered a decline during the period of investigation, after increasing till the preceding year.
68. Some of the interested parties have highlighted that the domestic industry was able to sell goods in 2021-22, only because of shipment delays from China. The Authority notes that such fact does not negate the conclusion that the domestic industry has suffered a decline in market share and is holding a very low share in the market. On the contrary, it shows that the domestic industry is in a position to cater to a higher market share, in the absence of dumping.

c) Inventories

69. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Opening Inventory	MT	***	***	***	***
Closing Inventory	MT	***	***	***	***
Average Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	154	182	99

70. It is noted that the average inventories of the domestic industry have continuously increased till 2021-22 and have decreased only during the period of investigation. However, the domestic industry has nevertheless, not been able to dispose of its production in the domestic market. Further, it is seen that the average inventory holding period of the domestic industry is *** days.

d) Profitability, cash profits and return on capital employed

71. With regard to the profitability of the domestic industry, the Authority noted in the preliminary findings that the profitability of the domestic industry deteriorated during the period of investigation. The domestic industry faced losses, cash losses and negative return on investment during the period of investigation. No submission or evidence has been adduced by the interested parties to displace the observations made in the preliminary findings. Certain interested parties have cited other factors impacting profitability of the domestic industry. The same have been examined hereinbelow, while examining causal link.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	89	74	111
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	130	144
Profit/ (loss)	₹/MT	(***)	(***)	***	(***)

Trend	Indexed	(100)	(75)	11	(59)
Profit/ (loss)	₹ Lacs	(***)	(***)	***	(***)
Trend	Indexed	(100)	(29)	142	(691)
Cash Profit	₹ Lacs	(***)	(***)	***	(***)
Trend	Indexed	(100)	(25)	450	(574)
Return of investment	%	(***)	(***)	***	(***)
Trend	Indexed	(100)	(72)	32	(90)

72. The interested parties have also claimed that the cost of sales of the domestic industry have increased due to increases in commission, discounts, rebates, etc. The Authority notes that on a per unit basis, the cost of sales of the domestic industry have increased by ***% compared to the base year. Such costs on account of commission, discounts, rebates, etc. account for only ***% of the total costs of the domestic industry, and are thus, not significant. Therefore, the increase in cost of sales cannot be attributed to the commission, discounts, rebates, etc. incurred by the domestic industry. In fact, the domestic industry has emphasized that there has been a steep increase in the raw material costs.
73. With regard to revaluation of fixed assets, the effect thereof was segregated and excluded from the net fixed assets considered by the Authority.
74. The interested parties based on Proforma IV, have also cited the difference between the increase in depreciation, interest cost and capital employed, despite there being no increase in capacity. The domestic industry has explained that the same is on account of allocation between domestic and export sales, and there is no material increase in total costs. The table below shows the total depreciation, interest cost and capital employed by the domestic industry for both domestic and export markets.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Depreciation	₹ lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	108	108
Interest cost	₹ lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	182	136
Capital employed	₹ lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	99	81

75. The Authority notes that the depreciation costs have increased by ***%. Such increase has been found consistent with the accounting records of the domestic industry, and the accounting policies followed. In any case, the increase in depreciation is not significant enough to be the cause of the losses of the domestic industry. The depreciation cost has increased by ₹ *** lacs over the injury period, while the losses of the domestic industry have increased by ₹ *** lacs. While there is a steeper increase in interest costs, such costs are negligible in relation to the total cost, at only ***%.
76. The Authority also notes that the profitability of the domestic industry has deteriorated steeply in the period of investigation, compared to the preceding year. However, while the depreciation cost has remained the same, the interest cost has actually declined compared to the previous year.

e) Employment, productivity and wages

77. In the preliminary findings, the Authority noted that the domestic industry has not claimed injury on this account. The interested parties have emphasized that the number of employees, wages and productivity of the domestic industry have increased. Since the Authority has not concluded injury with regard to this parameter, the parameter does not require re-examination.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
No. of employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	126	132	134
Salaries & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	151	147

Productivity per day	MT/Days	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	400	300	300
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	320	260	180

f) Growth

78. No submissions have been made by the interested parties to displace the conclusions reached with regard to growth of the domestic industry in the preliminary findings. Accordingly, the Authority confirms the contents of para 81 of the preliminary findings.

g) Impact on the ability to raise capital investment

79. While interested parties have claimed that the imports have not impacted the ability of the domestic industry to raise capital investment, they have not provided any basis of such claim. Accordingly, the Authority confirms the contents of para 82 of the preliminary findings.

h) Factors affecting prices

80. As noted in the preliminary findings, the domestic industry has not been able to increase its prices to a profitable level during the period of investigation, and has sold the goods at losses. Further, the low-priced imports have also resulted in low market share, and underutilized capacity which ultimately forced the applicant to close its operations. Thus, the subject imports have affected the prices of the domestic industry.

i) The magnitude of dumping

81. There is significant dumping of the subject goods from the subject countries which has destroyed the conditions of fair competition in the market.

I.3. Overall assessment of injury

82. In view of the above, the Authority finds that the observations in the preliminary findings, concerning injury, continue to hold. The examination of the imports of the subject product and the performance of domestic industry clearly shows that:

- i. Despite the fact that the domestic industry has enough capacity to cater to the approx. ***% entire Indian demand, the imports have dominated the market.
- ii. The imports reduced in 2020-21 and 2021-22 but increased by 236% thereafter and were the highest during the period of investigation.
- iii. The imports are ***% higher than the production of the domestic industry and constitute ***% of the Indian market.
- iv. The imports from the subject countries constitute almost the entirety of the imports of the product under consideration in India.
- v. The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry. The price undercutting was positive and significant during the period of investigation.
- vi. The imports have prevented the increase in the selling price of the domestic industry, which otherwise should have occurred.
- vii. Despite the increase in the prices of the raw materials during the period of investigation, the exporters have not increased the landed price of the imports.
- viii. Despite having a capacity of *** MT, the deployed capacity of the domestic industry was only *** MT.
- ix. Despite this the domestic industry has been able to utilize only ***% of its capacity during the period of investigation.
- x. The domestic industry was forced to shut down its plant on 12th January 2023 and has been unable to restart it during the period of investigation.
- xi. The share of the domestic industry in the demand is only ***% and it has sold only ***% of its production in the domestic market.
- xii. The average inventory holding period of the domestic industry is very high during the period of investigation.

- xiii. The domestic industry is suffering significant financial losses. The domestic industry has faced losses with cash losses and a negative return on investment during the period of investigation.
- xiv. The imports have adversely impacted the ability of the domestic industry to raise further capital investments.
- xv. The imports are affecting the prices of the domestic industry.
- xvi. The dumping margin is positive and significant.

83. In view of the foregoing, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury.

I.4. Non-attribution analysis and causal link

84. The interested parties have contended that the decline in demand has impacted the performance of the domestic industry. The Authority notes that the demand has increased significantly during the period of investigation, and was highest compared to each year of the injury period. Thus, contraction in demand is not a factor causing injury to the domestic industry.
85. The interested parties have also heavily emphasized the impact of Covid-19 on the performance of the domestic industry. In this regard, the Authority notes that Covid-19 had a significant impact in 2020-21, due to which demand for the product declined by 60%. This was because of complete shutdown of swimming pools and water treatment facilities which are the primary consumers of product under consideration, as highlighted by the interested parties. During this period, the imports also declined. However, in 2021-22, while the demand increased, the increase in imports was not commensurate. The performance of the domestic industry improved during this period. During the period of investigation, the demand has again increased significantly, but the increase in imports is steeper. In such a situation, it cannot be considered that there is continuing impact of Covid-19 on the performance of the domestic industry.
86. While the interested parties have claimed obsolescence of technology, internal inefficiencies and location of plant have caused injury to the domestic industry, no evidence of the same has been provided. In claiming that the domestic industry has used obsolete technology, the parties have relied on closure of plant relating dyes and dyestuffs, which does not indicate that the plant of the subject goods is using obsolete technology. As regards inefficiencies, the Authority notes that the domestic industry has submitted that it has actually been able to reduce its conversion cost. Compared to the base year, while the raw material cost increased by **%, the cost of sales increased by only **%, as the conversion cost declined by **%. As regards the location of the plant, the interested parties have not explained or demonstrated the impact of the same on the performance of the domestic industry.
87. With regard to the contention that the domestic industry acquired an obsolete plant from Trion Chemicals, which was in significant losses the Authority notes that it is not the case of the domestic industry that dumping has commenced during the period of investigation only. The domestic industry has emphasized that despite being in operations since 2017, the domestic industry has not been able to break even due to imports. The Authority notes that throughout the period, the imports have commanded almost the entirety of the demand in the country. During 2021-22, when the market share of imports declined, the domestic industry has been able to improve its performance to a profitable level. In view of the same, it cannot be considered that the domestic industry has suffered due to the use of obsolete technology.
88. Likewise, the interested parties have claimed that the domestic industry has suffered due to the Russia-Ukraine war or global market dynamics. However, the impact of such factors on the domestic market of the country has not been shown. The Authority notes that the demand in the country was not impacted by the aforesaid factors. Further, while the cost of production increased, the landed price of imports declined. The landed price was below the selling price of the domestic industry. Therefore, the injury to the domestic industry is on account of the presence of dumped imports in the market, and not the Russia-Ukraine war, or market dynamics of other countries.
89. As regards the fluctuations in raw material prices, the same has also been observed by the Authority. However, in the absence of dumping, an increase in raw material prices would normally lead to an increase in the price of the downstream product as well. In the present case, the imports have prevented such price increases.
90. The interested parties have alleged that the domestic industry has suffered injury on account of poor quality of its product. The Authority has not found any evidence that the goods provided by the domestic industry are of a poor quality. The information and evidence on record shows that the domestic industry is supplying goods of the requisite quality, and comparable to the imported product, as noted in detail hereinabove. Further, while certain interested parties have claimed that the goods supplied by the domestic industry are of poor quality, other parties have claimed that the Chinese products are of poor quality, indicating different market segment. However, there is no evidence on record to indicate that the goods imported from China do not compete with the Indian goods. On the contrary, the performance of the domestic industry improved, in direct response to

decline in market share of imports. This trend reversed during the period of investigation, when the volume and market share of imports increased, adversely impacting performance of the domestic industry in both volume and profitability parameters.

91. Lastly, certain interested parties have claimed that the domestic industry suffered injury due to its inability to export, while others have alleged that the domestic industry is focused on the export market, at the cost of the domestic market. The Authority notes that the domestic industry has significantly underutilized capacities. Thus, the domestic industry had sufficient capacity to cater to a much larger share of the domestic market. Therefore, it cannot be considered that the domestic industry prioritized the export market. As regards the alleged inability to export, the same does not explain the decline in market share or sales of the domestic industry in the domestic market. Had the domestic industry lost volume only because of export sales, its capacity utilization would have declined, but not its domestic sales or market share. Further, the parameters of cost of production, selling price, profits, cash profits, return on investment, etc. have been examined for the domestic operations only. The Authority, thus, finds that the domestic industry has not suffered injury in the domestic market on account of its export operations.

Conclusions on causal link

92. While other known factors listed under the Rules have not caused injury to the domestic industry, the Authority notes that the following parameters show that injury to the domestic industry is caused by the dumped imports.
- i. There is dumping of the subject goods from the subject countries.
 - ii. The import volume was the highest in the period of investigation. The imports declined in the previous two years only because of decline in demand due to Covid.
 - iii. Imports were undercutting the prices of the domestic industry. Resultantly, imports have increased over the injury period.
 - iv. There was significant increase in the import price in 2021-22. Resultantly, the domestic industry was able to increase its prices in this period, despite decline in cost of sales. However, thereafter, there was significant increase in the cost of sales of the domestic industry in the POI. However, the import prices did not increase. Resultantly, the domestic industry suffered price suppression. The domestic industry was prevented from increasing its prices in proportion to the increase in the cost. Resultantly, the domestic industry suffered significantly high losses in the POI.
 - v. The volume of imports increased in relation to the consumption and production of the domestic industry in the POI and is ***% in relation to the Indian production.
 - vi. The subject imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry. Resultantly, the domestic industry was unable to sell the material in the market, resulting in significant under utilisation of production capacities.
 - vii. The cheaper prices have created a strain on the prices of the domestic industry, preventing price increases, which otherwise would have occurred. This resulted in financial losses, cash losses and negative return on investment.
 - viii. Even when the prices of raw materials increased in the period of investigation, the prices of the imports did not increase.
 - ix. The domestic industry has severely under-utilized capacities, with only ***% of the installed capacity being utilized.
 - x. The domestic sales are low, with the domestic industry holding a market share of only ***%.
 - xi. The domestic industry was forced to shut down its operations to cut down its losses and avoid excessive inventory.
 - xii. The domestic industry has incurred losses and cash losses throughout the injury period except in 2021-22 when the landed price increased. Even the return on investment in the period of investigation was negative.
93. The Authority, thus, concludes that there exists a causal link between the dumping of the subject goods and injury to the domestic industry.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

94. The Authority has determined Non-Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price

from the subject country for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses are charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

95. The landed price for the cooperative exporters has been determined on the basis of the data furnished by the exporters. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on the facts available.
96. As regards the contention that a 22% return on capital employed is unwarranted, the Authority notes that it is a consistent practice of the Authority to determine the non-injurious price of the domestic industry based on reasonable return on capital employed, which is 22%, barring when there is evidence on record that 22% should not be considered and some other figure is more appropriate.
97. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

Producer	NIP (USD/MT)	Landed Price (USD/MT)	Injury Margin (USD/MT)	Injury Margin (%)	Injury Margin
					(Range)
China					
Shandong Goldenstar Water Environment Technology Co., Ltd	***	***	***	***	40-50
Puyang Cleanway Chemicals Limited	***	***	***	***	40-50
Shandong Daming Science and Technology Co. Ltd	***	***	***	***	40-50
Shandong Lantian Disinfection Technology Co	***	***	***	***	50-60
All Others	***	***	***	***	50-60
Japan					
Any	***	***	***	***	10-20

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

K.1. Submissions by other interested parties

98. Post issuance of preliminary findings, the interested parties have submitted as under with regard to public interest:
 - i. The imposition of anti-dumping duties on imports would not serve the public and could have detrimental effects on consumers, businesses and public utilities, by causing supply shortages, leading to higher prices and potential disruptions in essential services.
 - ii. The public health sector would also be at risk, as restricted supply of TCCA can compromise the quality and safety of drinking water, swimming pools and other sanitation services.
 - iii. The imposition of duty is aimed to reduce competition and create a monopolistic control, with only sub-standard products available in India.
 - iv. The Authority has overlooked that even a minimal price increase can significantly burden consumers for essential goods like disinfectants.
 - v. The reliance by Authority on self-serving economic interest questionnaires, without conducting a proper investigation is a violation of due process of law.
 - vi. The Authority has considered the non-cooperation of domestic users as evidence that duty will not have a detrimental effect. The non-cooperation can be because of lack of resources and expertise, and unawareness of the impact in the future.

- vii. The decision to protect a single industry at the expense of broader welfare is an abuse of regulatory duties and mandate.
- viii. The Authority has characterized the product under consideration as a mere disinfectant, thereby ignoring its critical role in water treatment and industrial processes.
- ix. The petitioner is the sole producer of the subject goods in India and is unable to meet the demand in India.
- x. The applicant is importing cyanuric acid from China, and doing minimal value addition in India. Therefore, it is not satisfying the Make in India initiative of the Government.
- xi. The claims that the domestic industry can expand the capacity in future relies on uncertain future demand and has not considered potential costs associated with capacity expansion, which can further lead to price increase.
- xii. Mere theoretical availability of substitutes does not nullify the real-world effects of the alleged duty imposed. The applicant has not provided evidence with regard to prices from these alternative sources.
- xiii. Even if duties are imposed, the market would adapt by shifting imports from other countries, rendering the measure ineffective. Moreover, smuggling concerns and the lack of comprehensive pricing data across countries further complicate the matter.
- xiv. The increase in market share of the domestic industry shows that a competitive market exists even in the absence of anti-dumping duties.
- xv. The product produced by the domestic industry has several health hazards due to lack of guaranteed size and slow solubility and uneven dispersion of chlorine which can lead to pathogen and chemical exposure.
- xvi. The method for calculating impact on the downstream industry is flawed since it assumed that TCCA is added in water only once.
- xvii. Considering that TCCA is to be added to pools daily, the impact of duties on pools would be between Rs. 8760 to Rs. 131400.
- xviii. In the event of imposition of duties on TCCA, the users would shift to other products, SDIC 60%, Bleaching, Liquid Chlorine, Calcium Hypo Chlorite.

K.2. Submissions by the domestic industry

99. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest post issuance of the preliminary determination:
- i. The Authority has duly conducted a public interest analysis and all the arguments of the interested party have already been addressed in the preliminary findings.
 - ii. The user industry has not opposed the imposition of duties or filed a response to the Economic Interest Questionnaire. Only importers that are trading the subject goods have opposed the imposition of duty, to maximise their own profits.
 - iii. Non-participation by the user industry in the investigation cannot be construed to imply that they did not have the resources and expertise to participate.
 - iv. The domestic industry has been unable to stabilise its operations, despite being in operation since 2017.
 - v. The applicant is the sole producer of the subject goods. In case the duties are not imposed, the industry will have to shut down its operations permanently. In such a situation, the country will completely rely on imports and India will not become Atmanirbhar.
 - vi. There is no evidence to support the claim that a minimal price increase would significantly burden consumers.
 - vii. In the past, the Authority has provided remedy to an industry with a single producer. This is necessary in the present case since continuation of dumping would force the domestic industry to shut down its operations.
 - viii. Contrary to the claim of the interested parties, the Authority has not characterised the subject goods as a mere disinfectant.
 - ix. The importers have failed to provide any evidence to show that the domestic product is of poor quality, despite direction from the Authority to do so. The fact that the domestic industry has exported to USA shows that it is not supplying low-quality products.

- x. The goods produced by the domestic industry are certified by the Environmental Protection Agency of United States, which is one of the most stringent standards.
- xi. The interested parties are making contradictory statements about the quality of the domestic industry being poor and then stating that the applicant wants to focus on exports by exporting premium quality.
- xii. The domestic industry has sufficient capacity to cater to the domestic demand, and can increase its capacity to cater to future demand.
- xiii. The contention of the interested parties that increasing capacity will lead to higher prices is not tenable, as higher supply leads to a reduction in prices.
- xiv. Dodhiya Chem Tex Private Limited is planning to enter the market in the near future which will eliminate the possibility of the creation of monopoly in the market.
- xv. While certain interested parties claim that there are no alternate import sources of supply of product, other parties have stated that the market would shift to imports from other countries, showing an inter-se contradiction.
- xvi. Even after the imposition of duty, the subject goods can be imported at fair prices.
- xvii. The impact on the downstream industry is negligible since the subject goods are not a major input or raw material for the downstream industry and accordingly, is not a major cost.
- xviii. The impact calculation provided by domestic industry is, in fact, overstated because it does not consider other significant costs of running and operating a swimming pool.
- xix. The interested parties have not provided any calculation for the impact of duties on the downstream industry or established that the downstream industry will be significantly impacted by the duties.
- xx. Imposition of duties will also help in increasing forex exchange savings and help the domestic industry to flourish in the market.
- xxi. Imposition of duties will not impact the net realisation of an exporter since duty is imposed over and beyond the net realisation of an exporter.
- xxii. The product can also be imported at fair prices from other countries including USA, Spain and a plant has been recently set up in Bangladesh.
- xxiii. While the interested parties have relied on testimonies from such users, the domestic industry has not supplied the product to such users, or the importer concerned. The testimony of the users to whom the domestic industry actually supplied the product shows that its products are of good quality.

K.3. Examination by the Authority

- 100. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duties is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unfair trade practices of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. This is not merely a regulatory measure, but a matter of national interest. The imposition of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject countries arbitrarily. Rather, it is a mechanism to ensure a level playing field. The Authority acknowledges that the persistence of anti-dumping duties may influence the price levels of the product in India. However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the imposition of these measures. Far from diminishing competition, the imposition of anti-dumping measures serves to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. It safeguards the consumers' access to a broad selection of the subject goods. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.
- 101. The Authority issued the initiation notification, inviting views from all interested parties including importers, users and consumers. An Economic Interest Questionnaire was also prescribed to allow various stakeholders, including the domestic industry, producers/exporters and importers/users/consumers to provide relevant information concerning the present investigation, including the possible effect of anti-dumping duty on their operations.
- 102. The Authority notes that no user of the subject goods has stepped forward to participate before the Authority or furnished a response to the Economic Interest Questionnaire. Furthermore, no party has presented any evidence to indicate the adverse effect of the duties in force. This lack of evidence and silence of the stakeholders underscores the Authority's position and reinforces the necessity of anti-dumping measures to ensure fair trade practices.
- 103. The interested parties have contended that the non-participation by users may be on account of lack of awareness, expertise or resources. The Authority notes that initiation of the investigation was notified in the

Gazette of India. Further, the importers have participated in the present case. One of the importers has also provided testimonies from users such as Surya Fitness Culture, Lucky Pool, Water Stone Pool, and Rahul Water Works. The importers, therefore, could have informed the users and advised them to participate in the investigation. Therefore, lack of awareness or expertise cannot be considered grounds for non-participation. As regards resources, at the very least, the users could have themselves made submissions and provided the relevant information.

104. In this regard, the Authority notes that it is well settled that if an interested party does not cooperate and thus relevant information is being withheld from the authorities, this situation could lead to a result which is less favourable to the party than if the party did cooperate. Therefore, the non-cooperation of users cannot be construed in a manner so as to assume a favourable position to them. The Authority would consider the facts on record, as placed before it, and such a consideration may result in a situation less favourable for the users.
105. The Authority notes that prior to the establishment of the plant by the domestic industry, India was completely import dependent. The domestic industry has heavily invested in the plant to manufacture the subject goods and make India self-reliant. According to the domestic industry, if the dumping from the subject countries continues, the domestic industry will have no option but to permanently shut down its operations.
106. The domestic industry has highlighted that the users will not be adversely impacted by the duties because of the low impact of the duties on the end product. It is noted that the impact of the duties is quite minuscule. Moreover, the domestic industry has stated that since the subject goods are merely used as a disinfectant to clean the water, it is not a major cost to it either. The Authority notes that TCCA is used as a disinfectant and for water treatment. Thus, it is not a major input or raw material for the downstream industry.
107. The Authority notes that certain interested parties have claimed that the impact calculated by the domestic industry is understated on account of considering that TCCA is added multiple times in a swimming pool. The domestic industry on the other hand has contended that the impact is overstated as the other costs that would be incurred in running the establishment, barring water and TCCA, have not been considered. The Authority notes that swimming pools are majorly run by hotels, schools and sports centres. For such establishments, the costs involved in running a pool are only a small part of the overall costs involved in running the establishment. The Authority notes that while TCCA may be added more than once, the impact of duties per addition is less than 0.25%, when considering the impact on the cost of water added. Further, even if the total cost of TCCA consumed in a year is about Rs. 1 lakh as claimed by the other parties, the same cannot be considered significant in view of the overall cost and revenue structures, of the establishments that use such TCCA.
108. TCCA is not a raw material for any of its users. It is used in small dosages for water treatment. This gets further established by the fact that the entire demand for this product in the country is in the region of Rs. 100-125 crores per annum. This volume of the product gets consumed by a large number of establishments. Annual consumption by value for individual establishment is thus quite low. Possible increase in the price of the product would not lead to a significant increase in the costs incurred by the consumers.
109. The Authority further notes that the imposition of anti-dumping duty will not lead to scarcity of the subject goods in India. It is noted that anti-dumping duty does not restrict imports but ensures that imports are available at fair prices. The imposition of duty would, therefore, not affect the availability of the product. Therefore, the capacity of the domestic industry is more than the demand in India, thereby ensuring that there remains sufficient supply in the country. Further, the domestic industry has stated that it has the infrastructure to increase its capacity, in case there is an increase in the Indian demand.
110. Further, the Authority notes that although the subject imports constitute almost 100% of the imports into the country, the technology to manufacture the product is available in the USA and Spain as well. Further, the domestic industry has claimed that a plant for production of the product has been recently set up in Bangladesh. Thus, the goods can be imported from Bangladesh, USA and Spain, in case of imposition of duties. Further, the domestic industry has submitted that Dodhiya Chem Tex Private Limited is planning to set up a plant for the production of the subject goods. This would ensure healthy competition in the Indian market.
111. Some of the interested parties have contended that the aforesaid availability of the product is only theoretical, and the imposition of duty would lead to a demand-supply gap and creation of monopoly. First and foremost, the Authority notes that the imposition of duty does not prevent importation of the subject goods, but merely ensures a price correction. In any case, should there be a situation of scarcity of product or monopolization of the market, the interested parties are free to approach the Authority seeking a mid-term review, or the competent authority concerning anti-competitive practices. However, the same cannot become grounds for denying the duty. In any case, the domestic industry has already undertaken part of the investment required to increase capacities.
112. Contrary to the arguments of the interested parties, it cannot be considered that a competitive market exists for the product, in the absence of duties. The Authority has found significant dumping of the subject goods into India. The performance of the domestic industry has suffered as a result of such dumping.

113. With regard to the value addition in India, it is noted that raw material cost constitutes approx. ***% of the total cost of the product. In view of the same, the value addition in India cannot be considered insignificant in any manner.
114. Lastly, with regard to quality of the product produced by the domestic industry, the Designated Authority has noted that the users to which the domestic industry has supplied the goods have appreciated its quality. Further, the domestic industry is supplying the product to developed economies, such as USA. The goods produced by the domestic industry are also certified by the US EPA. Therefore, there are no grounds to conclude that the quality of the goods supplied by the domestic industry is inferior.

L. POST DISCLOSURE COMMENTS

115. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on 22nd November 2024. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extend deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission, and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.

L.1 Submissions by other interested parties

116. The following post disclosure submissions have been made by the other interested parties:
- i. Contrary to the observations of the Authority, the Customs declaration filed in China does not bear the invoice date, but the Sales Contract dates. The dates in China customs declaration, bill of lading and accounting dates for the two invoices are all within the period of investigation.
 - ii. The manufacturer's invoice to the trader could be dated later than the trader's invoice to customer and this will not affect actual sales between the manufacturer and the trader.
 - iii. Just because the invoice by the trader is issued first, it does not invalidate or creates doubt on the validity of the transaction as the parties and transaction terms are already fixed under the contracts.
 - iv. The validity of books of accounts is not questioned by the Authority, which does not raise any questions about the credibility of the date of invoices.
 - v. The Authority is obligated to assess the injury caused to the domestic industry strictly as per Annexure II and Article 3 of the Rules. The volume effect, price effect and impact on the domestic industry are the essential components which need to be examined cumulatively in this sequence only and must be done in an unbiased manner.
 - vi. The Petitioner has not established that the subject imports had any "explanatory force" or consequent impact on the Petitioner.
 - vii. The Authority has not examined a causal link and does not have sufficient basis to conduct a causal link in absence of volume and price effect on the domestic industry performance.
 - viii. The applicant is unable to cater to the international market despite being in an advantageous position due to duties imposed on Chinese products by other trade remedial authorities including Europe and the USA.
 - ix. For every 1 lakh liters of water, 300 grams of TCCA is used daily which implies TCCA constitutes 90% of the total costs.
 - x. Imposition of duties will adversely impact on the small pool users which is the common size pool for all resorts, water parks, schools, and swimming lesson's locations.

L.2 Submissions by domestic industry

117. The following post disclosure submissions have been made by the domestic industry.
- i. It is evident that the injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports and there is clear causal link between dumping of the product under consideration and injury to the domestic industry.
 - ii. There is a need for re-determination of cost of production used for determination of non-injurious price and normal value.
 - iii. The Authority has applied the highest capacity utilization based on available capacity, to the installed capacity, leading to an inordinately high optimum product. Either the capacity utilization be applied to available capacity; or the capacity utilization be re-determined having regard to installed capacity and thereafter, be applied accordingly.

L. 3 Examination by the Authority

118. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the domestic industry and the other interested parties and notes that some of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments / submissions by the interested parties and the domestic industry and considered relevant by the Authority are examined below.
119. The documentation submitted by the exporter Hebei has already been examined by the Authority in detail. As noted earlier, the originally submitted invoices bore the stamp of the company. Further, they were submitted by the company, together with a certificate of accuracy. The exporter submitted revised invoices only after the Authority denied individual margins in the preliminary findings. It is, therefore, considered that the revised invoices are not reliable. The exporter has not satisfactorily demonstrated that the date mentioned in the Chinese Customs declaration is not the date of the invoice. Lastly, the exporter has not provided a satisfactory explanation as to how the trader can issue an invoice pre-dating the invoice of the manufacturer, that too when the trader's invoice bears the invoice number of the manufacturer. It does not stand to logic that the trader sold goods, that were not yet owned by it, and having mentioned the invoice number under which it would acquire ownership of the said goods. In view of such a factual situation, the Authority does not find it appropriate to rely on the revised invoices and confirms its observations in the Disclosure Statement.
120. With regards to the contention of the interested parties that the Authority is required to examine volume effect, price effect and impact on domestic industry cumulatively in this sequence, the Authority has examined the volume effect, price effect and the economic parameters of the domestic industry in detail. The examination of the imports of the subject goods and the performance of domestic industry shows that the domestic industry has suffered material injury. The interested parties have not elaborated or provided any evidence to show otherwise or establish that the Authority has not conducted the examination of the injury caused to the domestic industry as per Annexure-II and Article 3 of the Rules.
121. The interested parties have argued that the domestic industry is unable to compete in the international market. However, the domestic industry has shown that it has exported the subject goods to USA and its products of the domestic industry are certified by Environmental Protection Agency of the United States of America (EPA). The arguments of the interested parties have already been examined by the Authority in detail earlier. The interested parties have not provided any fresh evidence to displace the conclusions reached earlier.
122. With regards to the argument that the subject goods constitute a major portion of the total cost for the users, the Authority has already examined the same. No fresh information or evidence has been adduced by the interested parties in this regard.
123. The domestic industry has also stated that the Authority should re-determine the normal value and non-injurious price. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information / data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating the injury margin. Therefore, the Authority has concluded that there is no requirement for re-determination of the non-injurious price and since it has arrived at the same as prescribed in Annexure III of the Rules and past practices of the Authority.

M. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

124. After examining the submissions made by all the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
- i. The application for initiation of the anti-dumping investigation against imports of Trichloro Isocyanuric Acid from China PR and Japan was filed by Bodal Chemicals Limited. The applicant is the sole producer of the subject goods and constitutes domestic industry for the purpose of the present investigation
 - ii. The product under consideration is Trichloro Isocyanuric Acid also referred to as TCCA which is a chemical compound commonly used as a disinfectant, bleaching agent and water treatment chemical.
 - iii. There is no change in the scope of the product under consideration as defined in the initiation notification and there is no need for PCN methodology in the subject investigation.
 - iv. Since no producer from China PR has filed a request for market economy treatment, China PR has been considered as a non-market economy and the normal value has been determined based on the price payable in India which is based on the cost of production of the domestic industry.

- v. Considering the normal value and export price determined, the dumping margin for the subject goods from China and Japan is positive and significant.
- vi. The demand for the subject goods declined in 2020-21 due to covid but has gradually increased thereafter.
- vii. The imports from the subject countries constitute the entirety of the imports into the country and were the highest in the period of investigation.
- viii. The subject imports were undercutting the prices of the domestic industry.
- ix. The landed value of the imports was below the selling price as well as the cost of the domestic industry.
- x. The cost of sales of the domestic industry increased in the period of investigation but the prices of imports have reduced. The increase in the cost of sales was due to significant increase in raw materials costs. Further, even when the selling price increased, the increase in the selling price was less than the increase in cost of sales.
- xi. The imports have prevented price increases, which otherwise, would have occurred. Thus, the imports have suppressed the prices of the domestic industry.
- xii. As regards the effect of such dumped on the economic parameters of the domestic industry, the following conclusions were reached:
 - a) The domestic industry has suffered from underutilized capacities throughout the injury period and sold a very small share of its production in the domestic market, despite the domestic industry holding significant capacities.
 - b) The imports have dominated the market share throughout the injury period, despite the domestic industry holding significant capacities
 - c) The average inventories of the domestic industry have continuously increased till 2021-22 and have decreased during the period of investigation with suspension of production by the domestic industry.
 - d) The domestic industry has suffered from losses, cash losses and negative returns.
 - e) The domestic industry has suffered injury as a result of the dumped goods from the subject countries. The injury margin is significant.
- xiii. It is noted that domestic industry has suffered material injury as a result of the dumped imports.
- xiv. The Authority has not found any evidence that the goods provided by the domestic industry are of poor quality.
- xv. As against the established demand of *** MT, the domestic industry holds a capacity of ***MT, thus sufficient enough to cater to *** demand for the product in the Country. The domestic industry however had utilised its production capacity only to a meagre extent of *** for selling the product in the domestic market. The dumping of the product has severely impacted the capacity utilization of the domestic industry in the country and has reduced the domestic industry to a level where it was catering to only *** demand in the country.
- xvi. The domestic industry suspended its production for a total period of around *** months in the investigation period and operated the plant only for *** days in view of the dumping of the product in the country.
- xvii. The investigation has shown that the domestic industry has been unable to cater to a level of demand that was feasible with the capacities created by the company. The domestic industry is holding such a low market share because of dumping in the Country. No other factor responsible for such low market share has been brought out by the interested party.
- xviii. The anti-dumping duty is in the interest of the public. This is evident from the following:
 - a. The domestic industry has made significant investments in the plant to manufacture the subject goods.
 - b. The impact of the duties on the downstream industry is minuscule.
 - c. There is no basis to conclude that the users have not participated in the investigation due to lack of awareness or expertise.
 - d. The users to which the domestic industry has supplied the goods have appreciated its quality, and the interested parties have not been able to demonstrate that the buyers to whom the domestic industry has supplied the goods are not satisfied with its quality.

- e. No evidence has been placed on record to demonstrate that there is a difference between the imported goods and the domestically produced goods.
- f. The imposition of duty would not affect the availability of the product. Apart from other global sources, the domestic industry has the capacity to cater to almost the entire Indian demand and has the infrastructure to increase its capacity, in case there is an increase in the Indian demand.
125. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of duty is required to offset dumping and injury. Therefore, the Authority considers it necessary and recommends the imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries.
126. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends the imposition of an anti-dumping duty equal to the lesser margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from subject countries for a period of 5 years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below.

Duty Table

S. No.	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29336990 29336910*	Trichloro Isocyanuric Acid	China PR	China PR	Shandong Goldenstar Water Environment Technology Co., Ltd.	766	MT	USD
2	-do-	-do-	China PR	China PR	Puyang Cleanway Chemicals Limited	773	MT	USD
3	-do-	-do-	China PR	China PR	Shandong Daming Science And Tecnology Co.,Ltd	782	MT	USD
4	-do-	-do-	China PR	China PR	Shandong Lantian Disinfection Technology Co	907	MT	USD
5	-do-	-do-	China PR	All countries, including China PR	Any other than those mentioned at S. No. 1 to 4	986	MT	USD
6	-do-	-do-	All countries other than China PR and Japan	China PR	Any	986	MT	USD

7	-do-	-do-	Japan	All countries including Japan	Any	276	MT	USD
8	-do-	-do-	All countries other than China PR and Japan	Japan	Any	276	MT	USD

**The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation.*

N. FURTHER PROCEDURE

127. An appeal against the determination of the Authority in these final findings shall lie before the Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Customs Tariff Act.

DARPAN JAIN, Designated Authority